



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939

No. 414]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

(डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 01 / 2017)

सं. 74/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश एवं नामांकन से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए प्रथमतः सीटों की संख्या निम्नवत् होगी।

(i) स्नातक पाठ्यक्रम:

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	महाविद्यालय का नाम	सीटों की संख्या
1.	बी० एस० सी० (प्रतिष्ठा) कृषि	तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर	60
2.	बी० एफ० एस० सी० (प्रतिष्ठा)	मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर	25
3.	बी० टेक (कृषि अभियंत्रण)	कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा	25
4.	बी० एस० सी० (प्रतिष्ठा) कॉम्प्यूनिटी साइन्स	कॉम्प्यूनिटी साइन्स महाविद्यालय, पूसा	25
5.	बी० टेक (बायोटेक)	आधार विज्ञान एवं मानविकी संकाय, पूसा	30

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम:

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या
1.	एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलौजी	03
2.	कृषि अर्थशास्त्र	08

3.	एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स	02
4.	एग्रोनोमी	14
5.	प्लांट फिजियोलॉजी	04
6.	इन्टोमोलोजी	08
7.	प्रसार शिक्षा	06
8.	होम साइन्स एक्सटेन्सन एण्ड कौमनिकेशन मैनेजमेन्ट	05
9.	फेमली रिसोर्स मैनेजमेन्ट	02
10.	फूट एण्ड न्यूट्रीशन	03
11.	नेमाटोलॉजी	01
12.	पादप प्रजनन एवं अनुवंशिकी	11
13.	प्लांट पैथोलॉजी	08
14.	प्रोसेसिंग एण्ड फूड इन्जीनियरिंग	02
15.	स्वायल एण्ड वाटर इंजिनियरिंग	04
16.	मृदा विज्ञान	08
17.	हॉर्टिकलचर (भेजीटेबुल साइन्स)	03
18.	एम0 बी0 ए0 (एग्री बिजनेस)	30

(ii) पी0 एच0 डी0 पाठ्यक्रम :

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या
1.	एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलौजी	03
2.	कृषि अर्थशास्त्र	02
3.	एग्रोनोमी	04
4.	इन्टोमोलोजी	03
5.	प्रसार शिक्षा	02
6.	पादप प्रजनन एवं अनुवंशिकी	04
7.	पौधा रोग	03
8.	प्लांट फिजियोलौजी	02
9.	मृदा विज्ञान	04

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (a) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम के छात्रों का प्रथम वर्ष में प्रवेश उपरोक्त पाठ्यक्रम में आवंटित किया जायेगा ।

छात्रों का प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम के लिए कृषि तथा समबद्ध विज्ञानों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ए०आई०ई०ई०ए०) द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप संचालित होगी। छात्रों का चयन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर बनाई गई मेधा सूची के आधार पर भारत सरकार के आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

बी०एस०सी० (ए०जी०), बी०एफ०एस०सी० एवं बी०एस०सी० (होम साइन्स) पाठ्यक्रम का नाम क्रमशः बी०एस०सी० (प्रतिष्ठा) कृषि/बी०एफ०एस०सी० (प्रतिष्ठा) एवं बी०एस०सी० (प्रतिष्ठा) कॉम्यूनिटी साइन्स होगा। गृह विज्ञान महाविद्यालय का नाम कॉम्यूनिटी साइन्स महाविद्यालय होगा।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 285 / 17]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agricultural Research and Education)**

(DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY)

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 1 of 2017)

No. 74/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the admission and enrolment of students to Bachelor/Masters' and Doctoral Degree Courses in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa *vide* F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September, 2017, the number of seats initially for the academic session 2017-2018 shall be as under:

(i) Under-Graduate Programme

Sl. No.	Degree Programme	Name of college	Intake capacity
1.	B.Sc. (Hons.) Agriculture	Tirhut College of Agriculture, Dholi, Muzaffarpur.	60
2.	B.F.Sc. (Hons.)	College of Fisheries, Dholi, Muzffarpur.	25
3.	B. Tech (Agril. Engg.)	College of Agricultural Engineering, Pusa	25
4.	B.Sc.(Hons.) Community Science	College of Community Science, Pusa, Samastipur	25
5.	B.Tech (Biotechnology)	College of Basic Science & Humanities, Pusa, Samastipur	30

(ii) Masters' Degree Programme

Sl. No.	Discipline	No. of Seats
1	Agricultural Biotechnology	03
2	Agril. Economics	08
3	Agril. Statistics	02
4	Agronomy	14
5	Plant Physiology	04
6	Entomology	08
7	Extension Education	06
8	Home Science Extension & Communication Management	05
9	Family Resource Management	02
10	Food & Nutrition	03
11	Nematology	01
12	Plant Breeding & Genetics	11
13	Plant Pathology	08
14	Processing & Food Engineering	02
15	Soil & Water Engineering	04
16	Soil Science	08
17	Horticulture (Vegetable Science)	03
18	MBA(Agri-business)	30

(iii) Ph. D Programme

Sl. No.	Discipline	No. of Seats
1	Agril. Biotechnology	03
2	Agril. Economics	02

3	Agronomy	04
4	Entomology	03
5	Extension Education	02
6	Plant Breeding & Genetics	04
7	Plant Pathology	03
8	Plant Physiology	02
9	Soil Science	04

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (a) of Sub Section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify that the admission of students to the 1st year of the aforementioned programme, Pusa shall be allotted.

The admission of students shall be governed as per the eligibility requirement prescribed by the Indian Council of Agricultural Research for All India Entrance Examination in Agriculture and Allied Science for Under-graduate, Post-Graduate and Doctoral Programme. The candidates shall be selected through the AIEEA conducted by ICAR on the basis of merit of marks and keeping in view the reservation policies of Government of India.

The nomenclature of B. Sc. (Ag.), B. F.Sc. and B.Sc. (Home Science) course programme shall be B.Sc. (Hons) Agriculture B.F.Sc. (Hons) and B.Sc.(Hons.) Community Science respectively. The name of the College of Home Science will be College of Community Science.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 02 / 2017)

सं. 75/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (b) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिष्ठाता समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल डिग्री के अध्ययन के पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामान्य शैक्षणिक नियम, 2010 के अनुरूप चलता रहेगा।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 2 of 2017)

No. 75/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the Course of Study in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (b) of Sub Section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify that the Course of Study for different under-graduate programmes at DRPCAU shall be as prescribed by the Vth Deans Committee of the Indian Council of Agricultural Research or as revised from time to time.

For PG & Doctoral degree programme the course of Study based on Common Academic Regulation 2010 of ICAR will continue.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 03/2017)

सं. 76/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनशंसा एवं प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में छात्रों के शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (c) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 3 of 2017)

No. 76/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the medium of instruction and examination in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify that English language shall be the medium of instruction and examination in all Under-Graduate, Post-Graduate and Doctoral Courses in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 04/2017)

सं. 77/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनशंसा एवं प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर,

2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम में अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विभिन्न शुल्क लेने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (e) के साथ पढ़े जाने वाली उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रम के लिए गैर-वापसी, योग्य और वापसी योग्य, शुल्कों को अधिसूचित करता हूँ जिसे यहाँ तालिका में दिया जा रहा है।

क्र०सं०	पाठ्यक्रम	प्रथम षडमास (रूपया में)	आगे का षडमास (रूपया में)
1	पी०एच०डी०		
	सामान्य	13650 /—	5770 /—
	एस०सी०/एस०टी०	10050 /—	2170 /—
	ओ०बी०सी०	10650 /—	2770 /—
2	एम०एस०सी०		
	सामान्य	12600 /—	4855 /—
	एस०सी०/एस०टी०	9900 /—	2155 /—
	ओ०बी०सी०	10350 /—	2605 /—
3	स्नातक		
	सामान्य	15070 /—	4490 /—
	एस०सी०/एस०टी०	12670 /—	2090 /—
	ओ०बी०सी०	13270 /—	2690 /—

4	स्वयं वित्त पोषित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
1.	बी० टेक (बायोटेक)		
	सामान्य	15070 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क	4490 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में।
	एस०सी०/एस०टी०	12670 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क	2090 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में।
	ओ०बी०सी०	13270 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क	2690 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में।
2.	एम०बी०ए०(एग्रीबिजनेस) पाठ्यक्रम		
	सामान्य	12600 + 45000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम एवं तृतीय षडमास के लिए)	4855 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (द्वितीय एवं चतुर्थ षडमास के लिए)।
	एस०सी०/एस०टी०	9900 + 45000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम एवं तृतीय षडमास के लिए)	2155 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (द्वितीय एवं चतुर्थ षडमास के लिए)।
	ओ०बी०सी०	10350 + 45000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम एवं तृतीय षडमास के लिए)	2605 + 25000 प्रति षडमास पाठ्यक्रम शुल्क (द्वितीय एवं चतुर्थ षडमास के लिए)।

उन अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप/फैलोशिप/स्टाइपेन्ड प्राप्त करते हैं उन्हें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के तरह पूरा शुल्क लगेगा।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति
[विज्ञापन—III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 4 of 2017)

No. 77/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an Ordinance regulating the various fees to be charged for the course of study of different Bachelors, Masters' and Doctoral degree programmes and for admission to the examinations in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make this Ordinance and notify the various fees-both non-refundable and refundable, chargeable from the students of different Under-graduate, Post-Graduate and Doctoral programmes shall be as given in the Table annexed hereto:

Sr. No.	Programme	First semester Fee (Rs.)	Subsequent semester Fee (Rs.)
1.	Ph.D		
	General	13650/-	5770/-
	SC/ST	10050/-	2170/-
	OBC*	10650/-	2770/-
2.	M.Sc.		
	General	12600/-	4855/-
	SC/ST	9900/-	2155/-
	OBC*	10350/-	2605/-
3.	Undergraduate		
	General	15070/-	4490/-
	SC/ST	12670/-	2090/-
	OBC*	13270/-	2690/-

4.	Self finance Undergraduate & Post graduate programme		
1.	B. Tech (Biotechnology)		
	General	15070 +25000/- per semester as programme fee	4490 +25,000 per semester as programme fee
	SC/ST	12670 +25000/- per semester as programme fee	2090 +25000/- per semester as programme fee
	OBC*	13270/-+25000/- per semester as programme fee	2690/-+25000/- per semester as programme fee
2.	M.B.A.(Agribusiness)		
	General	12600+45000/- per semester as programme fee in first & third semester	4855 +25,000/- per semester as programme fee in second & fourth semester
	SC/ST	9900+45000/- per semester as programme fee in first & third semester	2155 +25000/- per semester as programme fee in second & fourth semester
	OBC*	10350+45000/- per semester as programme fee in first & third semester	2605+25000/- per semester as programme fee in second & fourth semester

*Such OBC Students who are recipient of scholarships/fellowships/stipend shall be charged full fees as in the case of general category students.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 05/2017)

सं. 78/डॉ०आर०प्र०के०क०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (f) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के वैसे विद्यार्थियों को जो किसी भी संसाधन से किसी प्रकार का वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करते हैं एवं स्नातक अथवा डॉक्टरल पाठ्यक्रम में ओ०जी०पी०ए० 7.5 या उससे ज्यादा प्राप्त करते हैं, को वर्तमान दर से यानि 3000/- रुपये प्रतिमाह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं 4500/- रुपये प्रतिमाह डॉक्टरल पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए वैध होगा जो विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित हैं। नये छात्रों के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 5 of 2017)

No. 78/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an Ordinance regulating the award of Fellowship to the students of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Dr. Rajendra Central Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make this Ordinance and notify that the student who are not recipient of any kind of financial assistance from any source and maintained OGPA of 7.5 and above in PG and Doctoral programme shall be allowed fellowship as per existing rate i.e. Rs. 3000/- p.m. for Masters programme and Rs. 4500/- for Doctoral degree programme. This provision will be valid only for such students already admitted in the University. However, for fresh students the matter should be put to Finance Committee.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 06/2017)

सं. 79/डॉ०आर०प्र०के०क०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विद्वत् परिषद् की दिनांक 08.07.2017 को सम्पन्न पहली बैठक की अनुशंसा एवं प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में विद्यार्थियों के परीक्षक निकाय, परीक्षक एवं मध्यस्थों के नियुक्ति एवं कर्तव्यों का निर्धारण से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपबंध (g) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा यह अधिसूचित करता हूँ कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय, पूसा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरल पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा का संचालन अगली अधिसूचना तक वर्तमान में लागू शैक्षणिक नियमों के अनुसार चलेगा। विस्तृत विवरणी विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 6 of 2017)

No. 79/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of recommendation of the 1st meeting of the Academic Council held on 08.07.2017 and resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the conduct of examination, including the term of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (g) of sub-section (1) of Section 28 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the condition and procedure for conduct of semester system of examination for Under-graduate, Post-Graduate and Doctoral Programme of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as per existing Academic Regulations of the University till further notification. The details are available on website of the University.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADV.T.-III/4/Exty./285/17]

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 07/2017)

सं. 80/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में चयन समिति के गठन की विधि एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के अर्हता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 18(8) जो कि धारा 21(2) के साथ पठनीय है में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा परिशिष्ट-1 पर संलग्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सभी पदों के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अंतर्गत वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केन्द्र कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्तावित नियम

पद	आईसीएआर द्वारा निर्धारित अर्हताएँ	डीआरपीसीएयू द्वारा गृहीत	गृहीत भर्ती प्रक्रिया
कार्यक्रम समन्वयक/वरीय वैज्ञानिक और अध्यक्ष (वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन रु. 9000/-) वेतनमान रु. 37400/- 67000	अनिवार्य अर्हताएँ :- क. अभियांत्रिकी विषय के अलावा अन्य विषय के लिए : संबद्ध विज्ञानों सहित प्रासंगिक विषय में पी.एच.डी. उपाधि के साथ संबद्ध विषय में वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ या समकक्ष पदधारक के रूप में वेतनमान रु. 15600-39100/- पर ग्रेड वेतन रु. 5400/6000/7000/8000 के साथ आठ सालों का अनुभव प्रकाशन कार्य/नवोन्मेषी कार्य/प्रभावी कार्य के रूप में शोध/शिक्षण/विस्तारित शिक्षा में योगदान	आईसीएआर /एएसआरबी द्वारा निर्धारित एसोसिएट प्राफेसर/वरिष्ठ वैज्ञानिकों के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)	i अंक कार्ड ii प्रस्तुति iii साक्षात्कार

<p>रखते हैं (वेतनमान रु. 37400 - 67000/- ग्रेड वेतन रु. 8000/-)</p>	<p>ख. अभियांत्रिकी अनुशासनों हेतु : संबद्ध विषय में पी.एच.डी. उपाधि के साथ वैज्ञानिक/व्याख्याता/विस्तारित विशेषज्ञ या समकक्ष पदधारक के रूप में वेतनमान रु. 15600-39100/- पर ग्रेड वेतन रु. 5400/6000/7000/8000 के साथ छह सालों का अनुभव प्रकाशन कार्य/नवोन्मेषी कार्य/प्रभावी कार्य के रूप में शोध/शिक्षण/ विस्तारित शिक्षा में योगदान अथवा संबद्ध अभियांत्रिकी विषय में परास्नातक के साथ वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ या समकक्ष पदधारक के रूप में वेतनमान रु. 15600-39100/- पर ग्रेड वेतन रु. 5400/6000/7000/8000 के साथ दस सालों का अनुभव प्रकाशन कार्य/नवोन्मेषी कार्य/प्रभावी कार्य के रूप में शोध/शिक्षण/ विस्तारित शिक्षा में योगदान वाछंतीय : विस्तारित शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता</p>		
<p>विषय सामग्री विशेषज्ञ (टी-6, वेतन बैंड - 3) ग्रेड वेतन रु. 5400/- वेतनमान रु. 15600-39100/-</p>	<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध क्षेत्र में परास्नातक अथवा समकक्ष योग्यता (इस पद हेतु नेट आवश्यक नहीं है) वाछंतीय : 1. संबद्ध विषय में 2-3 सालों का कार्य अनुभव 2. कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान 3. निर्धारित संबद्ध विषय में पी.एच.डी. उपाधि</p>	<p>आईसीएआर/एएसआरबी द्वारा निर्धारित असिस्टेंट प्रोफेसर/कनिष्ठ वैज्ञानिकों के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)</p>	<p>i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान, भाषा ज्ञान) iii प्रस्तुति iv साक्षात्कार</p>
<p>कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला तकनीशियन) (टी-4, वेतन बैंड - 2) ग्रेड वेतन रु. 4200/- वेतनमान रु. 9300 - 34800/-</p>	<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/बागवानी में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता वाछंतीय : 1. प्रयोगशाला और उपकरणों के रखरखाव का 2-3 सालों का कार्य अनुभव 2. कंप्यूटर अनुप्रयोगों का कार्यकारी ज्ञान</p>	<p>आईसीएआर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम सहायक (प्रयोगशाला तकनीशियन) के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)</p>	<p>i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (विषय ज्ञान सामान्य ज्ञान भाषा ज्ञान) iii अहर्ता विषयक कंप्यूटर दक्षता कोई साक्षात्कार नहीं कार्यक्रम सहायक (कंप्यूटर)</p>
<p>कार्यक्रम सहायक (कंप्यूटर) (टी-4, वेतन बैंड - 2) ग्रेड वेतन रु. 4200/- वेतनमान रु. 9300 - 34800/-</p>	<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर अनुप्रयोग/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता वाछंतीय : कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में 2-3 सालों का कार्य अनुभव</p>	<p>आईसीएआर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम सहायक (कंप्यूटर) के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)</p>	<p>i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग) कोई साक्षात्कार नहीं</p>
<p>फार्म प्रबंधक (टी-4, वेतन बैंड - 2) ग्रेड वेतन रु. 4200/- वेतनमान रु. 9300 - 34800/-</p>	<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता वाछंतीय : 1. फार्म प्रबंधन में 2-3 सालों का कार्य अनुभव 2. कंप्यूटर अनुप्रयोगों का कार्यकारी ज्ञान</p>	<p>आईसीएआर द्वारा निर्धारित फार्म प्रबंधक के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)</p>	<p>i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान, भाषा ज्ञान) iii अहर्ता विषयक कंप्यूटर दक्षता कोई साक्षात्कार नहीं</p>
<p>सहायक (टी-4, वेतन बैंड - 2) ग्रेड वेतन रु. 4200/- वेतनमान</p>	<p>अनिवार्य : कंप्यूटर अनुप्रयोगों के कार्यकारी ज्ञान सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि</p>	<p>सहायक के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)</p>	<p>i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (अभिरुचि परीक्षा, सामान्य ज्ञान, भाषा</p>

रु. 9300-34800/-	वाछनीय : 2-3 सालों का कार्य अनुभव		ज्ञान) iii अर्हता विषयक कंप्यूटर दक्षता कोई साक्षात्कार नहीं
आशुलिपिक ग्रेड - III (वेतन बैंड - 1) वेतनमान रु. 5200-20200/-	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त बार्डे या विश्वविद्यालय से 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण पेशेगत दक्षता : अभ्यर्थी को दस मिनट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी या अंग्रेजी में श्रुतिलिखन परीक्षा देनी होगी। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प चयनित करता है, उसके लिए 50 मिनटों में कंप्यूटर पर सामग्री का लिप्यंतरण करना अपेक्षित है। और जो अभ्यर्थी हिंदी में परीक्षा देने का विकल्प चयनित करता है, उसके लिए 65 मिनटों में कंप्यूटर पर सामग्री का लिप्यंतरण करना अपेक्षित है।	आईसीएआर द्वारा निर्धारित आशुलिपिक ग्रेड - III के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)	i अंक कार्ड ii लिखित परीक्षा (अभिरुचि परीक्षा, सामान्य ज्ञान भाषा ज्ञान) iii अहर्ता विषयक आशुलिप्यन और कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा कोई साक्षात्कार नहीं
चालक (टी-1, वेतन बैंड - 1) ग्रेड वेतन रु. 2000/- वेतनमान रु. 5200 - 20200/-	अनिवार्य अर्हता : i किसी मान्यता प्राप्त बार्डे से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण ii निर्धारित सरकारी प्राधिकार (जैसे डीटीओ) से जारी वैध और उपयुक्त चालक लाइसेंस का धारक होना ध्यातव्य : अभ्यर्थी को समुचित समिति द्वारा ली जाने वाली व्यावहारिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी वाछनीय : i संबद्ध क्षेत्र में आईटीआई से एक साल का ट्रेड प्रमाणपत्र ii मान्यता प्राप्त संस्थान में चालक के रूप में सेवारत रहने का अनुभव iii मोटर मैकेनिक कार्य का अनुभव	आईसीएआर द्वारा निर्धारित चालक के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)	i चालक विषयक आधारभूत परीक्षा ii चिकित्सा जाँच iii अहर्ता विषयक चालक कौशल परीक्षण
दक्ष सहयोग कर्मी (वेतन बैंड - 1) ग्रेड वेतन रु. 1800/- वेतनमान रु. 5200 - 20200/-	अभ्यर्थी हाई स्कूल (10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण हो और उसे साईकिल चलानी आनी चाहिए	आईसीएआर द्वारा निर्धारित दक्ष सहयोग कर्मी के भर्ती नियमों के सदृश्य (स्तंभ - 2 में जैसा निर्धारित है)	

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 7 of 2017)

No. 80/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the Mode of Constitution of Selection Committee and Qualification for non-academic staff in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause 18 (8) read with Clause 21(2) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University First Statutes and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the Recruitment Rules of all staff of the Krishi Vigyan Kendra of the University enclosed at Annexure-1 of this Ordinance.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

Proposed Recruitment Rules for Recruitment of Scientists and Staff of KVKs under DRPCAU, Pusa

Post	Qualification prescribed by ICAR	To be adopted by DRPCAU	Recruitment procedure to be adopted
1	2	3	4
<p>Programme Coordinator / Sr. Scientist and Head (PB -4, GP Rs. 9000/-). Pay scale- Rs. 37400-67000/- N.B.- (Incumbents with less than three years of service as-Associate Prof.-cum-Senior Scientist – (Pay scale- Rs. 37400-67000/- GP Rs. 8000)</p>	<p>Essential Qualification For discipline other than Engineering Subject Doctoral Degree in relevant subject including relevant sciences with 8 years experience in the relevant subject as Scientist/Lecture/Extension Specialist or in equivalent position in the PB -3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of 5400/6000/7000 Rs. 8000 having made contribution to Research/Teaching/Extension Education as evidenced by published work/Innovation and Impact For Engineering Disciplines Doctoral Degree in relevant subject with 6 year experience as Scientist/Lecturer/Extension Specialist or in equivalent position in the pay band -3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of 5400/6000/7000 Rs. 8000 having made contribution to Research/Teaching/Extension Education as evidence by published work/Innovation and Impact Or Masters Degree in relevant Engineering Subject with 10 year experience as Scientist/lecturer Extension Specialist or in an equivalent position in the pay band -3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of 5400/6000 /7000 Rs. 8000 having made contribution to Research/Teaching/ Extension Education as evidence by published work / Innovation and Impact Desirable: - Specialization in implementing Extension Education Programme</p>	<p>Same as the Recruitment rules for recruitment of Associate Professors / Senior Scientists by ICAR/ASRB. (As prescribed in Column-2)</p>	<p>i) Score card ii) Presentation iii) Interview</p>
<p>Subject Matter Specialist (T-6, PB-3) GP- Rs. 5400 Pay scale- Rs. 15600-39100/-</p>	<p>Essential: Masters Degree in relevant field or equivalent qualifications from a recognize university (NET is not required for this post) Desirable: 2-3 years' working experience in subject concerned; Working Knowledge of computer; Ph.D. in relevant subject as specified.</p>	<p>Same as the Recruitment rules for recruitment of Assistant Professors / Junior Scientists by ASRB. (As prescribed in Column-2)</p>	<p>i) Score card ii) Written exam (Subject matter + General Knowledge + Language) iii) Presentation iv) Interview.</p>
<p>Programme Assistant (Lab Technician) (T-4, PB-2) Grade Pay Rs. 4200 Pay scale- Rs. 9300-34800/-</p>	<p>Essential: Bachelor's degree in Agriculture/ Horticulture or Equivalent qualifications from a recognized university Desirable: 1. 2-3 years' working experience in laboratory & maintenance of equipments; 2. Working Knowledge of Computer Applications;</p>	<p>Same as the Recruitment rules for recruitment of Programme Assistant (Lab Technician) by ICAR. (As prescribed in Column-2)</p>	<p>i) Score card ii) Written Exam (Subject matter + GK+ Language) iii) Computer Proficiency as qualifying. No interview</p>
<p>Programme Assistant (Computer) (T-4, PB-2) Grade Pay Rs. 4200 Pay scale- Rs. 9300-34800/-</p>	<p>Essential: Bachelor's degree in Computer Science/ Computer Application/ Information Technology or Equivalent qualifications from a recognized university Desirable: 2-3 years' working experience in Computer Applications or IT Management</p>	<p>Same as the Recruitment rules for recruitment of Programme Assistant (Computer) by ICAR. (As prescribed in Column-2)</p>	<p>i) Score card ii) Written Exam (Subject matter + GK+ Computer Programming). No interview</p>
<p>Farm Manager (T-4, PB-2) Grade Pay Rs. 4200 Pay scale- Rs. 9300-34800/-</p>	<p>Essential: Bachelor's degree in Agriculture or Equivalent qualifications from a recognized university Desirable: 2-3 years' working experience in Farm Management; Working Knowledge of Computer Applications;</p>	<p>Same as the Recruitment rules for recruitment of Farm Managers by ICAR. (As prescribed in Column-2)</p>	<p>i) Score card ii) Written Exam (Subject matter + GK+ Language) iii) Computer Proficiency as qualifying No interview</p>

Assistant (T-4, PB-2) Grade Pay Rs. 4200 Pay scale- Rs. 9300-34800/-	Essential: Bachelor's degree from a recognized university with Working Knowledge of Computer Applications Desirable: 2-3 years' working experience.	Same as the Recruitment rules for recruitment of Assistant. (As prescribed in Column-2)	i) Score card ii) Written exam (Aptitude test+ GK +Language) iii) Computer proficiency as qualifying. No interview
Stenographer Gr.III (PB-1) Pay scale- Rs. 5200-20200/-	Educational: 12 th Class pass or equivalent from a recognized Board or University Professional Efficiency: The candidate will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 w.p.m. (i.e. words per minute) for 10 minutes. The candidates, <i>who opt to take the Test in English</i> , will be required to transcribe the matter in 50 minutes on computer, and, the candidates <i>who opt to take the test in Hindi</i> , will be required to transcribe the matter in 65 minutes on the computer.	Same as the Recruitment rules for recruitment of Stenographer Gr.III by ICAR. (As prescribed in Column-2)	i) Score card ii) Written exam (Aptitude test+ GK + Language) iii) Stenography and Typing test on computer as qualifying. No interview
Driver (T-1, PB-1) Grade Pay- Rs. 2000/- Pay scale-Rs. 5200-20200/-	Essential Qualification i. Matriculation pass qualification from a recognized Board; ii. Possession of a valid and appropriate Driving License from prescribed Govt. authority (i.e. DTO) [Note: the candidate will have to pass the practical skill test to be taken by an appropriate Committee] Desirable: 1 One year trade certificate in the relevant field from ITI or 2 Experience of Driving in recognize Institution, or 3 Experience of Motor machine Work.	Same as the Recruitment rules for recruitment of Drivers by ICAR. (As prescribed in Column-2)	i) Written test on elementary driving ii) (Medical test iii) Driving skill test as qualifying.
Skilled Supporting Staff (PB-1), Grade Pay-Rs.1800/- Pay scale-Rs. 5200-20200/-	High School (Tenth class) pass and should know cycling.	Same as the Recruitment rules for recruitment of SSS by ICAR. (As prescribed in Column-2)	

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 08/2017)

सं. 81/डॉ०आर०प्र०के०कृ०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रबंध परिषद की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ० सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विभिन्न संकायों में विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक तथा अनुसंधान एवं प्रसार में उनके समकक्ष के अहर्ता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा इस अध्यादेश के परिशिष्ट-1 पर संलग्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के शैक्षणिक पदों (विभिन्न संकायों में विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा — 848125

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

सेवा और नियुक्ति नियम (शैक्षणिक कर्मचारी) 2017

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत संविधि 12.3 और 12.4 (III) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की प्रबंध बोर्ड इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के नियमन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती और स्वीकार करती है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

(i) इन नियमों को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा सेवा और नियुक्ति नियम (शैक्षणिक कर्मचारी), 2017 के नाम से पुकारा जा सकता है।

(ii) ये नियम अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित होने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 से है।

(ख) 'बीओएम' ('BOM') का तात्पर्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की प्रबंध बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) से है।

(ग) 'विभागीय अभ्यर्थी' से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो नियमित आधार पर इस विश्वविद्यालय में सेवारत हों किंतु इनमें तदर्थ कर्मचारी, दैनिक मेहनताने पर कार्यरत कर्मचारी या अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

(घ) 'सरकार' से तात्पर्य केंद्र सरकार या भारत सरकार से है।

(ङ) विश्वविद्यालय के 'शैक्षणिक कर्मचारियों' या 'शिक्षकों' से तात्पर्य प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से हैं और ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें ज्ञान के प्रचार-प्रसार, शोध के संचालन या शैक्षणिक प्रसार हेतु विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय संचालित किसी महाविद्यालय या संस्थान में नियुक्त किया जा सकता है और जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शिक्षक का पदनाम दिया जाता है।

(च) 'परिवीक्षाधीन' उस व्यक्ति से संबद्ध है जिसे किसी पद पर इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है।

(छ) 'नियमित सेवा' से तात्पर्य अनुबंध/दैनिक वेतन/अस्थायी/तदर्थ रूप से सेवारत कर्मचारियों को छोड़कर नियमित आधार पर अपने संवर्ग में किसी कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवा से है।

(ज) 'संविधि', 'अध्यादेश' और 'विनियमन' से तात्पर्य क्रमशः उन संविधियों, अध्यादेशों और विनियमनों से है जिन्हें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत निर्मित किया जाता है।

(झ) 'चयन समिति' से तात्पर्य चयन समिति के सदस्यों के एक संघटन से है जिसमें संविधियों/अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट और जहाँ विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, वहाँ इन नियुक्ति नियमों के अनुसार निर्धारित 'विभागीय पदोन्नति समिति' भी शामिल है।

(ञ) 'विश्वविद्यालय' से तात्पर्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा है।

3. अधिनियम का प्रसार

ये नियम निर्देशक, संकाय अधिष्ठाता और उप निर्देशक समेत समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकार

शैक्षणिक पदों के लिए नियुक्ति का प्राधिकार प्रबंध बोर्ड के पास होगा।

5. अनुसूची

विभिन्न पदों के लिए पदों के नाम, उनका वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताओं का विवरण, अनुभव, आयु सीमा इत्यादि और पद के संदर्भ में कोई अन्य प्रासंगिक सूचना संलग्नक II

6. नियुक्ति की पद्धति

विश्वविद्यालय में निवर्तमान विभिन्न शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय के इन नियमों के अनुसार नियुक्ति की पद्धति निम्नानुसार होगी:-

(क) सीधी नियुक्ति

(ख) पदोन्नति

(ग) प्रतिनियुक्ति

7. शैक्षणिक पदों की सभी श्रेणियों के लिए विज्ञापन देने और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रियाएँ**I. विज्ञापन का प्रकाशन**

स्थायी प्रकृति के रिक्त शैक्षणिक पदों, योजनाबद्ध शैक्षणिक पदों, अस्थायी प्रकृति के शैक्षणिक पद जिनके जारी रहने की संभावना हो, निश्चित अवधि या प्रतिनियुक्ति वाले शैक्षणिक पदों के लिए समुचित समय पर विज्ञापन दिया जाएगा। यह विज्ञापन दो अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में से कम से कम एक में और रोजगार समाचार को वरीयता देते हुए दिया जाएगा। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय, पूसा की वेबसाइट www.pusvarsity.org.in के अतिरिक्त डीएआरई और आईसीएआर की वेबसाइटों पर भी यह दिया जाएगा। किसी प्रदत्त पद पर अपनी उम्मीदवारी का वैयक्तिक निवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अपने आवेदन (विज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रारूप में) मय आवश्यक संलग्नकों के निर्धारित शुल्क (अगर कोई हो) के साथ निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर जमा करा सकते हैं।

ज्ञातव्य : (i) विश्वविद्यालय के कुलपति के विवेक से सिर्फ वेबसाइट पर अधिसूचित करके अंतिम तिथि आगे खिसकाई जा सकती है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को वेबसाइट के सतत् संपर्क में रहना चाहिए।

(ii) लघु अवधि/आनुबंधनिक नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति के आवेदन प्रचार-प्रसार के किसी दूसरे माध्यम से भी आमंत्रित किये जा सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचनापट्ट पर परिपत्र या अधिसूचना डालकर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

(iii) किसी पद के लिए स्तंभ संख्या 10 में प्रावधानों का उल्लेख न किये जाने पर विश्वविद्यालय अपने विवेक से समुचित औचित्य के साथ विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए किसी रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति या किसी अन्य माध्यम से भरना तय कर सकता है।

II. विज्ञापन जारी करने की तिथि

प्रत्येक मामले में पदों की विद्यमानता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन जारी करने की तिथि निर्धारित की जानी चाहिए।

III. अगर किसी पद आवेदन करने की अंतिम तिथि से 12 महीने गुजर जाने के बाद भी चयन समिति की बैठक नहीं हुई है तो वह पद सामान्यतः पुनः विज्ञापित किया जाएगा। बशर्ते कि कुलपति के दृष्टिकोण से परिस्थितियाँ ऐसी न हो कि विज्ञापन की वैधता अगले छह महीनों के लिए बढ़ाई जा सके। लेकिन किसी भी मामले में विज्ञापन की वैधता आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से लेकर 18 महीनों से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।

IV. आवेदन प्रपत्र

(क) समस्त पदों पर आवेदन सिर्फ मय बैंक ड्राफ्ट के निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर स्वीकार किए जाएँगे। और इस बैंक ड्राफ्ट की राशि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह बैंक ड्राफ्ट डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार के नियंत्रक के नाम बनाया जाएगा। आवेदन प्रपत्र की कागजी प्रति आवश्यक संलग्नकों और विज्ञापन में दिये गये निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ कुलसचिव या कुलपति द्वारा इस कार्य के लिए नामित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दूसरे किसी अधिकारी को भेजी जा सकती है। आवेदन प्रपत्र और निर्धारित शुल्क के परिव्ययों की सूची समय-समय पर कुलपति द्वारा तय की जाएगी। भारत सरकार के नियमों के अनुसार एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क से छूट होगी।

(ख) आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तिथि होगी। अधूरे आवेदन और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन खारिज कर दिए जाएँगे। किंतु कुलपति अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकारने का आदेश दे सकता है बशर्ते कि सबूत प्रस्तुत किया जाए कि मय संलग्नकों और अपेक्षित बैंक ड्राफ्ट के अभ्यर्थी ने विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि को या अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन डाक से प्रेषित कर दिया था। अगर अंतिम तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को समापन तिथि या अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा।

(ग) पहले से रोजगाररत अभ्यर्थी अपना आवेदन या आवेदन की अग्रिम प्रतियाँ उचित माध्यम से इस प्रकार भेजेंगे कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 30 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय पहुँच जाए।

(घ) आवेदन एक बंद लिफाफे में कुलसचिव या कुलपति द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार - 848125 को प्रेषित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "..... पद हेतु आवेदन" विज्ञापन में उस पद के लिए निर्धारित 'पद कोड :' के साथ लिखा जाना चाहिए।

8. न्यूनतम अर्हता और अनुभव

विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव प्रबंध बोर्ड जैसा तय करती है, वैसा ही इन नियमों से निर्धारित होगा। और यूजीसी/आईसीएआर के दिशा निर्देशों के मद्देनजर समय-समय पर इनमें संशोधन होता रहेगा।

9. आयु सीमा

विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु इन नियमों के समुचित स्तंभ में निर्धारित की गई है। किंतु जहाँ इन नियमों के तहत अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, वहाँ वह वही होगी जो समय-समय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

10. आयु और अनुभव में रियायत

(i) एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी. वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों हेतु आयु, अनुभव इत्यादि विषयक जो रियायतें निर्धारित हैं, उनसे संबद्ध सांविधिक प्रावधान यूजीसी/भारत सरकार के मानकों के अनुसार इन वर्गों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र (इन वर्गों से संबद्ध होने के सबूत के तौर पर) निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। समुचित मामले में इस प्रकार की रियायत पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संवीक्षा समिति (छँटनी समिति) की अनुशंसाएँ इस विषय में भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रासंगिक हों। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी।

(ii) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के नियमित कर्मचारी अगर सीधी भर्ती वाले पदों पर आवेदन करते हैं तो उनके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी।

11. पदों पर आरक्षण

नियुक्ति और पदोन्नति में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार की जो नीति लागू है, उसका ही पालन किया जाएगा।

यात्रा भत्ता (टीए) भुगतान :

अगर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है तो उसे स्वयं के खर्च पर उल्लेखित स्थान और समय पर प्रस्तुत होना पड़ेगा। किंतु एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी. वर्गों के बाहरी अभ्यर्थी अगर साक्षात्कार में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराये की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी के मामले में कोई स्थान रेल से जुड़ा नहीं है तो भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार लघुतम मार्ग का सामान्य बस किराया अदा किया जाएगा। उपर्युक्त छूट एस.सी./एस.टी. के उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/ केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं में हैं।

12. आवेदनों की संवीक्षा

निर्धारित अर्हता और अनुभव न्यूनतम होगा और मात्र यह तथ्य कि एक अभ्यर्थी निर्धारित के सदृश्य अर्हता और अनुभव रखता है, उसे साक्षात्कार में बुलाये जाने का हकदार नहीं बना देगा। विश्वविद्यालय के पास साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय यह विनियमों के तहत इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई की अनुशंसाओं के आधार पर करेगा। संवीक्षा समिति न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं और अनुभवों की तुलना में उच्चतर अर्हताओं और अनुभवों के आधार पर अथवा ऐसी किसी शर्त के आधार पर जिसे वह उचित समझे, अभ्यर्थियों की संख्या को तार्किक सीमा तक साक्षात्कार हेतु सीमित रखने की अनुशंसा कर सकती है। आवेदनों की संवीक्षा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिए :

क. संवीक्षा समिति का गठन

कुलपति समिति के सदस्यों के रूप में दो या दो से ज्यादा विषय विशेषज्ञों को नामित करेगा। इनमें से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और सदस्य संवीक्षा समिति के सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया जाएगा। इस सदस्य का विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं।

संवीक्षा समिति का कोरम अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत तीन का होगा।

ख. अर्हताओं की पूर्ति का प्रारंभिक मूल्यांकन

(i) विश्वविद्यालय प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और एक तुलनात्मक सारणीबद्ध विवरण तैयार करेगा। आवेदन की अग्रिम प्रति के साथ-साथ उचित माध्यम से आवेदन प्रेषण की जो तिथियाँ विज्ञापन में निर्धारित हैं, उन्हीं के अंदर आवेदन प्राप्त होने चाहिए। दोनों मामलों में देर से प्राप्त होने वाले आवेदनों का खारिज कर दिया जाएगा और संवीक्षा के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थियों ने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें उस पद के लिए आवश्यक निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करनी चाहिए। अगर कोई भी अभ्यर्थी एक या ज्यादा आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण नहीं करता तो वह आवेदित पद के योग्य नहीं होगा। प्रारंभिक अंक कार्ड पत्र में उसके नाम के आगे सामान्यतः उल्लेख कर दिया जाएगा - 'अयोग्य' / 'आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण नहीं'। अंक कार्ड के किसी मद में ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किंतु संवीक्षा समिति अकादमिक योग्यताओं और रोजगार के लेखे को विशेषतः ध्यान में रखते हुए अर्हताएँ पुनः सुनिश्चित करेगी।

(iii) विदेश में या भारत से बाहर कार्यरत व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित वेतनमान न होने पर संवीक्षा समिति उनकी योग्यताओं, अनुभव के वर्षों और समकक्ष पदों पर मिले परिलामों का मूल्यांकन करने के उपरांत उनके अंक कार्ड के आधार पर उनकी योग्यता तय करेगी और प्रचलित निर्धारित नियुक्ति नियमों के तहत ऐसे मामलों में अपनी अनुशंसा कर सकती है।

ग. आवेदनों के संवीक्षण हेतु संवीक्षा समिति को दिशा-निर्देश

जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसके लिए मंजूर अंक कार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न योग्यताओं हेतु अंक दिये जाने हैं। संवीक्षा समिति दिशा-निर्देशों का सम्मान करते हुए अंक देने के लिए अधिकार संपन्न है। अंक देने या संवीक्षण के किसी खंड की व्याख्या को लेकर किसी मामले में अगर कोई विभ्रम हो, तो कुलपति योग्यता मापदंड की व्याख्या करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

घ. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को लघु सूचित करना

अ) संवीक्षा समिति/सक्षम प्राधिकार कुल जगहों और कुल अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात सुनिश्चित करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तय करेगा। किंतु यह तय किया जा सकता है कि प्रत्येक पद हेतु अनुपात सामान्यतः 1 : 20 के अधिकतम अनुपात से ऊपर न जाए और 1 : 3 के न्यूनतम अनुपात से नीचे न जाए बशर्त सभी शैक्षणिक पदों पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के लिए संवीक्षण में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किये जाए।

आ) अंतिम चयन अंक कार्ड के अंकों और साक्षात्कार/प्रस्तुति के अंकों को निम्न क्रम में भारांक देते हुए किया जाएगा :

क्र.सं.	पद	प्राप्तांक कार्ड के अंक	लिखित परीक्षा		प्रस्तुति	साक्षात्कार के अंक	समग्र अंक
शैक्षणिक पद							
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा समकक्ष	100	100	50	50	50	400

प्राप्तांक कार्ड, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा।

क्र. सं.	पद	प्राप्तांक कार्ड के अंक	प्रस्तुति	साक्षात्कार के अंक	समग्र अंक
2.	एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष	100	100	100	300
3.	प्रोफेसर अथवा समकक्ष	100	100	100	300
सांविधिक पद					
4.	निदेशक / अधिष्ठाता	100	100	100	300

सांविधिक पदों के लिए चयन समिति चयन प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।

एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हेतु प्राप्तांक कार्ड को 70 प्रतिशत भारांक और साक्षात्कार एवं प्रस्तुति को 30 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा।

13. चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

अ) चयन समिति का गठन समय-समय पर संशोधित होने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत उसके अनुच्छेद 18 (1 एवं 2) के अनुसार किया जाएगा।

आ) चयन समिति की बैठक में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होगा और बराबरी की स्थिति में उसके पास एक निर्णायक मत रहेगा।

14. खुले चयन से सीधी नियुक्ति

i न्यूनतम अर्हता, अनुभव और दूसरी शर्तों से संबद्ध निबंधन और शर्तें संलग्नक के अनुरूप होंगी।

ii आरक्षित वर्गों से आने वाले लोगों के रोजगार के संदर्भ में जो निबंधन और प्रक्रिया भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, उनकी पालना की जाएगी।

iii विश्वविद्यालय में किसी स्थायी पद पर नियुक्ति विधिवत् रूप से गठित चयन समिति द्वारा संवीक्षा समिति के द्वारा योग्य ठहराये गये अभ्यर्थियों पर दी गई संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी।

iv चयन समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तुति और साक्षात्कार के लिए कुल अंकों में से समुचित अंक देगा। सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों का औसत ही प्रस्तुति और साक्षात्कार में किसी अभ्यर्थी को प्राप्त अंक माना जाएगा। बराबरी के मामले में समिति तर्क देते हुए उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करेगी।

v साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए समिति अपनी पद्धति का खुद निर्णय करेगी।

vi चयन समिति एक चयनित सूची और एक आरक्षित सूची बनाएगी। चयनित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित कुल पदों/रिक्तियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चयन समिति जो आरक्षित सूची बनाएगी, उसमें 2-3 नाम होंगे। आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का पैनल सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होगा। और विश्वविद्यालय आरक्षित पैनल से अनुवर्ती रिक्तियों पर नियुक्ति का अधिकार रखता है। नियुक्ति के लिए दिये गये अनुबंधित समय में अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल के अंदर अभ्यर्थी के पद त्याग या उसके देहांत हो जाने या किसी भावी समकक्ष रिक्ति के कारण यह इसप्रकार की अनुवर्ती रिक्ति पैदा होती है।

vii विश्वविद्यालय के पास चयन के समय पदों को घटाने-बढ़ाने का अधिकार होगा।

viii दो या दो से अधिक पदों पर एक ही दिन चयन के मामले में सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता को मद्देनजर रखते हुए ही निरपवाद रूप से अनुशांसा की जाएगी।

ix चयन समिति की अनुशांसाएँ प्रबंध बोर्ड को सौंपी जाएंगी और प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन उपरांत ही नियुक्ति के आदेश जारी होंगे।

x चयन समिति की अनुशांसाओं के आधार पर प्रबंध बोर्ड अपने विवेक से भारत सरकार के नियमों में जैसा स्वीकृत है, उसप्रकार से किसी बाहरी संगठन से कार्यभार ग्रहण करने वाले किसी अभ्यर्थी को एकमुश्त लाभ दे सकती है या उसके वेतन को संरक्षित कर सकती है। वह ऐसा उन मामलों में कर सकती है जिनमें अभ्यर्थी के पास चयन समिति की संतुष्टि लायक उच्चतर योग्यता, अनुभव, उच्चतर वेतनमान और पेशेगत विशेषज्ञता हो।

xi प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन मिलने पर चयन समिति की अनुशांसाएँ अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होंगी।

15. प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति वाले मामले में पदधारक को अधिकतम पाँच सालों की अवधि के लिए या उस विशिष्ट वर्ग के संदर्भ में उसकी सेवानिवृत्ति की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो, उस अवधि तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर आरंभ में दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति दी जा सकती है जिसे वार्षिक आधार पर अधिकतम पाँच सालों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर संतोषजनक प्रदर्शन, सौम्य व्यवहार और उच्च ईमानदारी रहे। किंतु विश्वविद्यालय के पास पदधारक को किसी भी समय, यहाँ तक कि निर्धारित समय से पूर्व भी वापिस लौटाने का अधिकार होगा। ऐसा उन मामलों में होगा जब पदधारक का कार्य निष्पादन, प्रतिबद्धता और व्यवहार किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकार की नजर में असंतोषजनक पाया जाता है या जिस अधिकार की खाली जगह पर प्रतिनियुक्त पदधारक कार्य कर रहा है, वह वापस लौट आता है।

16. पेशेगत तरक्की के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पदोन्नति के मानक/विनियमन

पेशेगत तरक्की अंतर्गत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पदोन्नति समय-समय पर संशोधित और डीएआरई/आईसीएआर द्वारा निर्धारित उन मानकों/विनियमनों से संचालित होगी जो प्रचलन में हैं।

17. परिवीक्षा अवधि और स्थायीकरण

i. परिवीक्षा की अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 साल की होगी जिसे सक्षम प्राधिकार के विवेक से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सक्षम प्राधिकार को संतुष्ट करते हुए परिवीक्षा की अवधि पूर्ण करने में प्राप्त असफलता उस शिक्षक या शिक्षिका को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से सेवा समाप्ति के दायरे में ले आएगी।

ii. दो साल की समाप्ति पर स्वतः ही स्थायीकरण हो जाएगा बशर्ते कि किसी विशिष्ट आदेश से उसे बढ़ाया न जाए।

iii. इस खंड के तहत विश्वविद्यालय/संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की विधिवत प्रक्रिया उपरांत पदधारक को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर स्थायीकरण का आदेश जारी करे।

iv. परिवीक्षा और स्थायीकरण पर समय-समय पर संशोधित होने वाले केंद्र सरकार के दूसरे सभी नियम ज्यों की त्यों लागू होंगे।

v. परिवीक्षा अवधि समाप्ति के 40 दिनों के अंदर परिवीक्षाधीन शिक्षक के स्थायीकरण का मामला प्रबंध बोर्डके समक्ष रखना कुलसचिव का कर्तव्य होगा।

vi. तब प्रबंध बोर्ड उस शिक्षक/शिक्षिका को या तो स्थायी कर सकता है अथवा उसे स्थायी न करने का निर्णय ले सकता है या परिवीक्षा की अवधि इसप्रकार बढ़ा सकता है कि वह कुल मिलाकर बारह महीने से ज्यादा न बड़े।

vii. जिस मामले में प्रबंध बोर्ड किसी शिक्षक की नौकरी स्थायी न करने का निर्णय लेती है, चाहे वह यह निर्णय उसकी परिवीक्षा के 24 महीने खत्म होने से पहले ले या परिवीक्षा के बढ़ाये गये समय के बाद ले, चाहे जो भी स्थिति हो, उसे उस अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले ही इस निर्णय के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा।

viii. बशर्ते किसी शिक्षक को स्थायी न करने के निर्णय हेतु प्रबंध बोर्ड के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत इस निर्णय के लिए अपेक्षित होगा।

ix. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी अपने पद पर तब तक स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता/करती।

x. बाहरी रोजगार का कोई भी आवेदन सामान्यतः परिवीक्षा अवधि में अग्रोषित नहीं किया जाएगा। जिस मामले में विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से उसके अनुरोध पर विचार करता है, उस मामले में आवेदन को अग्रोषित करते हुए एक शपथपत्र लिया जाएगा कि वह दूसरे विभाग में अपनी नियुक्ति की स्थिति में त्यागपत्र दे देगा/देगी।

18. सेवानिवृत्ति की आयु

i. विश्वविद्यालयी सेवा का हर स्थायी शिक्षक/शिक्षिका इस सेवा में बना रहेगा/रहेगी जब तक कि वह डीएआरई/आईसीएआर द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सेवा निवृत्ति की उम्र पर नहीं पहुँच जाता/जाती।

ii. आगे यह सूचित किया जाता है कि अगर किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि अकादमिक सत्र के दौरान किसी भी समय पड़ती है तो विभाग या महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कुलपति की अनुशांसा पर प्रबंध बोर्ड अकादमिक सत्र के अंत तक उस शिक्षक की किसी भी अवधि के लिए पुनःनियुक्ति कर सकती है।

iii. किसी शिक्षक/शिक्षिका के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर भी विशेष मामले में उसे अनुबंध पर पुनः बहाल किया जा सकता है। यह नियुक्ति इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये विनियमनों को ध्यान में रखते हुए या समय-समय पर डीएआरई/आईसीएआर द्वारा जारी विनियमनों के अनुसार की जाएगी।

19. अनुशासनात्मक/सतर्कता अनापत्ति रपटें

i. जो अभ्यर्थी पहले से सेवारत है, उसे अपने नियोक्ता या नियोक्ता द्वारा अधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित या अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा साक्षात्कार के समय उसे सतर्कता अनापत्ति रपट भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए।

ii. योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना या किसी दस्तावेज को इरादतन छिपाना या अन्यथा एक अभ्यर्थी के रूप में नकली दस्तावेज देना या आवेदन में गुमराह करने वाला बयान/सूचना देना या दस्तावेजों के साथ हेरफेर करना या उपलब्धियों, जाति, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव या निवास स्थान इत्यादि के बारे में ऐसी भ्रामक सूचना देना — ऐसे किसी मामले में विश्वविद्यालय के सतर्कता अधिकारी को छानबीन या पूछताछ करने का अधिकार होगा। और वह इस संदर्भ में नियुक्तिप्रक्रिया या रोजगार के दौरान किसी भी समय नियमानुसार अपनी रपट आगे की कार्रवाई हेतु प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

20. कठिनाइयों का निवारण

i. इन नियमों के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रबंध बोर्ड समय-समय पर इस प्रकार के सामान्य और विशिष्ट निर्देश देगा जो आवश्यक हो सकते हैं।

ii. इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मसलों से जुड़े समस्त मौजूदा नियम और आदेश अप्रभावी हो जाएंगे किंतु पहले ही उठाया जा चुका कोई कदम या ऐसे मौजूदा नियमों अंतर्गत हो रही अनुपालना को इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई के रूप में समझा जाएगा।

21. व्याख्या

इन नियमों के किसी खंड को लेकर पैदा किसी प्रकार की बहुअर्थता या स्पष्टता के अभाव में प्रबंध बोर्डका निर्णय अंतिम होगा।

22. नियमों में संशोधन

इनमें से किसी एक या सभी नियमों में संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, रद्दीकरण, निलंबन और छूट के लिए प्रबंध बोर्ड के पास प्राधिकार रहेगा। प्रबंध बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी होगा।

23. अवशिष्ट मसले

ऐसे सभी मसले जिनके बारे में इन नियमों में विशेषतः प्रावधान नहीं है, उनके संदर्भ में अपने कर्मचारियों के लिए डीएआरई/आईसीएआर द्वारा निर्धारित या अपने कर्मचारियों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा तय और समय-समय पर संशोधित इसी प्रकार के सदृश्य प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। किसी मामले में इन नियमों का कोई विशिष्ट प्रावधान अगर अधिनियम या संविधि के किसी भी प्रावधान से टकराता है तो अधिनियम या संविधि का प्रावधान ही प्रभावी होगा और इन नियमों का प्रावधान अप्रभावी हो जाएगा।

24. भारत में या बाहर विदेश में सेवा करना अधिकारी का दायित्व

नियुक्त किया गया अधिकारी भारत या भारत से बाहर कहीं भी सेवा देने के लिए बाध्य होगा।

25. न्यायिक क्षेत्र

विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी भी अदालती मामले या कानूनी कार्यवाई की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उस राज्य के उच्च न्यायालय तक सीमित रहेगा जहाँ वह विवाद खड़ा होता है।

26. सेवा की प्रकृति:— चयनित अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय की ऐसी गतिविधियों में हाथ बटायेगा और विश्वविद्यालय में ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो समय-समय पर लागू अधिनियम, संविधि और अध्यादेशों के अनुसार अपेक्षित हो सकते हैं। इन कर्तव्यों में चाहे शिक्षण, शोध, विस्तारित शिक्षण, विद्यार्थियों की परीक्षा, उनके अनुशासन, उनके कल्याण से जुड़े कर्तव्य हों या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के निर्देशों के अंतर्गत सामान्यतः कार्य करना हो और चाहे इसी प्रकार के प्रशासनिक, निगमिय कर्तव्य हों — इन सबकी पालना अपेक्षित होगी।

27. वेतनवृद्धि

प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिका अपने वेतनमान में वृद्धि का अधिकारी होगा/की अधिकारिणी होगी बशर्ते कि किसी शिक्षक/शिक्षिका को अपना लिखित पक्ष रखने का विधिवत अवसर देने के उपरांत प्रबंध बोर्डद्वारा किसी प्रस्ताव के तहत उसकी वेतनवृद्धि को रोका न गया हो या लंबित न रखा हो।

28. संरक्षण प्रावधान

इन नियमों के तहत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आरक्षण, उम्र सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई असर पड़े जिन्हें भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति, पूर्व सैनिक और दूसरे विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान करना अपेक्षित हो।

29. नियुक्ति के सामान्य निबंधन और शर्तें

i. अर्हता शर्तें पूरी करने मात्र से कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकारी नहीं होगा। हर स्थिति में सभी उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारण की तिथि आवेदन प्राप्ति की विज्ञापन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि होगी। दूसरे शब्दों में किसी विशिष्ट पद पर आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम अर्हता और अनुभव आदि न रखने वाले किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

ii. विज्ञापन द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अनिवार्य/अपेक्षित अर्हताएँ और अनुभव रखने के अतिरिक्त अंतिम तिथि के उपरांत अर्जित किसी भी अतिरिक्त अर्हता और अनुभव पर चयन के समय विचार किया जा सकता है। किसी विशिष्ट पद हेतु इन नियमों में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव की गणना जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार एक क्षेत्र विशेष या एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को परिगणित करते हुए की जा सकती है।

iii. जो उम्मीदवार पहले से नौकरी में है, उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से जमा करना होगा। किंतु वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकता/सकती है और उसे आवेदन पत्र/अग्रिम आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से तीस दिनों के अंदर अपने नियोक्ता से एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अभाव में उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का आवेदन अपेक्षित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकार से विधिवत् रूप से प्रमाणित सी. आर. दस्तावेजों के साथ नियोक्ता से उचित माध्यम से अग्रेषित कराया जा सकता है।

iv. जिस पद पर उम्मीदवार आवेदन कर रहा/रही है, उसके लिए निर्धारित अर्हता, अनुभव आदि के अनुसार अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना और विधिवत् रूप से भरे गये अपने आवेदन को विज्ञापन अनुसार अपेक्षित सूचनाओं, दस्तावेजों और दूसरी सहायक सामग्रियों के साथ जमा करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, नकली दस्तावेज देना, गुमराह करने वाला बयान/सूचना देना या उम्मीदवार की कोई और अनापेक्षित गतिविधि उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने वाली होगी। किसी मामले में अगर नियुक्ति के बाद भविष्य में भी समय के किसी बिंदु पर इसका पता लगता है कि उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार योग्य न था और जिसका साक्षात्कार के दौरान पता लगाया न जा सका था, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो उसकी नियुक्ति इस खंड के मुताबिक और उसके शपथपत्र के आधार पर भी अविलंब बर्खास्तगी का विषय होगी। इसका उल्लेख नियुक्ति पत्र पर साफ-साफ किया जाना चाहिए। नियुक्ति के सामान्य नियमों और किसी पद विशेष की अर्हताओं को लेकर किसी भी अस्पष्टता के संदर्भ में प्रबंध बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

v. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों प्रमाणपत्रों/दावों इत्यादि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार/स्रोतों द्वारा उनके सत्यापन के अधीन होगी। अगर कोई दावा/प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन के किसी भी स्तर पर नियुक्ति के पहले या बाद में झूठा/नकली/त्रुटिपूर्ण/जाली पाया जाता है तो सवालों के घेरे में आये उस दस्तावेज को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ इस कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई में शामिल है उसकी उम्मीदवारी खारिज कर देना और अगर उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, तो यह कार्रवाई उसके रद्दीकरण का हेतु बनेगी।

vi. नियुक्तिप्रक्रिया या रोजगार के किसी भी स्तर पर अगर पाया जाता है कि योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना को इरादतन छिपाया गया है या अन्यथा एक अभ्यर्थी के रूप में नकली दस्तावेज दिये गये हैं या आवेदन में गुमराह करने वाला बयान/सूचना दी गई है या दस्तावेजों के साथ हेरफेर की गई है या उपलब्धियों, जाति, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव या निवास स्थान इत्यादि के बारे में ऐसी भ्रामक सूचना दी गई है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी और अगर उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, तो तुरंत प्रभाव से उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी।

vii. किसी भी पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति समय-समय पर संशोधित प्रस्तुत अधिनियम/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमनों/नियमों के तहत और विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की प्रस्तावनाओं द्वारा शासित होगा जिनके तहत ही सेवा शर्तें और नियुक्तिप्रक्रिया नियंत्रित होगी। भारत सरकार के नियम/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर ग्रहण किये जाने वाले डीएआरई/आईसीएआर के दिशा निर्देश भी नियुक्त व्यक्ति पर लागू होंगे।

viii. शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के चरित्र का पूर्ववृत्त पुलिस/उप जिलाधीश/आयुक्त इत्यादि से सत्यापित कराया जाएगा। प्रतिकूल जाँच परिणाम की स्थिति में बिना किसी नोटिस के नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

ix. चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ लें। और नियुक्ति के समय निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत् रूप से इस प्रकार का प्रतिज्ञापन करें।

x. नियुक्ति होने पर निर्धारित प्रारूप में उसे अपनी वैवाहिक स्थिति की घोषणा करनी होगी। एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने की स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी बशर्ते कि इस संदर्भ में उसे इस बाध्यता से छूट न मिली हो।

xi. चयनित अभ्यर्थियों को अपने पद पर नियुक्ति से पूर्व इस पद के लिए अपेक्षित चिकित्सकीय योग्यता की जाँच हेतु विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की चिकित्सकीय जाँच/परीक्षण से होकर गुजरना होगा। अगर अधिकृत चिकित्सकीय प्राधिकारियों द्वारा उसे सक्षम नहीं पाया जाता तो नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा। सरकार या स्वायत्त निकायों के अंतर्गत पहले से सेवारत अभ्यर्थी अपने नियोजता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है कि प्रथम नियुक्ति के समय उसे स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

xii. नियुक्ति/आबंधन के निबंधन और शर्तें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/आबंध पत्र में सूचित की जाएंगी। नियुक्ति/आबंध पत्र में उल्लेखित निबंधनों और शर्तों को अगर उम्मीदवार अनुबद्ध समय के अंदर स्वीकार नहीं करता तो नियुक्ति का यह प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा और आगे इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं स्वीकारा जाएगा। सक्षम प्राधिकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह सेवा प्रकृति के क्षेत्र का विस्तार कर दे और किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय यहाँ तक कि रविवार और अवकाश के दिनों तक में कोई भी कर्तव्य सौंप दे। अति आवश्यक सेवा की स्थिति आने पर रात्रिकालीन कार्य भी सौंपा जा सकता है। किसी पद के लिए पहले से अधिसूचित कार्यों में परिगणित न होने पर भी विश्वविद्यालय के हित में किसी भी कर्मचारी को ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यालय में छह कार्य दिवस वाले सप्ताह की समय सारिणी होने के बावजूद विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्याख्यानों की सारिणी, सेवा की आवश्यकता और संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से किसी कर्मचारी को एक सप्ताह में कम या अधिक दिन कार्य करने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखा जा सकता है कि एक सप्ताह के लिए निर्धारित कुल कार्य घंटे भारत सरकार के नियमों अनुसार सभी कर्मचारियों के लिए समान रहें।

xiii. विश्वविद्यालय स्थिति की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय यहाँ तक कि गैर कार्य घंटों / छुट्टियों तक में कोई भी कार्य देने को स्वतंत्र है जिसे कर्मचारी को इस संदर्भ में अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अवश्यमेव निष्पादित करना ही होगा।

xiv. चयनित उम्मीदवार भारत सरकार की 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' से शासित होंगे जिसे पहले नई पेंशन योजना के रूप में जाना जाता था। यह योजना 1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद चयनित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू है। किंतु जो कर्मचारी इस योजना के लागू होने के पहले से ही सेवारत थे, वे उनकी पेंशन का नियमन करने वाली (पूर्व) योजना से ही शासित होंगे।

xv. चयनित उम्मीदवार इस विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमनों/नियमों से और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार की सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 से शासित होंगे। विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के आचरण के नियमन के लिए जो नियम/प्रस्ताव विशेष रूप से निर्धारित किये जाते हैं, वे भी इसके कर्मचारियों पर लागू होंगे।

xvi. शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, आयु, जाति और सिफारिशी पत्रों से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियाँ अपने आवेदन के साथ प्रेषित करनी चाहिए (डीओपीटी ओ.एम. नं. के - 11022/67/2012-एआर, तिथि 10 मई, 2015)।

xvii. नियुक्ति के समय एक सेवा अनुबंध विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के मध्य निष्पन्न होना चाहिए और उसकी एक प्रति कुलसचिव के यहाँ जमा होनी चाहिए। शिक्षक और विश्वविद्यालय के मध्य के लिखित अनुबंध के लिए अपेक्षित है कि उसे विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक - 1) पर दर्ज किया जाए। इसप्रकार के सेवा अनुबंध पर लागू दरों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉप लगाया जाएगा।

xviii. उम्मीदवार को अपनी उम्र, अर्हताओं, अनुभव और जाति विषयक सभी मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय लाने चाहिए। अगर किसी मामले में उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ/छायाप्रतियों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों को जमा करने में असफल रहता है तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी इस संदर्भ में आगे बिना किसी पत्र व्यवहार के रद्द मान ली जाएगी।

xix. (क) विश्वविद्यालय विज्ञापित पदों को भरने या किसी भी कारण से न भरने का पूरा अधिकार रखता है। अगर विज्ञापन के उपरांत किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पद पर कोई रिक्ति पैदा होती है, तो वह रिक्ति उस पद के लिए बने पैनल से चयन समिति की बैठक की तिथि से एक साल के अंदर भरी जा सकती है। किसी भी मामले में चयन समिति की बैठक की तिथि से एक साल बाद हर पैनल अवैध समझा जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय के पास कोई कारण दिये बिना किसी भी समय विज्ञापन को पूर्णतः या अंशतः वापिस लेने का अधिकार है।

(ग) सीधी नियुक्ति के आधार पर पद भरने के लिए चयन समिति से यह अपेक्षा रहेगी कि वह एक चयनित सूची और एक आरक्षी सूची तैयार करे। चयनित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित कुल पदों/रिक्तियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चयन समिति एक आरक्षित सूची भी बनाएगी जिसमें 2-3 नाम होंगे। आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का पैनल सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होगा। और विश्वविद्यालय आरक्षित पैनल से अनुवर्ती रिक्तियों पर नियुक्ति का अधिकार रखता है। नियुक्ति के लिए दिये गये अनुबंधित समय में अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल के अंदर अभ्यर्थी के पद त्याग या उसके देहांत हो जाने या किसी भावी समकक्ष रिक्ति(यों) के कारण यह इस प्रकार की अनुवर्ती रिक्ति पैदा होती है।

(घ) यदि किसी पद/पदों के किसी विज्ञापन को किसी भी कारण से वापिस लिया जाता है तो आवेदक से वसूला गया आवेदन शुल्क या कोई दूसरा शुल्क तरजीह देते हुए 30 कार्य दिवसों के अंदर वापिस कर दिया जाएगा।

xx. (क) अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) अपने पक्ष में की गई किसी भी प्रकार की बहस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य बना देगी।

(ग) आवेदकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रपत्र पर आवेदन करें। खाते में देय ड्राफ्ट वाले अपेक्षित शुल्क रहित प्रत्येक आवेदन नामजूर कर दिया जाएगा।

xxi. डाक में होने वाले किसी भी विलंब के लिए विश्वविद्यालय जबाबदेह नहीं होगा। उम्मीदवार से यह अपेक्षित होगा कि वह संलग्नकों की सूची जमा करे और वह अपने पत्राचार वाले पते और स्थायी पते के संदर्भ में पिनकोड, टेलीफोन नं., सेलफोन नं., ईमेल पता (अगर कोई हो) आदि का पूरा विवरण अपने आवेदन में दे। इस सूचना से समय के किसी भी बिंदु पर संवाद सुकर हो जाएगा।

xxii. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार कुलसचिव या विश्वविद्यालय के किसी अन्य नामित अधिकारी से लिखित में संपर्क कर सकता है। किसी उम्मीदवार की किसी भी शिकायत की स्थिति में, वह उम्मीदवार नियुक्ति विषयक अपनी उस समस्या के समाधान हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित समय रहते अग्रिम रूप में अपनी बात रख सकता है।

30. सेवा निबंधन एवं शर्तों की परिवर्तनीयता

प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय के परिणियमों, अध्यादेशों, विनियमों एवं नियमों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा बनायी गयी पेशगीत सदाचार संहिता (code of professional conduct) के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु एक शिक्षक की नियुक्ति के उपरांत उसके पद, वेतनमान, वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के लाभों, सेवानिवृत्ति की आयु, परिवीक्षा, स्थायीकरण, अवकाश, वैतनिक अवकाश, एवं सेवा से निष्कासन से संबंधित निबंधन एवं शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ताकि उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

31. पेशगीत आचार संहिता

विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गयी आचार संहिता से बाध्य होगा एवं विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित दोष कदाचार की श्रेणी में आयेंगे।

i. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में चूक।

ii. विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों, सहयोगियों, या प्रशासन के विरुद्ध उकसाना (परन्तु शिक्षक का संगोष्ठी अथवा अन्य स्थान पर जहाँ विद्यार्थी उपस्थित हों, अपने सैद्धांतिक मतभेद को अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा।) अथवा ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध हो।

iii. सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त होना अथवा जाति, वंश, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर अपने सहकर्मियों पर अनुचित टिप्पणी करना अथवा अपने स्वार्थ के लिए उपरोक्त में से किसी का प्रयोग करना या ऐसी गतिविधि में लिप्त रहना जो विश्वविद्यालय की गरिमा के विरुद्ध हो।

iv. विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासनिक एवं अकादमिक निकायों या अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर अमल करने से मना करना।

v. किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी में लिप्त रहना जो साहित्यिक चोरी के विधिक अर्थ, व्याख्या और उसकी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

32 .त्यागपत्र

i. एक पूर्णकालिक वेतनभोगी शिक्षक किसी भी समय विश्वविद्यालय को तीन महीने की नोटिस लिखित रूप में देकर या उसके एवज में तीन महीने के वेतन के भुगतान पर विश्वविद्यालय के साथ अपना अनुबंध निरस्त कर सकता है। परिवीक्षार्थियों, सविदात्मक, अस्थायी और तदर्थ शिक्षकों के मामले में नोटिस की अवधि एक माह की होगी या उसके एवज में एक माह के वेतन का भुगतान होगा।

ii. परन्तु प्रबंध बोर्ड अपने विवेकानुसार नोटिस की आवश्यकता का अधित्याग कर सकती है।

33 . अनुबंध

शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के बीच लिखित अनुबंध विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित फार्म में दर्ज करना आवश्यक है (अनुलग्नक - I)

34 . अध्यापन-दिवस, कार्यभार और अवकाश नियम

डी०ए०आर०ई०/आई०सी०ए०आर० एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार अध्यापन दिवसों की संख्या, कार्यभार एवं अवकाश के नियम, अधिशासित होंगे।

35 . अभ्यागत आचार्य, अनुबद्ध अध्यापक और आवासी अध्येताओं की नियुक्ति अध्येताओं

प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से नियमित शिक्षकों के पद के साथ, विश्वविद्यालय के पास अभ्यागत आचार्य, अनुबद्ध अध्यापक और आवासी अध्येताओं की नियुक्ति, एक निश्चित समय के लिए नियुक्ति का, प्रावधान है।

उनके वेतन और सेवा संबंधी नियम निम्नलिखित हैं -

अभ्यागत आचार्य, अनुबद्ध अध्यापक और आवासी अध्येताओं की आवश्यकता का आकलन कॉलेज द्वारा किया जायेगा, फिर इसका प्रस्ताव शैक्षणिक बोर्डके सामने पेश किया जायेगा, जिसकी संस्तुतियों को प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन के पश्चात्, विज्ञापन निकाला जायेगा और विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा।

36.1 अभ्यागत आचार्य

क. एक अभ्यागत आचार्य को अपने विषय का प्रख्यात विद्वान होना चाहिए। सामान्यतः एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेसर के पद पर रह चुका हो या रह रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालयी क्षेत्र से बाहर भी विशेष योग्यता हासिल की हो, को एक अभ्यागत आचार्य के रूप में चयनित करने पर विचार किया जायेगा।

ख. अभ्यागत आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल अधिक से अधिक 2 वर्ष का होगा और न्यूनतम 3 महीने से कम नहीं होगा।

ग. विश्वविद्यालय 70 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति को अभ्यागत आचार्य के रूप में नियुक्त कर सकता है।

घ. एक प्रोफेसर को उसी विश्वविद्यालय में अभ्यागत आचार्य के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें वह सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में किसी पद पर रहा हो।

ङ. यदि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अभ्यागत आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका मानदेय 50,000 रु. प्रति माह से ज्यादा नहीं होगा, या प्रबंध बोर्ड द्वारा जैसा समय समय पर संशोधित किया जायेगा।

च. यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय विश्वविद्यालय में काम करते हुए अभ्यागत आचार्य के रूप में नियुक्त होता है तो उसका मानदेय उसके वेतन के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए, साथ ही मूल वेतनमान का 10 प्रतिशत और महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो स्वीकार्य हों, (वाहन भत्ते को छोड़कर, यदि कोई हो) उसके अपने विश्वविद्यालय की दरों के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।

छ. यह उम्मीद की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी में रहते हुए अभ्यागत आचार्य नियुक्त किया जाता है तो उसका अपना विश्वविद्यालय उसे बिना वेतन के कार्य अवकाश देगा।

ज. यदि कोई व्यक्ति विदेश में स्थायी आधार पर कार्य करते हुए अभ्यागत आचार्य नियुक्त किया जाता है तो विश्वविद्यालय उसकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का खर्च अपने संसाधनों से भुगतान करेगा। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अभ्यागत आचार्य नियुक्त व्यक्ति को भारत में यात्रा खर्च दिया जाना चाहिए।

झ. उन्हें विश्वविद्यालय के अतिथिगृह में मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की जायेगी और उनके कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें कार्य स्थान भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे विद्यार्थियों से और अपने समकक्ष व्यक्तियों से बातचीत कर सकें।

ञ. कुलपति संबंधित व्यक्ति और संबंधित दो विभागों के विभागाध्यक्षों से परामर्श के पश्चात् प्रबंध बोर्ड के पास ऐसे अभ्यागत आचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन करेगा।

36.2 अनुबद्ध अध्यापक

क. किसी भी समय में विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में दो से ज्यादा अनुबद्ध अध्यापक नहीं होंगे।

ख. सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास संस्थाओं से प्रसिद्ध वैज्ञानिक/शिक्षाविद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और व्यापार निगमों से अनुभवी व्यक्ति और विशेषज्ञ और उन्नतशैली कृषकों, शैक्षिक और अनुसंधान योग्यताओं को रखने वाला व्यक्ति ही अनुबद्ध अध्यापक के रूप में, प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग में नियुक्त होने का अधिकारी होगा।

ग. उन्हें विश्वविद्यालय के अतिथिगृह में मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की जायेगी और उनके कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें कार्य स्थान भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे विद्यार्थियों से और समकक्ष व्यक्तियों से बातचीत कर सकें।

घ. अनुबद्ध प्रोफेसर को प्रतिदिन 3000 रु. का मानदेय दिया जायेगा, साथ ही साथ उन्हें यात्रा खर्च भी दिया जायेगा या जैसा प्रबंध बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। ऐसे विशेषज्ञों को एक वर्ष में दो बार बुलाया जाना चाहिए।

ङ. अनुबद्ध अध्यापक की नियुक्ति का कार्यकाल एक शैक्षणिक वर्ष का होगा या 2 सत्र का होगा या एक वर्ष में कम से कम 30 दिन का होगा।

च. अनुबद्ध अध्यापक अनुसंधान परियोजनाओं को विकसित करने में सहयोग करेंगे, विश्वविद्यालय में चल रही गतिविधियों में वैज्ञानिकों की सहभागिता के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे।

छ. कुलपति संबंधित व्यक्ति और संबंधित दो विभागों के विभागाध्यक्षों से परामर्श के पश्चात् प्रबंध बोर्ड के पास ऐसे अनुबंध अध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन करेगा।

36.3 आवासी अध्येता

क. अनुसन्धान और व्यावसायिक संस्थाओं (उदाहरणस्वरूप ICAR, CSIR, ICMR, IITs इत्यादि) से वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति और विशेषज्ञ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यापार निगमों वाले व्यक्ति जो परास्नातक और पीएच.डी. उपाधि और शैक्षिक और अनुसन्धान योग्यता रखते हैं, विश्वविद्यालय के विभाग में आवासी अध्येता होने के योग्य होंगे।

ख. विदेशी संगठनों में काम कर रहे व्यक्ति भी ऐसे पद के अधिकारी होंगे। समानरूप से ये पद गैर-भारतीय व्यवसायियों और विशेषज्ञों के लिए भी खुले होंगे जो भारतीय मुद्रों पर काम कर रहे हैं।

ग. आवासी अध्येताओं की नियुक्ति 6 से 24 महीने के लिए होगी और उन्हें 80,000/- रु. प्रति महीने और 1,00,000 /- रु. प्रति वर्ष की आकस्मिक निधि दी जायेगी या जैसा प्रबंध बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

घ. उन्हें विश्वविद्यालय के अतिथिगृह में मुफ्त आवास सुविधा प्रदान की जायेगी और उनके कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें कार्य स्थान भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे विद्यार्थियों से और समकक्ष व्यक्तियों से बातचीत कर सकें।

ङ. प्रत्येक संकाय में किसी भी समय 2 से अधिक ऐसे विद्वान नहीं होने चाहिए।

च. कुलपति संबंधित व्यक्ति और संबंधित दो विभागों कॉलेजों के विभागाध्यक्षों से परामर्श के पश्चात् प्रबंध बोर्डके पास ऐसे आवासी अध्येताओं की नियुक्ति का अनुमोदन करेगा।

टिप्पणी :-

किसी बिन्दु पर भ्रम होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

परिशिष्ट -1

लिखित नियुक्ति अनुबंध - सेवा अनुबंध

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति एक लिखित संविदा पर होगी, जिसका प्रारूप एतद द्वारा निर्धारित है और इस अध्यादेश में संलग्न है।

(यह अनुबंध 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर टंकित किया जाना है और इसकी एक मूल प्रति और दो प्रतिलिपि प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी हैं।)

सेवा अनुबंध

इस सेवा अनुबंध के नियम भारतीय गणतंत्र के वर्ष 20.....की दिनांकको निष्पादित होते हैं। यह सेवा अनुबंधपुत्र श्री /पुत्री श्री /पत्नी श्रीजिनकी उम्रहै और जोका/की निवासी है, (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे प्रथम पक्ष कहा जायेगा) और डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (जिसे इस अनुबंध के तहत आगे द्वितीय पक्ष कहा जायेगा)के बीच निष्पादित होता है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (जिसे विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किया गया है) ने प्रथम पक्ष को इस पदपर नियुक्त किया है (पदनाम) और प्रथम पक्ष अग्रकृत निबंधनों और शर्तों के तहत विश्वविद्यालय की सेवा करने को तैयार हो गया है

अब उपस्थित गवाह और पक्ष क्रमशः निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं -

1. प्रथम पक्ष विश्वविद्यालय और प्राधिकारी के अधीन समय-समय पर कार्य करेगा, वह इनके आदेश को मानेगा तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (दिनांक) से यहाँ उपस्थित नियमों एवं शर्तों के अधीन सेवारत रहेगा।

2. प्रथम पक्ष अपना पूरा समय और ध्यान कुशलतापूर्वक और ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगायेगा/लगायेगी और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित उस आचरण संहिता समेत सभी नियमों का पालन करेगा/करेगी जो आचरण संहिता विश्वविद्यालय की उस शाखा से सम्बन्ध हो जिसके साथ प्रथम पक्ष सम्बद्ध है। प्रथम पक्ष को विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रदान किये गये कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा

3. प्रथम पक्ष का पद शिक्षक/अधिकारी श्रेणी का होगा और नियुक्ति की तिथि से उसकी स्थिति(विभाग/केंद्र/कार्यालय) में.....(पदनाम) की होगी और वह वर्तमान में(विभाग/केंद्र/कार्यालय) में नियुक्त किया गया है।

4. पहले भाग के पक्ष को इस अनुबंध के प्रभावी होने की तिथि सेरु. के मूल वेतनमान औररु.के ग्रेड पे के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा। प्रथम पक्ष विश्वविद्यालय/सरकार के प्रभावी नियमानुसार सामान्य देय भत्ते का भी हकदार होगा/होगी।

5. प्रथम पक्ष अपने अनुबंध की अवधि के दौरान उस पर लागू नियमों के अनुसार अवकाश अर्जित करेगा।

6. प्रथम पक्ष यदि विश्वविद्यालय के हित में यात्रा करता है तो वह विश्वविद्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता का अधिकारी होगा।

7. इस अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अधिवर्षिता आयु की अवधि के अन्दर तीन महीनों की लिखित अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। आगे सूच्य है कि यदि तीन महीनों का अग्रिम नोटिस न दिये जाने पर अनुबंध तोड़ने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को तीन महीनों में जितने दिन कम पड़ रहे हों, उतने दिन की अवधि के वेतन के समतुल्य राशि देगा।

8. प्रथम पक्ष अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय भविष्य निधि/पेंशन /नई पेंशन योजना से लाभान्वित होगा/होगी।

9. प्रथम पक्ष स्वयं को स्वतः मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसा कि DARE/ विश्वविद्यालय द्वारा द्वारा समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित किया जायेगा।

10. इस अनुबंध में यदि किसी विषय से संबंधित मामले में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके सम्बन्ध में इस अनुबंध के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 (B) एवं 313 के अधीन बनाये गए नियमों या बनाए जाने वाले नियमों के प्रावधानों का सम्मान किया जायेगा और विश्वविद्यालय सेवा के अंतर्गत शिक्षक/अधिकारी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय उस विशिष्ट मामले के सन्दर्भ में जिन अधिनियमों या नियमों का प्रावधान करेगा वे प्रथम पक्ष की सेवा पर उसी सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक अनुच्छेद 309 (B) एवं 313 के तहत स्वीकृति होगी और उनके लागू होने की स्थिति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

गवाहों के साक्ष्य में प्रथम पक्षएवं प्रबंध बोर्डके आदेश एवं निर्देश से, उसके लिए और उसकी ओर से कार्यरत कुलसचिव (नाम) यहाँ भारत गणराज्य के वर्षकी तिथिको इस अनुबंध पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

उपस्थित गवाह 1)
2)

प्रबंध बोर्ड संस्था के तहत विश्वविद्यालय की ओर से हस्ताक्षरित और मोहरबंद

हस्ताक्षर

पदनाम

उपस्थित गवाह 1)
2)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा-848125, बिहार
(डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

अनुबंध-2

अनुसूची

नियुक्ति के नियम (शैक्षणिक कर्मचारी), 2016

क्रमांक संख्या	पद का नाम	समूह	मूल वेतनमान छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार	
			वेतनमान (रु.)	पदक्रम वेतन (रु.)
I	संवैधानिक शैक्षणिक पद			
1	निदेशक शिक्षा	ए	37400-67000	10000
2	निदेशक अनुसंधान	ए	37400-67000	10000
3	निदेशक प्रसार शिक्षा	ए	37400-67000	10000
4	अधिष्ठाता आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय	ए	37400-67000	10000
5	अधिष्ठाता कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय	ए	37400-67000	10000
6	अधिष्ठाता गृह विज्ञान महाविद्यालय	ए	37400-67000	10000
7	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय	ए	37400-67000	10000
8	अधिष्ठाता मत्स्यकी महाविद्यालय	ए	37400-67000	10000
9	पुस्तकालय अध्यक्ष	ए	37400-67000	10000
II	अन्य शैक्षणिक पद	ए		
10	निदेशक योजना	ए	37400-67000	10000
11	निदेशक ईख अनुसंधान संस्थान	ए	37400-67000	10000
12	निदेशक छात्र कल्याण	ए	37400-67000	10000
13	प्रोफेसर	ए	37400-67000	10000
14	एसोसिएट प्रोफेसर	ए	37400-67000	9000
15	सहायक प्रोफेसर	ए	15600-39100	6000
16	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	ए	15600-39100	6000

मुख्य वेतनमान और अन्य लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशानुसार होगा।

सूची

क्र. सं.	पद का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक ईख अनुसंधान संस्थान	20
2.	निदेशक छात्र कल्याण	21
3.	प्रोफेसर	22
4.	एसोसिएट प्रोफेसर	23
5.	सहायक प्रोफेसर	24
6.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	25

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

गन्ना अनुसन्धान केंद्र के निदेशक के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 37400-67000 (वेतन बैंड - 4) +शैक्षणिक ग्रेड वेतन रु.10000
5.	पद पर चयन या अचयन	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	सामान्यतः 60 साल से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (1) कृषि विज्ञान की किसी भी शाखा में पीएच.डी. उपाधि। (2)संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष शिक्षण/अनुसन्धान/प्रसार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष शिक्षण और शोध में होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष प्रोफेसर या इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए। (3) प्रतिष्ठित व्यावसायिक/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों/पुस्तकों/प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान देना। वांछनीय : (1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/कॉलेज/ अनुसन्धान केंद्र में महत्वपूर्ण पद का प्रशासनिक अनुभव। (2)अनुसन्धान परियोजनाओं का आयोजन/मार्गदर्शन। (3) कृषि की दिशा और विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना। नोट : प्रतिनियुक्ति के मामले में भी यही योग्यता लागू होगी।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	-
10.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रहेगा, इनमें से जो भी पहले हो
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: कॉलम 7 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगी
12.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

अंक कार्ड	प्रस्तुति	साक्षात्कार	कुल
100	100	100	300

एसएसआरबी द्वारा आईसीएआर संस्था के निदेशक के लिए निर्धारित अंक कार्ड का प्रयोग होगा। प्रस्तुति चयन समिति के सम्मुख होगी। अंक कार्ड, प्रस्तुति और साक्षात्कार के भारांक क्रमशः 70 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 15 प्रतिशत होंगे।

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
निदेशक छात्र कल्याण के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	निदेशक, छात्र कल्याण
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 37400-67000 (वेतन बैंड - 4) +शैक्षणिक ग्रेड वेतन रु.10000
5.	पद पर चयन या अचयन	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	सामान्यतः 60 साल से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (1) कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान/गृह विज्ञान/कृषि अभियंत्रण /मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में पीएच.डी. उपाधि (2) संबंधित विषय में कम से कम 15 वर्ष का शिक्षण/अनुसन्धान/प्रसार शिक्षा का अनुभव, जिसमें से कम से कम 10 वर्ष शिक्षण और शोध में होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष प्रोफेसर या इसके समकक्ष पद पर होना चाहिए। (3) प्रतिष्ठित व्यावसायिक/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों/पुस्तकों/प्रौद्योगिकी विकास के रूप में उत्कृष्ट योगदान देना। वांछनीय : (1) कृषि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में महत्वपूर्ण पद का प्रशासनिक अनुभव। (2) अनुसन्धान परियोजनाओं का आयोजन/मार्गदर्शन। (3) कृषि की दिशा और विकास के अत्याधुनिक उपकरणों से परिचित होना।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	-
10.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक रहेगा, इनमें से जो भी पहले हो
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति: कॉलम 7 में उल्लेखित समान योग्यता प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगी
12.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

अंक कार्ड	प्रस्तुति	साक्षात्कार	कुल
100	100	100	300

एसएसआरबी द्वारा आईसीएआर संस्था के निदेशक के लिए निर्धारित अंक कार्ड का प्रयोग होगा। प्रस्तुति चयन समिति के सम्मुख होगी। अंक कार्ड, प्रस्तुति और साक्षात्कार के भारांक क्रमशः 70 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 15 प्रतिशत होंगे।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
प्रोफेसर पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	प्रोफेसर
2.	पदों की संख्या	
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 37400-67000 (वेतन बैंड - 4) +शैक्षणिक ग्रेड वेतन रु.10000
5.	पद पर चयन या अचयन	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	सामान्यतः 60 साल से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए (1) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित पीएच.डी. उपाधि (2) संबंधित विषय में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 8 वर्ष एक वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ या इसके समकक्ष अन्य किसी पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100 और वेतन बैंड -3 और ग्रेड वेतन रु. 5,400/ 6,000/ 7,000/ 8,000 के साथ कार्य किया हो और 2 वर्ष तक एसोशिएट प्रोफेसर/वरिष्ठ वैज्ञानिक या इसके समकक्ष अन्य किसी पद पर वेतनमान रु. रु.37400-67000 और वेतन बैंड -4 और ग्रेड वेतन 8700/9000 के साथ कार्य कर चुका हो। (3) अभ्यर्थी ने शोध/शिक्षण/प्रसार शिक्षा में अपने प्रकाशित कार्यों/नवोन्मेषी विचारों और कार्यसाधकता के द्वारा योगदान दिया हो। (ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए : 1. भारतीय पशु चिकित्सा बोर्डअधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी अनुसूची में शामिल मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा बोर्डमें पंजीकृत होना चाहिए। 2. वी.भी.एस.सी. और ए.एच. 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण। 3. पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि। 4. पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य अनुभव के संदर्भ में अन्य योग्यताएं उपरोक्त (क) - 1,2,3 के सदृश्य होंगी। वांछनीय : (1) शिक्षण और परास्नातक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का पर्याप्त अनुभव। (2) कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों और अनुप्रयोगों का ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाएगा	लागू नहीं
12.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

अंक कार्ड में प्रस्तुति का भारांक 70 प्रतिशत और साक्षात्कार का भारांक 30 प्रतिशत होगा।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
एसोसिएट प्रोफेसर पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	एसोसिएट प्रोफेसर
2.	पदों की संख्या	
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 37400-67000 (वेतन बैंड - 4) +शैक्षणिक ग्रेड वेतन रु.9000
5.	पद पर चयन या अचयन	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	सामान्यतः 50 साल से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए (1) संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञान सहित पीएच.डी. उपाधि (2) संबंधित विषय में वैज्ञानिक/व्याख्याता/प्रसार विशेषज्ञ के रूप में 8 वर्ष का अनुभववाया इसके समकक्ष अन्य किसी पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100 और वेतन बैंड -3 और ग्रेड वेतन रु. 5,400/ 6,000/ 7,000/ 8,000 के साथ कार्य किया हो। (3) अभ्यर्थी ने शोध/शिक्षण/प्रसार शिक्षा में अपने प्रकाशित कार्यों/नवोन्मेषी विचारों और कार्यसाधकता के द्वारा योगदान दिया हो। (ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए : 1. भारतीय पशु चिकित्सा बोर्डअधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी अनुसूची में शामिल मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा बोर्डमें पंजीकृत होना चाहिए। 2. वी.भी.एस.सी. और ए.एच. 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण। 3. पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि। 4. पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य अनुभाग के संदर्भ में अन्य योग्यताएं उपरोक्त (क) - 1,2,3 के सदृश्य होंगी। वांछनीय : (1) शिक्षण और परास्नातक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का पर्याप्त अनुभव। (2) कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरणों और अनुप्रयोगों का ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत (एसएसआरबी के अंक कार्ड के अनुसार)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाएगा	लागू नहीं
12.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

अंक कार्ड में प्रस्तुति का भारांक 70 प्रतिशत और साक्षात्कार का भारांक 30 प्रतिशत होगा।

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
सहायक प्रोफेसर पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक प्रोफेसर
2.	पदों की संख्या	
3.	वर्गीकरण	वर्ग ए
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु.6000
5.	पद पर चयन या अचयन	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	विशेषतः 35 वर्ष से कम (शैक्षणिक कर्मचारियों के भर्ती संबंधी नियमों के अनुभाग 10 के प्रावधान के तहत आयु में छूट होगी)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : (क) पशु चिकित्सा विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए : (1) संबंधित विषय में 60 प्रतिशत अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड अंक से स्नातकोत्तर की उपाधि और आईसीएसआर-एसआरबी, यूजीसी-सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र। अथवा (ख) पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों के लिए : 1. भारतीय पशु चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1984 की पहली और दूसरी अनुसूची में शामिल मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता और भारत के पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। 2. वी.भी.एस.सी. और ए.एच. 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड अंक के साथ उत्तीर्ण। 3. पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विषय में 60 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड में परास्नातक की उपाधि और आईसीएसआर-एसआरबी, यूजीसी-सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र। अथवा संबंधित विषय में आधारभूत विज्ञानों सहित पीएच.डी. उपाधि और एनएएस की रेटिंग 5 से ज्यादा रेटिंग रखने वाली वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 2 शोध पत्रों का प्रकाशन। वांछनीय : (1) आईसीएसआर जैसे प्रसिद्ध संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों /सरकारी संस्थानों में शोध का अनुभव जिसके प्रमाण स्वरूप प्रकाशित शोध पत्रों की अपेक्षा की जाती है (2) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
10.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत* { शैक्षणिक अंक : हाईस्कूल में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 0.05 गुणांक + इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.10 गुणांक + स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.15 गुणांक + परास्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.20 गुणांक + पीएचडी की उपाधि का 10 अंक (अधिकतम 50 अंक) + अनुभव के लिए 15 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक) + पुरस्कार के लिए 10 अंक (जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार या इसके समकक्ष पुरस्कार -10 अंक, सर्वश्रेष्ठ पेपर इत्यादि -02 अंक) + प्रकाशन के 25 अंक (प्रकाशनों की समग्र एनएएस की रेटिंग) + 02 अंक भोधपत्र प्रस्तुति, बुलेटिन, किताबों में प्रकाशित अध्यायों आदि के लिए (अधिकतम 10 अंक)
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समायोजन किया जाएगा	लागू नहीं
12.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

अंक कार्ड	लिखित परीक्षा			प्रस्तुति	साक्षात्कार	कुल
	विषय	सामान्य ज्ञान	भाषा			
100	100	50	50	50	50	400

अंक कार्ड और लिखित परीक्षा के भारांक क्रमशः 25 और 50 प्रतिशत होंगे जबकि प्रस्तुति और साक्षात्कार का भारांक 25 प्रतिशत होगा।

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद के नियुक्ति संबंधी नियम

1.	पदनाम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	वर्गीकरण	वर्ग ए
3.	वेतनमान और ग्रेड वेतन	वेतनमान रु. 15600-39100 (वेतन बैंड 3) + ग्रेड वेतन रु.6000
4.	सीधी भर्ती की आयु सीमा	35 वर्ष
5.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	1. पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में परास्नातक या इसके समकक्ष अन्य कोई व्यावसायिक डिग्री 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली हो, वहाँ पर इसके समकक्ष ग्रेड अंक) और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के सतत् अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड। 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इसके द्वारा प्रमाणित किसी संस्था द्वारा इस हेतु आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना 3. पीएचडी उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 2009 के तहत प्रदत्त पीएच.डी. धारक अभ्यर्थी को नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम योग्यता भारत से छूट होगी
6.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
7.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो तो	2 वर्ष
8.	भर्ती की प्रक्रिया : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा और पदों के प्रतिशत जो विभिन्न तरीकों से भरे जाएंगे	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत* { शैक्षणिक अंक : हाईस्कूल में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 0.05 गुणांक + इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.10 गुणांक + स्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.15 गुणांक + परास्नातक के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 0.20 से गुणांक + पीएचडी की उपाधि/नेट का 10 अंक (अधिकतम 50 अंक) + अनुभव के लिए 15 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक) + पुरस्कार के लिए 10 अंक (जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार या इसके समकक्ष पुरस्कार -10 अंक, सर्वश्रेष्ठ पेपर इत्यादि -02 अंक, रैंपोर्चर इत्यादि - 02 अंक) + प्रकाशन के 25 अंक (प्रकाशनों की समग्र एनएएएस की रेटिंग)
9.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन वाले मामलों में वह ग्रेड जहाँ से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाएगा	1. 4200 ग्रेड वेतन वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों में से जो 5 वर्ष का कार्यानुभव रखते हों। 2. प्रतिनियुक्ति के लिए नियमित आधार पर समान पद धारण अधिकारी।
10.	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	समय-समय पर संशोधित डॉ.राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुभाग 18 (1 और 2) के अनुसार

*

अंक कार्ड	लिखित परीक्षा			प्रस्तुति	साक्षात्कार	कुल
	विषय	सामान्य ज्ञान	भाषा			
100	100	50	50	50	50	400

अंक कार्ड और लिखित परीक्षा के भारांक क्रमशः 25 और 50 प्रतिशत होंगे जबकि प्रस्तुति और साक्षात्कार का भारांक 25 प्रतिशत होगा।

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 8 of 2017)

No. 81/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the Qualification of University Professor, Associate Professor and Assistant Professor of different faculties and their equivalents in Research and Extension in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause 21(1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University First Statutes and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the Recruitment Rules of Teaching Employees (University Professor, Associate Professor and Assistant Professors of different Faculties) of the University enclosed at Annexure-1 of this Ordinance.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY**Pusa-848125, Bihar.**

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

SERVICE & RECRUITMENT RULES (TEACHING EMPLOYEES), 2017

The Board of Management of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa in exercise of the powers conferred under Statute 12.3 and 12.4(III) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016, hereby makes and adopts the following rules for regulating method of recruitment to teaching posts in the University.

1. Short Title and Commencement

- (i) These rules may be called Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa Service & Recruitment Rules (Teaching Employees), 2017.
- (ii) These rules will come into force from the date of notification.

2. Definitions

- (a) "Act" means the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa Act, 2016 as amended from time to time.
- (b) "BOM" means the Board of Management of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa.
- (c) "Departmental Candidate" means those employees who are working on regular basis in the University but does not include employees working on ad-hoc, daily wages or contract basis.
- (d) "Government" means the Central Government/ Government of India.
- (e) "Teaching employees" or "Teachers" of the University means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research or extension education in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances.
- (f) "On Probation" in relation to a person, means a person appointed to any post on probation as specified in these Rules.
- (g) "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ temporary/ ad-hoc promotion.
- (h) "Statutes", "Ordinance" and "Regulation" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016.
- (j) "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statues/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.
- (k) "University" means the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016.

3. Extent of Application

These rules shall apply to all the teaching employees including Directors, Deans and Deputy Directors of the University.

4. Appointing Authority**5. The Appointing Authority for the teaching posts shall be the Board of Management. Schedule**

The name of posts, their classification, scales of pay, the details of qualifications, experience, age limit etc. for various posts and any other information relevant to the post is attached as Appendix-II.

6. Method of Recruitment

The following shall be the mode of recruitment for various teaching posts existing in University in accordance with these rules of the University:-

- (a) Direct Recruitment
- (b) Promotion
- (c) Deputation

7. Procedures for issue of Advertisement and inviting applications for all categories of teaching posts**I. Issue of Advertisement**

The vacant teaching posts of permanent nature, plan posts, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts etc. shall be advertised at appropriate time, giving at least one insertion in any of the two leading National Dailies and one insertion preferably in the 'Employment News', and Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa website www.pusavarsity.org.in besides website of DARE/ICAR. Individuals desirous of offering their candidature for a given post may submit their application (as prescribed in the advertisement) with all the necessary enclosures and prescribed application fee, if any, within the prescribed closing date.

Note: (i) The closing date can be extended at the discretion of the Vice-Chancellor of the University by notifying on the website only for which the desirous candidates should be in constant touch with the website.

(ii) Applications for short term/ contractual engagements and also on deputation may be invited through any other mode of circulation such as the Circular or Notification on the University Web-site and Notice Board of the University.

(iii) Notwithstanding the provisions mentioned at column No.10 of each post the University may at its discretion decide to fill-up any vacancy on deputation or any other mode in the interest of the University with proper justification.

II. Date of issue of Advertisement

In each case, the date of issue of advertisement should be decided keeping in view the exigencies and requirements of the job.

III. Validity period of Advertisement

Where the Selection Committee has not met even after a lapse of 12 months w.e.f. the closing date of application for any post, the post shall ordinarily be re-advertised. Provided that if in the opinion of the Vice-Chancellor the circumstances so necessitate, it may extend the validity of the advertisement for another six months. However, in any case, the validity of an advertisement shall not be extended beyond 18 months w.e.f. the closing date of the receipt of applications.

IV. Application Form

- a) Applications for all the posts shall be entertained only on the prescribed application forms, accompanied by a Bank Draft only for the amount as fixed from time to time by the University. The Bank Draft shall be made in favour of the Comptroller, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, Bihar. The hard copy of application form with all necessary enclosures along with the prescribed application fee as per the advertisement may be sent to Registrar or any other officer of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa nominated by the Vice-Chancellor for this purpose. The schedule of charges for the application forms and prescribed fees shall be as determined by the Vice-Chancellor from time to time. The application fee exemption for SC/ST/PWD candidates will be as per GOI rules.
- b) The closing date for application form shall be as specified in the advertisement. Incomplete applications and applications received after the due date shall be rejected. The Vice Chancellor may, however, order for acceptance of any application received after the closing date subject to production of proof that the application along with the enclosures and the desired bank draft is posted by the candidate on or before the closing date of the receipt of the application as per the Advertisement. In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as closing/ last date.
- c) Applicants who are in employment should route their applications through proper channel so as to reach the University within thirty days after the closing date for receipt of application/advance copy of application(s).

- d) Application should be addressed to the Registrar or the officer nominated by the Vice Chancellor for this purpose, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa-848125, Bihar" in a closed cover superscribing "Application for the post of " along-with the "Post Code :" of the post as prescribed in the advertisement.

8. Minimum Qualification and Experience

For recruitment to various posts, the minimum qualifications and experience shall be as prescribed in these rules as decided by Board of Management and as amended from time to time keeping in view the guidelines of UGC/ICAR.

9. Age Limit

The upper age limit for appointment to various posts has been prescribed in the appropriate column of these rules. However, the upper age limit for appointment where not prescribed under these rules will be as prescribed by the Board of Management from time to time.

10. Relaxation of age and experience

- (i) The statutory provision for relaxation of age, experience etc. prescribed in the case of candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD categories will be made applicable to them as per UGC/ Govt. of India norms. A certificate to this effect in the format as prescribed by the Govt. of India issued by the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever, relaxation of qualification including percentage of marks is permitted under the UGC/ Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee as per relevant Govt. of India rules. There will be no age limit for employees of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa.
- (ii) In the case of regular employees of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa for applying posts on direct recruitment, there will be no age limitation.

11. Reservations of posts

The policy of the Government of India with regard to the reservation as applicable for various categories in recruitment/ promotion etc. shall be followed.

Payment of TA

The candidate will have to present himself/ herself for an interview if called for, at the place and time mentioned at his/her own expenses. However, the out-side candidates belonging to SC/ ST/ PWD categories will be reimbursed second class rail fare, and in case any station is not connected by rail, ordinary bus fare shall be paid by shortest route as per the Government of India guidelines, if they attend the interview. The above mentioned concessions are not admissible to those SC/ST candidates who are already in Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University/ Central/ State Government service.

12. Screening of applications

The prescribed qualification and experience will be minimum, and the mere fact that a candidate possessing the same will not entitle him / her for being called for interview. The University will have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit. For the purpose of screening of applications, the following guidelines shall be followed:

a. Constitution of screening committee

The Vice-chancellor shall nominate two or more subject matter experts as Members, one of whom may be designated as Chairman of the Committee. In addition, one more member who need not necessarily be a subject matter expert will be designated as the Member Secretary of the Screening Committee.

The quorum for the Screening Committee shall be three including Chairman and the Member Secretary.

b. Preliminary appraisal for fulfilling qualification

- (i) The University shall undertake the preliminary screening of the applications received, and prepare a comparative tabulated statement. Applications should have been received within the prescribed dates both for the "Advance" copy as well as the "Through Proper Channel" copy as appeared in the advertisement. Applications received late in either case shall be rejected and not considered for screening.
- (ii) The candidate(s) should fulfill all the prescribed essential qualifications for the post applied for. If any candidate does not fulfill one or more essential qualifications, he /she will not be eligible for the post applied for. It will be simply mentioned "Not Eligible/Does Not Fulfill the Essential Qualification" against his/her name in the preliminary score card sheet. No marks are to be given to such candidates under any item of the Score Card. However, the Screening Committee shall confirm the eligibility once again, especially with respect to Academic Qualifications and Employment Records.

- (iii) The applications received from persons working abroad/outside India having no prescribed pay scale shown in their applications, the Screening Committee will determine their eligibility on the basis of Score Card after assessing their qualifications and number of years of experience and emoluments for the equivalent posts and may recommend such cases within the prevailing prescribed recruitment rules.

c. Guidelines for the screening committee for screening of applications

Marks are to be assigned for different attributes as per the approved Score Card guidelines for the post applied. Screening Committee is empowered to assign marks following the guidelines. In case of any doubt about assigning marks or interpretation of the clauses of screening, the interpretation of eligibility criteria clauses will be made by Vice Chancellor and the decision, thereof, shall be final.

d. Shortlisting of candidates to be called for interview

- a) The Screening Committee/competent authority shall decide the number of candidates to be called for interview, by determining the ratio between the number of vacancies and number of candidates. However, it may be ensured that the ratio shall not normally exceed 1:20 maximum and minimum ratio shall not be less than 1:3 for each post subject to the condition that a minimum of 60% marks in the screening is secured by the candidate to be eligible for interview call for all Teaching posts.
- b) The final selection shall be made by giving weightage to Score Card marks and interview/presentation marks in the following manner :-

Sl. No.	Rank	Score Card Marks	written Exam			Presentation	Interview Marks	Total
			Subject	GK	Language			
Teaching Posts								
1.	Asstt. Prof & Equivalent	100	100	50	50	50	50	400

Score Card will be given 25% weightage, written 50% exam and interview 25% weightage

Sl. No.	Rank	Score Card Marks	Presentation	Interview Marks	Total
2.	Assoc. Prof & Equivalent	100	100	100	300
3.	Professor & Equivalent	100	100	100	300
Statutory Positions					
4.	Directors/Deans	100	100	100	300

For statutory positions, selection committee will decide the selection procedure.

For Associate Professor and Professor, Score Card will be given 70% weightage and 30% will be weightage to presentation and interview.

13. Constitution of Selection Committees/Departmental Promotion Committees

- a) The Constitution of the Selection Committee shall be as per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.
- b) The Chairman shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in case of tie.

14. Direct Recruitment by Open Selection

- The terms and conditions with regard to the minimum qualification, experience and other terms shall be as per annexure.
- The rules and procedures prescribed by the Govt. of India in respect of the provisions for the employment of persons from reserved categories shall be followed.
- Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee from amongst the eligible candidates as per the recommendations of Screening Committee.
- For presentation and Interview, the individual members of the Selection Committee will assign appropriate marks out of the total marks. The average of the marks assigned by the members is the mark obtained by the candidate in presentation and Interview. In case of tie, the Committee will select appropriate candidate assigning reason.

5. The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview.
6. The selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid for one year from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy (ies).
7. The University reserves the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection.
8. In case of selection to two or more posts on the same date, the recommendations shall invariably be made in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
9. The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Board of Management and orders of appointment shall be issued after the approval of the Board of Management.
10. Based on the recommendations of the Selection Committee, the Board of Management may, at its discretion, sanction one-time benefit or protect pay of any candidate joining from outside organizations as admissible under the Govt. of India rules in case the candidate possesses higher qualification, experience, higher pay scale and professional expertise to the satisfaction of the Selection Committee.
11. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Board of Management, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

15. Deputation

In case the appointment is made on deputation basis, the incumbent may be allowed to continue maximum for a period of five years or till he/ she attains the age of the superannuation prescribed for that particular cadre whichever is earlier. The appointment on deputation may be made initially for a period of two years which may be extended on yearly basis up to a maximum period of five years subject to satisfactory performance, good behavior and high integrity. The University, however, shall have the right to repatriate the incumbent any time even before the prescribed period in case his/ her performance, integrity or conduct is found to be unsatisfactory at any stage according to the opinion of the competent authority or the repatriation of the officer against whose vacancy the deputationist was working.

16. Norms/ Regulations for promotion through career advancement of Assistant Professor, Associate Professor and Professors

The promotion through career advancement of Assistant Professors/Associate Professors in the university shall be governed by the Norms/Regulations prescribed by the DARE/ ICAR in vogue and as amended from time to time.

17. Period of Probation and Confirmation

- i. The period of probation shall be two years from the date of joining, which may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of Competent Authority will render him/her liable to termination of service from Dr. RPCAU, Pusa.
- ii. The confirmation at the end of two years shall be automatic, unless extended by a specific order.
- iii. Subject to this Clause it is obligatory on the part of the university/the concerned institution to issue an order of confirmation to the incumbents within 45 days of completion of probationary period after due process of verification of satisfactory performance.
- iv. All other Central Government rules on probation and confirmation as amended from time to time shall be applicable *mutatis mutandis*.
- v. It shall be the duty of the Registrar to place before the Board of Management the case of confirmation of a teacher on probation, not later than forty days after the end of the period of probation.
- vi. The Board of Management may then either confirm the teacher or decide not to confirm him/her, or extend the period of probation so as not to exceed twelve months in all.
- vii. In case the Board of Management decides not to confirm the teacher, whether before the end of twenty-four months' period of his/ her probation, or after the end of the extended period of probation, as the case may be, he/she shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period.
- viii. Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Board of Management present and voting.
- ix. No employee of the University shall be confirmed on his/her post unless and until he/she signs the service agreement.

- x. No application for outside employment shall ordinarily be forwarded during the period of probation. However, in case his/her request has been considered by the competent authority of the University at his discretion, an undertaking shall be obtained while forwarding application that he/she would resign the post in the event of his/ her selection in other department.

18. Age of retirement

- (i) Every teacher confirmed in the service of the University, shall continue in such service until he/ she attains the age of superannuation as prescribed by the DARE/ICAR from time to time.
- (ii) Provided further that if the date of Superannuation of a teacher falls at any time during the Academic Session, the Board of Management, may on the recommendation of the Vice-Chancellor re-employ the teacher for any period up to the end of the academic session, with a view not to disturb the teaching work of the Department/College.
- (iii) In special cases, a teacher on his/her attaining the age of superannuation, may be re- employed on a contract in keeping with the regulations made by the University in this behalf or as issued by the DARE/ICAR from time to time.

19. Discipline/Vigilance Clearance Reports

- (i) Candidate who is already in service should submit a certificate from the employer or his authorized officer to the effect that no disciplinary proceeding is pending or contemplated against him. Apart from this, the Vigilance Clearance Report shall also be furnished along with the application or at the time of interview.
- (ii) Willful suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile etc., the Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate/ inquire into the matter and submit his report to the administration for further action in this regard at any time of recruitment process or employment as per rule.

20. Removal of Difficulties

- i) The Board of Management may from time to time, issue such general and specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operations of any of the provisions of these rules.
- ii) All existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand superseded but any action already taken by or in pursuance to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

21. Interpretation

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the rules, the decision of the Board of Management shall be final.

22. Amendment of Rules

The Board of Management shall have the authority to amend, modify, change, withdraw, suspend and relax any or all of these rules. The decisions of the Board of Management shall be final and binding on all employees.

23. Residuary Matters

In respect of all matters not specifically provided for in these rules, the corresponding provisions as provided by the DARE/ICAR for their employees or as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, will be followed. In case any particular provision in these rules clashes with any provision of the Act / Statutes, the provision of the Act / Statutes shall prevail and the provision in these rules shall stand superseded.

24. Liability of officers to serve in India or/ and abroad

Employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or/ and abroad.

25. Territorial Jurisdiction

In cases of any disputes, any suites or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be restricted to the High Court of state where the cause of action has arisen.

- 26 Nature of Duties:-** The selected candidates will be required to perform duties as per the rules of the University as amended from time to time. Every teacher shall undertake to take part in such activities of the University and perform such duties in the University as may be required by and in accordance with the Act, the Statutes and Ordinances framed there- under, for the time being in force, whether the same relate to organization of teaching, research, extension, examination of students, their discipline, welfare, and generally to act under the direction of the authorities of the University and such other duties as administrative, corporate etc.

- 27. Increment:** Every teacher shall be entitled to increment in his/her scale of pay, unless the same is withheld or

postponed by a resolution of the Board of Management and after the teacher has been given due opportunity to make his/her written representation.

28. Savings

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Dr. Rajendra Prasad Central Government from time to time in this regard.

29. General Terms and Conditions of recruitments

- i. Mere possession of eligibility conditions shall not entitle a candidate to be called for written test/ interview. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the closing date as prescribed in the advertisement for receipt of the applications. In other words no candidate shall be called for interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on the closing date of the application for a particular post.
- ii. Apart from possessing the essential/desirable qualification and experience as on the closing date of receipt of application prescribed in the advertisement, any additional qualification and experience acquired after the closing date may be taken into account at the time of selection. The experience in different fields as prescribed in these rules against any particular post shall be calculated by taking into account either in one field exclusively or by counting more than one field as the case may be.
- iii. Candidate who is already in service should submit his/ her application through proper channel. However, he/ she may send an advance copy of his/ her application and should produce a "No Objection Certificate" from the employer within thirty days after the closing date for receipt of application/advance copy of application(s) failing which he/ she shall not be interviewed. The application for appointment on deputation may be forwarded by the employer along with the CR dossiers duly certified by the Competent Authority for the desired periods through proper channel.
- iv. It is the responsibility of the candidate to assess his own eligibility for the post for which he/ she is applying in accordance with the prescribed qualification, experience etc. and submit his application duly filled-in along with the desired information, documents and other supporting materials as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to cancellation of his candidature. In case, it is detected at any point of time in future even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed qualification, experience etc. which could not be detected at the time of interview due to whatever circumstances, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause and also based on his undertaking. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. With regard to any ambiguity relating to the recruitment rules in general and eligibility in respect of any post in particular, the decision of the Board of Management shall be final.
- v. Acceptance of documents/ certificates/ claims etc. submitted by an applicant will be subject to their verification by the competent authorities/ sources. If, any claim/ certificate/ document is found to be false/ fake/ incorrect/ *malafide* at any stage of verification before or after appointment, the document in question shall be summarily rejected and action may be initiated against the candidate for this misconduct including rejection of his candidature which shall lead to cancellation of his appointment, if already appointed.
- vi. If at any stage of the recruitment process or employment, it is detected that there is a wilful suppression of factual information relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the caste, educational qualifications, experience or domicile etc. the candidature shall be cancelled and services shall be terminated forthwith, if already appointed.
- vii. The person appointed against any post shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules governing the service conditions/ method of recruitments as amended from time to time and resolutions of the Board of Management of the University and rules of the Govt. of India/ Guidelines of the DARE/ICAR adopted by the University from time to time.
- viii. For candidates to be appointed as Teacher, his/her character antecedents will be got verified through the police/Deputy Collector/ Commissioner. In case of adverse findings the appointment shall be terminated without any notice.
- ix. Selected candidate will be required to take an oath of allegiance, faithfulness to the constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the prescribed form on appointment.
- x. On appointment, he/she will submit a declaration regarding his/her marital status in the prescribed proforma. In the event of his/her having more than one husband/wife living unless being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf, his/her appointment will be terminated.
- xi. The selected candidate will also have to undergo a medical examination/ test by a duly constituted medical board to

ascertain his/ her medical fitness for the post prior to joining. In case, he/ she is not found to be fit by the authorized medical authorities, the offer of appointment shall be treated as withdrawn. The persons already holding employment under Government or Autonomous Bodies may submit a certificate from his employer that he was given fitness certificate at the time of first posting.

- xii. The terms and conditions of appointment/ Engagement shall be communicated in the "Offer of Appointment/ Engagement" to the Selected Candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment/ engagement letter within the stipulated time period, the offer will be treated as withdrawn and no further communication shall be entertained in this regard. The Competent Authority reserves the right to enhance the scope of the nature of duties and can assign any duty to any employee at any point of time even during Sundays and holidays including night duties in the exigency of service and in the interest of the University irrespective of the fact that such duties do not come under the already notified duties for any post. The University administration notwithstanding the schedule of six-day week in its working at the head quarters may also direct any employee to work for less or more days in a week at its discretion depending upon the lecture schedule of the various educational program, exigency of service and in the interest of the organization. However, it may be kept in view that the total number of working hours prescribed per week shall be equal to all the employees as per the Govt. of India rules.
- xiii. The University is free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/ holidays which the employee has to perform without fail to avoid disciplinary action in this regard.
- xiv. The selected candidate will be governed by the "National Pension System" (earlier known as 'New Pension Scheme') of the Govt. of India applicable to appointments made on or after 01.01.2004 for its employees. However, employees who were already in service prior to launch of this scheme, shall continue to be governed by the scheme regulating his/her pension.
- xv. The selected candidates shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules of the University and also the CCS (Conduct) Rules, 1964 and CCS (CCA) Rule, 1965 of the Government of India as amended from time to time and any other rule/ resolution prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Board of Management of the University.
- xvi. The candidate applying for the teaching posts should send the self attested copies of all certificates relating to his/ her educational qualifications, experience, age, caste and other testimonials along with his/ her application (DOPT O.M. No. K-11022/ 67/ 2012-AR dated 10th May, 2015).
- xvii. At the time of recruitment, a service agreement should be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same should be deposited with the Registrar. The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University (Appendix- 1). Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- xviii. Candidate should bring all original certificates relating to his/ her age, qualification, experience and caste etc. at the time of interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified/ photo-copies of the enclosures to his/ her application, he or she shall not be allowed to appear at the interview and his candidature shall be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- xix. (i) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. If any vacancy arises after recruitment to a particular post due to whatsoever reasons, the vacancy may be filled up from the panel of that post within a period of one year from the date of meeting of selection committee. In any case, every panel shall be treated as invalid after one year w.e.f. the date of the meeting of the Selection Committee.
(ii) The University reserves the right to withdraw the advertisement either partly or wholly at any time without assigning any reason to this effect.
(iii) For filling up the post on direct recruitment basis, the selection committee will be required to prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid for one year from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy(ies).
(iv) If any advertisement for any post(s) is withdrawn due to whatever reasons, the application fee or any other fee collected from the candidates shall be refunded preferably within 30 working days.
- xxiv. (i) Interim enquiries shall not be entertained.
(ii) Canvassing in any form shall disqualify the candidature of the candidate.
(iii) Applicants are required to apply on separate form for each post. Each application without the required application fee by way of A/ c payee draft shall be rejected.

- xxv. The University shall not be responsible for any postal delay. The candidate shall be required to submit the list of enclosures and also write his/ her complete information with regard to his/ her correspondence and permanent address with pin code, telephone numbers, cell-phone numbers, e-mail ID, if any in the application which will facilitate communication at any point of time.

For any clarification, the candidates may contact the Registrar or any other designated officer of the University in writing. In case of any grievance of any candidate, the candidate may also approach the Competent Authorities of the University in writing for redressal relating to the recruitment sufficiently in advance.

30. Variations in terms and conditions of service

Every teacher shall be bound to act in conformity with the Statutes, Ordinances, Regulations and rules of the University as well as a code of professional ethics as may be formulated by the University.

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall normally be made after his / her appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave; leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

31. Professional Code of Conduct

Every teacher of the University shall abide by the Code of Conduct framed by the University and the following lapses would constitute misconduct on the part of a University teacher.

- (i) Any lapses in performing his / her duties as assigned by the university from time to time.
- (ii) Inciting students, colleagues or administration (This does not interfere with the right of a teacher to express his/her difference of opinion on principles in seminars and other places where students are present) or any other such actions which are against the interest of the university.
- (iii) Indulging in communal activities, or making inappropriate remarks on caste, creed, religion, race or sex in his/ her relationship with his/her colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his/her prospects or any other such actions which are against the interest of the university.
- (iv) Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and / or functionaries of the University.
- (v) Indulging in Plagiarism of any sort within the legal meaning, interpretation and expression of the term.

32. Resignation

- (i) A whole-time salaried teacher may, at any time, terminate his/her contract by giving the University three months' notice in writing or on payment to the University of three months' salary in lieu thereof. The notice period shall be one month in case of probationers, contractual, temporary and ad-hoc teachers or salary in lieu thereof.
- (ii) Provided that the Board of Management may waive the requirement of notice at its discretion.

33. Contract

The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University from time to time (Appendix-2).

34. Teaching Days, Work Load and Leave Rules

The rules and conditions governing number of teaching days, work load and leave rules shall be as prescribed by the DARE/ICAR and GOI from time to time.

35. Appointment of Visiting Professor, Adjunct Faculty and Scholars in Residence

In addition to regular teaching positions, the University has the provision to appoint Visiting Professor, Adjunct Faculty and Scholars-in-Residence with the approval of Board of Management for a definite period.

The payment & service terms will be as below:

The requirement of Visiting Professor, Adjunct Faculty and Scholars in Residence will be assessed by College, and then proposal will be put up to Academic Council whose recommendations will be put up to Board of Management for approval. After approval, advertisement will be made and selection will be made by a duly constituted selection committee.

36.1 Visiting Professor

- a) A visiting Professor should be an eminent scholar in his/her field. Generally a person who has held or is holding the post of Professor or a person, who has achieved distinction outside the University sector, should be considered for appointment as Visiting Professor.
- b) The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor shall be two years and the minimum - not less than three months.

- c) The University may appoint a person up to the age of 70 years as a Visiting Professor.
- d) A Professor should not be appointed as a Visiting Professor in the same University in which he/she holds a post immediately before or after superannuation.
- e) If a superannuated person is appointed as a Visiting Professor, the honorarium payable should not exceed Rs.50,000/- p.m or as amended by BOM from time to time.
- f) In case a person serving in an Indian University is appointed as Visiting Professor, the honorarium payable should be determined on the basis of salary plus 10% of the basic pay plus dearness allowance, and other allowances, if any admissible (except conveyance allowance, if any) as per the rates of the parent University. The receiving University would also contribute towards pensionary benefits or CPF/GPF as per government Rules.
- g) It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave without pay.
- h) If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel from its own resources. Visiting Professor appointed may be paid travel expenses within India in accordance with the Rules of the University.
- i) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- j) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as a Visiting Professor.

36.2 Adjunct Faculty

- a) There shall be not more than two Adjunct Professors in each faculty of the University at any time.
- b) Eminent scientists/academicians from public and private R & D institutions, Professionals and specialists from PSUs and business corporations, and innovative farmers with academic and research credentials will be eligible for appointment as Adjunct Faculty in a university department by the Board of Management.
- c) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- d) Adjunct Professor will be offered a token honorarium of up to Rs. 3000 per day plus TA or as decided by BOM from time to time. Besides, such experts could be requested to come twice in a year.
- e) Adjunct Professorship will be a tenure appointment for one academic year, or for two semesters limited to 30 days annually.
- f) The Adjunct Professor shall help in developing research projects, providing guidance to Scientists for participating in on-going activities of the University.
- g) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/College shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as an adjunct faculty member.

36.3 Scholars-in-residence

- a) Senior professionals and specialists from research and professional organizations (for example ICAR, CSIR, ICMR, IITs etc.) and those with PSUs and business corporations, with postgraduate or doctoral qualifications and with academic and research credentials will be eligible for appointment as Scholar-in-Residence in a University Department.
- b) NRI and PIO professionals and specialists, working in overseas organizations, will also be eligible for these positions. Similarly, these positions will be open to those overseas (non-Indian) professionals and specialists who have been dealing with India issues in their work.
- c) The Scholar-in-residence will be appointed on a tenure appointment ranging between six and twenty-four months and will be offered a consolidated remuneration of Rs.80,000/- a month, and a contingency grant of Rs.1,00,000/- per annum or as amended by BOM from time to time.
- d) They will be provided free University accommodation in Guest House and office space by the University to facilitate their working and interaction with students and peers.
- e) There will not be more than 2 such Scholars at any given time in each faculty.
- f) The Vice-Chancellor after consulting the person concerned and the Heads of two concerned Department/College shall make his/her recommendation to the Board of Management for appointment as a Scholar- in- Residence.

Appendix 1

WRITTEN CONTRACT OF APPOINTMENTS-SERVICE CONTRACT

Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which is hereby prescribed and appended to this regulation.

(TO BE TYPED ON Rs. 100/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER & SUBMIT ONE ORIGINAL AND TWO COPIES THEREOF.)

SERVICE CONTRACT

ARTICLES OF AGREEMENT EXECUTED his/her the _____ day of _____ the year Two Thousand _____ of the Republic of India between _____ S/O/D/O/W/O _____ aged _____ years, residing at _____ of the first part (hereinafter called 'the party of the first part') and the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa of the second part.

WHEREAS the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa (hereinafter referred in as "the University") have engaged the party of the first part as _____ (Designation) and the party of the first part has agreed to serve the University on the terms and conditions hereinafter contained;

Now these present witness and the parties here to respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit to the orders of the University and of the authorities under whom he may from time to time, be placed by the University and shall remain in the service commencing from the date of joining duty _____ (Date) subject to the terms and conditions herein contained.
2. The party of the first part shall devote his/her whole time and attention efficiently and diligently to his/her duties and at all time obey the rules including the University Servants Conduct Rules prescribed for the time being for the regulations of the branch of the University to which he may be attached and shall whenever required to perform such duties as may be assigned to him/her from time to time.
3. The party of the first part shall be of the Teacher's / Officer's rank and his /her status shall be that of _____ (Designation) in _____ (Department /College/Office) as on the date of appointment.
4. The party of the first part shall be from the date of coming into force of these presents, be granted Rs. _____ (Basic Pay including the grade pay of Rs. _____ in the pay scale of Rs. _____). He/she shall also be eligible for the usual allowance admissible under the rules of the University/ Govt. of India in force.
5. The party of the first shall, during the period of his/ her agreement earns leave according to the rules applicable to him/her.
6. If the party of the first part is required to travel in the interest of the University Service; he/she shall be entitled to travelling allowance as per rules of the University.
7. This agreement may be terminated at any time within the said period of the age of superannuation by either party, by giving three months' notice in writing to the other. Provided always that either party may in lieu of the notice, give to the other party a sum equal to the salary of the period which may fall short of three months.
8. The party of the first part shall be eligible to the benefit of the University Provident Fund/ National Pension Scheme according to the rules applicable.
9. The Party of the first part shall submit himself/herself for Self Appraisal PABS methodology as prescribed by the DARE/University as notified and amended from time to time.
10. In regard to any matter in respect of which no provision has been made in this agreement, the provision of the rules made or deemed to have been made under Article 309 B & 313 of the Constitution of India, the provisions of any Act or Rule made by the University in regard to the employees borne in the category of the Teacher/Officer in the University service shall apply to the extent to which they are applicable to the service of the party of the first part under this agreement and the decision of the University as their applicability shall be final.

IN WITNESS WHERE OF _____ (*name*) _____ the party of the first part and the Registrar acting for and on behalf of and by the order and direction of the Board of Management, have hereunto set their hands in the _____ year of the REPUBLIC OF INDIA.

SIGNED BY THE PARTY OF THE FIRST PART:

IN THE PRESENCE OF:

Witness: 1)

2)

SIGNED AND SEALED on behalf of the University under the authority of the Board of Management by:

Signature:

Designation:

Witness: 1)

2)

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

Pusa-848125, Bihar

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

Appendix-2

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES (TEACHING EMPLOYEES), 2016

Sl. No.	Name of post	Group	Core Pay Scale as per 6 th CPC*	
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
I.	STATUTORY TEACHING POSTS			
1	Director of Education	A	37400-67000	10000
2	Director of Research	A	37400-67000	10000
3	Director of Extension Education	A	37400-67000	10000
4	Dean, College of Basic Science and Humanities	A	37400-67000	10000
5	Dean, College of Agricultural Engineering	A	37400-67000	10000
6	Dean, College of Home Science	A	37400-67000	10000
7	Dean, College of Agriculture	A	37400-67000	10000
8	Dean, College of Fisheries	A	37400-67000	10000
9	Librarian	A	37400-67000	10000
II.	OTHER TEACHING POSTS			
10	Director of Planning	A	37400-67000	10000
11	Director, Sugarcane Research Institute	A	37400-67000	10000
12	Director, Students Welfare	A	37400-67000	10000
13	Professor	A	37400-67000	10000
14	Associate Professor	A	37400-67000	9,000
15	Assistant Professor	A	15600-39100	6,000
16	Assistant Librarian	A	15600-39100	6,000

*The Core pay scales and other benefits shall be as per UGC guidelines

INDEX

Sl. No.	Name of post	Page No.
1	Director, Sugarcane Research Institute	20
2	Director, Students Welfare	21
3	Professor	22
4	Associate Professor	23
5	Assistant Professor	24
6	Assistant Librarian	25

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, SUGARCANE RESEARCH INSTITUTE

1.	Name of Post	Director, Sugarcane Research Institute
2.	Number of Post(s)	One (01)
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 37400-67000 (PB-4) + Academic Grade Pay Rs.10000
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 60 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>(i) Doctorate Degree in any branch of Agricultural Sciences.</p> <p>(ii) Minimum 15 years experience of Teaching/ Research/ Extension Education in the concerned discipline, out of which at least 10 years should be in research or teaching and at least 5 years in the rank of Professor, or equivalent.</p> <p>(iii) Outstanding contributions as evidenced by published papers in Professional/ National/ International journals of repute/ books or technology developed.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College/Research Institute recognized by the Govt.</p> <p>(ii) Conducting/ guiding of research projects.</p> <p>(iii) Familiarity with latest advances in Agricultural exposure and developments.</p> <p>Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	NIL
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for a tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
12.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

Score Card	Presentation	Interview	Total
100	100	100	300

Score Card prescribed by ASRB for post of Director of ICAR Institute will be used. Presentation will be made in front of Selection Committee. Weightage of score card will be 70%, presentation 15% and interview 15%.

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR STUDENTS WELFARE

1.	Name of Post	Director Students Welfare
2.	Number of Post(s)	01
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.10000
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 60 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>(i) Doctorate Degree in any branch of Agricultural Science/Horticulture/Home Science/ Agricultural Engineering/ Fisheries/ Veterinary Sciences including.</p> <p>(ii) Minimum 15 years experience of Teaching/ Extension Education in the concerned discipline, out of which at least 10 years should be in teaching and at least 5 years in the rank of Professor, or equivalent.</p> <p>(iii) Outstanding contributions as evidenced by published papers in Professional/ National/ International journals of repute/ books or technology developed.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Administrative experience on a responsible position in an Agricultural University/College</p> <p>(ii) Conducting/ guiding of research projects.</p> <p>(iii) Familiarity with latest advances in Agricultural exposure and developments.</p> <p>Note: The same qualification will be applicable in case of deputation.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	NIL

10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	Direct recruitment/Deputation for tenure of 5 years or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation The same qualification as indicated in Colum 7 will be applicable in case of deputation.
12.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2), of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

Score Card	Presentation	Interview	Total
100	100	100	300

Score Card prescribed by ASRB for post of Director of ICAR Institute will be used. Presentation will be made in front of Selection Committee. Weightage of score card will be 70%, presentation 15% and interview 15%.

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA
(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PROFESSOR

1.	Name of Post	Professor
2.	Number of Post(s)	
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 37400-67000 (PB-4) + Academic Grade Pay Rs.10000
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 60 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>(a) For disciplines other than Veterinary Sciences:</p> <p>Doctoral degrees in relevant subject including relevant basic sciences</p> <p>10 years experience in the relevant subject out of which 8 years should be as Scientist/Lecturer/Extension Specialist or in an equivalent position in the PB-3 of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs.5,400/Rs.6,000/ Rs.7,000/Rs.8,000 and 2 years as Associate Professor/ Senior Scientist or in an equivalent position in the Pay Band-4 of Rs37400-67000 with Grade Pay of Rs 8700/9000.</p> <p>The candidate should have made contribution to Research/ Teaching/Extension Education as evidenced by published work/ innovations and impact.</p> <p>(b) For Veterinary Sciences' disciplines:</p> <p>Recognized veterinary qualification included in first and second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India.</p> <p>B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.</p>

		<p>Master's degrees in relevant discipline of Vet. Science with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.</p> <p>Other qualifications are similar with disciplines other than veterinary sciences as at (a) i, ii, and iii.</p> <p>Desirable:</p> <p>Adequate experience of teaching and guiding Post-Graduate students.</p> <p>Familiarity with modern tools and applications in scientific technologies in the field.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two year
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable
12.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2) of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

Score Card will be given weightage of 70% presentation and interview 30%.

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR

1.	Name of Post	Associate Professor
2.	Number of Post(s)	
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 37,400- Rs. 67,000 + Grade Pay Rs. 9,000
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 50 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>(a) For disciplines other than Veterinary Sciences':</p> <p>Doctoral degrees in relevant subject including relevant basic sciences</p> <p>8 years experience in the relevant subject as Scientist/Lecturer/Extension Specialist or in an equivalent position in the PB-3 of Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400/ Rs. 6,000/ Rs. 7,000/ Rs. 8,000</p> <p>The candidate should have made contribution to Research/ Teaching/Extension Education as evidenced by published work/ innovations and impact.</p>

		<p>(b) For Veterinary Sciences' disciplines:</p> <p>Recognized veterinary qualification included in first and second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India.</p> <p>B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.</p> <p>Master's degrees in relevant discipline of Vet. Science with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.</p> <p>Other qualifications are similar with disciplines other than veterinary sciences as at (a) i, ii, and iii.</p> <p>Desirable:</p> <p>i. Adequate experience of teaching and guiding Post-Graduate students.</p> <p>ii. Familiarity with modern tools and applications in scientific technologies in the field.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two year
10	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment*** [As per ASRB Score Card]
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable
12	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18 (1 &2), of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

Score Cared will be given weightage of 70% presentation and interview 30%.

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA
(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)
RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR

1.	Name of Post	Assistant Professor
2.	Number of Post(s)	
3.	Classification	Group 'A'
4.	Pay Band & Grade Pay	Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay Rs. 6,000
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Preferably below 35 years (Age may be relaxed as per provisions of Section 10 of Recruitment rules for Teaching Employees)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>Essential:</p> <p>(a) For disciplines other than Veterinary Sciences':</p> <p>(i) Master's degree in the relevant disciplines and with at least 60% marks or equivalent grade point. Evidence of the National Eligibility Test (NET) conducted by ICAR-ASRB, UGC-CSIR.</p>

		<p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) For Veterinary Sciences' disciplines:</p> <p>(i) Recognized veterinary qualification included in first and second schedule in Indian Veterinary Council Act: 1984 and must be registered with a State Veterinary Council/Veterinary Council of India.</p> <p>(ii) B.V.Sc. & A.H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.</p> <p>(iii) Master's degrees in relevant discipline of Veterinary Science with at least 60% marks or its equivalent grade in the point scale. Evidence of the National Eligibility Test (NET) conducted by ICAR-ASRB, UGC-CSIR.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Doctorate degree in the relevant subject including relevant basics sciences with 2 published research papers in scientific general with NAAS rating of more than 5.0.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Experience of research in reputed ICAR Institutes/Agricultural Universities/government institutions with evidence of published research papers.</p> <p>(ii) Knowledge of Computer applications.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	two year
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	<p>100% by direct recruitment *** [Academic Score :</p> <p>0.05 x % marks of High School + 0.10 x % marks of + 2/ Intermediate + 0.15 x % marks of Graduation + 0.20 x % marks of Master's degree + 10 Marks for Ph.D (Maximum 50 marks)</p> <p>+ 15 Marks for experience (5 marks per year)</p> <p>+ 10 marks for award (JLN award or equivalent – 10 marks, Best paper etc. – 02 marks each + 25 marks for publication (Sum of NAAS rating of publication) + 02 marks for presented papers, bulletins, book chapter etc. with a maximum of 10 marks)]</p>
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Not applicable.
12.	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18 (1 &2) of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

*****Note :** Score Card will be given 25% weightage, written examination 50% and presentation & interview 25% weightage.

Score Card	Written Exam			Presentation	Interview	Total
	Subject	GK	Language			
100	100	50	50	50	50	400

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT LIBRARIAN

1	Name of Post	ASSISTANT LIBRARIAN
2	Classification	Group 'A'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6000
4	Age Limit for direct recruits	35 years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	A Master's Degree in Library Science/Information Science/Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. However, candidates, who are, or have been awarded Ph. D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	No
7	Period of probation, if any	Two Years.
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment *** [Academic Score : 0.05 x % marks of High School + 0.10 x % marks of + 2/ Intermediate + 0.15 x % marks of Graduation + 0.20 x % marks of Master's degree + 10 Marks for Ph.D (Maximum 50 marks) or NET + 15 Marks for experience (5 marks per year) + 10 marks for award (JLN award – 10 marks, Best paper etc. – 02 marks each, Raporteur - 02 marks each) + 25 marks for publication (Sum of NAAS rating of publications)
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	i) From amongst Lib. Assistants in GP of Rs.4200/- with working experience of 5 years as such. ii) Officers holding analogous posts on regular basis for deputation.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Section 18(1 &2) of the Schedule of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended from time to time.

*****Note** : Score Card will be given 25% weightage, written examination 50% and presentation & interview 25% weightage.

Score Card	Written Exam			Presentation	Interview	Total
	Subject	GK	Language			
100	100	50	50	50	50	400

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 09/2017)

सं. 82/डॉ०आर०प्र०के०कु०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में चयन समिति के गठन की विधि एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के अहर्ता से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 18(8) जो कि धारा 21(2) के साथ पठनीय है में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ तथा इस अध्यादेश के परिशिष्ट-1 पर संलग्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के गैर-शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती नियमावली अधिसूचित करता हूँ।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,

पूसा-848125, बिहार (भारत)

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अधीन स्थापित)

सेवा - भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2017

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत संविधि 18.8 और 21.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की प्रबंध बोर्ड इस विश्वविद्यालय में गैर-शैक्षणिक पदों (पुस्तकालय से संबंधित पदों सहित) पर नियुक्ति की प्रक्रिया के नियमन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती और स्वीकार करती है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

(i) इन नियमों को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा सेवा और भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक कर्मचारी), 2017 के नाम से पुकारा जा सकता है।

(ii) ये नियम अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित होने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 से है।

(ख) 'बीओएम' का तात्पर्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की प्रबंध बोर्ड (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) से है।

(ग) 'विभागीय अभ्यर्थी' से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो नियमित आधार पर इस विश्वविद्यालय में सेवारत हों किंतु इनमें तदर्थ कर्मचारी, दैनिक मेहनताने पर कार्यरत कर्मचारी या अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

(घ) 'सरकार' से तात्पर्य केंद्र सरकार या भारत सरकार से है।

(ङ) 'सीमित विभागीय परीक्षा' या 'परीक्षा' से तात्पर्य उन प्रतियोगिता परीक्षाओं से है जो विशेषीकृत रूप से इन नियमों के तहत उच्च पद की पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित श्रेणी या पदों को धारण करने वालों की श्रेणी के आयोजन तक सीमित हो।

(च) 'गैर-शैक्षणिक कर्मचारी' से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त हों और जिन्हें इस रूप में परिभाषित किया गया हो।

(छ) 'परिवीक्षाधीन' उस व्यक्ति से संबद्ध है जिसे किसी पद पर इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है।

(ज) 'नियमित सेवा' से तात्पर्य अनुबंध/दैनिक वेतन/अस्थायी/तदर्थ रूप से सेवारत कर्मचारियों को छोड़कर नियमित आधार पर अपने संवर्ग में किसी कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सेवा से है।

(झ) 'परिनियमों', 'अध्यादेश' और 'विनियमन' से तात्पर्य क्रमशः उन परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमनों से है जिन्हें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत निर्मित किया जाता है।

(ञ) 'चयन समिति' से तात्पर्य भर्ती नियमों के अनुसार जहाँ विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, चयन समिति के सदस्यों के एक संघटन से है जिसमें संविधियों/अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट 'विभागीय पदोन्नति समिति' भी शामिल है।

(त) 'विश्वविद्यालय' से तात्पर्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा है।

3. अधिनियम का प्रसार

ये नियम विश्वविद्यालय के समस्त गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू होंगे।

4. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे:

अ. समूह "क"

ब. समूह "ख"

स. समूह "ग", बहुकार्य कर्मी (एम.टी.एस)सहित

5. नियुक्ति प्राधिकार

समूह "क" के लिए नियुक्ति का प्राधिकार प्रबंध बोर्ड और समूह "ख" एवं समूह "ग" के लिए कुलपति के पास होगा।

6. अनुसूची

विभिन्न पदों के लिए पदों के नाम, उनका वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताओं का विवरण, अनुभव, आयु सीमा इत्यादि और पद के संदर्भ में कोई अन्य प्रासंगिक सूचना प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात यथासमय अधिसूचित किया जाएगा। सम्प्रति पदों की संख्या डी.ए.आर.इ. एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित पारस्परिक सहयोग समझौता (एम.ओ.यू.) के द्वारा निर्धारित होगी।

7. भर्ती की पद्धति

विश्वविद्यालय में निवर्तमान विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय के इन नियमों के अनुसार भर्ती की पद्धति निम्नानुसार होगी:-

(क) सीधी भर्ती

(ख) पदोन्नति

(ग) प्रतिनियुक्ति

8. गैर-शैक्षणिक पदों की सभी श्रेणियों के लिए विज्ञापन देने और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया

I. विज्ञापन का प्रकाशन

स्थायी प्रकृति के रिक्त गैर-शैक्षणिक पदों, अस्थायी प्रकृति के गैर-शैक्षणिक पद जिनके जारी रहने की संभावना हो, निश्चित अवधि/प्रतिनियुक्ति वाले पदों के लिए समुचित समय पर विज्ञापन दिया जाएगा। यह विज्ञापन दो अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों के अतिरिक्त प्राथमिकता के साथ 'रोजगार समाचार' में एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की वेबसाइट www.pusavarsity.org.in के अतिरिक्त डीएआरई/आईसीएआर की वेबसाइटों पर भी दिया जाएगा। किसी प्रदत्त पद पर अपनी उम्मीदवारी का वैयक्तिक निवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन (विज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रारूप में) मय आवश्यक संलग्नकों के निर्धारित शुल्क (अगर कोई हो) के साथ निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर जमा करा सकते हैं।

नोट: किसी पद के लिए स्तंभ संख्या 10 में प्रावधानों का उल्लेख न किये जाने पर विश्वविद्यालय अपने विवेक से समुचित औचित्य के साथ विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए किसी रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति या किसी अन्य माध्यम से भरना तय कर सकता है।

II. विज्ञापन जारी करने की तिथि

प्रत्येक मामले में पदों की विद्यमानता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन जारी करने की तिथि निर्धारित की जानी चाहिए।

III. विज्ञापन की वैधता अवधि

अगर किसी पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि से 12 महीने गुजर जाने के बाद भी चयन समिति की बैठक नहीं हुई है तो वह पद सामान्यतः पुनः विज्ञापित किया जाएगा। बशर्ते कि कुलपति के दृष्टिकोण से परिस्थितियाँ ऐसी न हो कि विज्ञापन की वैधता अगले छह महीनों के लिए बढ़ाई जा सके। लेकिन किसी भी मामले में विज्ञापन की वैधता आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि से लेकर 18 महीनों से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।

IV. आवेदन प्रपत्र

(क) समस्त पदों पर आवेदन सिर्फ मय बैंक ड्राफ्ट के निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर स्वीकार किए जाएँगे, और इस बैंक ड्राफ्ट की राशि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह बैंक ड्राफ्ट नियंत्रक, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम बनाना होगा। आवेदन प्रपत्र की कागजी प्रति आवश्यक संलग्नक के साथ और विज्ञापन में दिये गये निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ कुलसचिव या कुलपति द्वारा इस कार्य के लिए नामित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दूसरे किसी अधिकारी को भेजी जा सकती है। आवेदन प्रपत्र और निर्धारित शुल्क के परिव्ययों की सूची

समय-समय पर कुलपति द्वारा तय की जाएगी। एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यू.डी. के अभ्यर्थी भारत सरकार के नियमों के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करेंगे।

(ख) आवेदन-पत्र की प्राप्ति: आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि चार सप्ताह या विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस को जारी किए गए विज्ञापन के दिन विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि होगी। इसके बावजूद कुलपति के पास परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को निर्धारित करने का अधिकार होगा। अगर अंतिम तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को समापन तिथि या अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा।

(ग) आवेदन एक बंद लिफाफे में कुलसचिव या कुलपति द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार-848125 को प्रेषित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "..... पद हेतु आवेदन" विज्ञापन में उस पद के लिए निर्धारित 'पद कोड' के साथ लिखा जाना चाहिए।

(घ) लिखित परीक्षा का आयोजन

सीधी भर्ती के तहत पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार समूह "ख" एवं "ग" के गैर-शैक्षणिक पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। लिखित परीक्षा में अंग्रेजी भाषा दक्षता, सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, विश्वविद्यालय प्रणाली, कार्यालयी प्रक्रिया, फाइल करना, टिप्पण लेखन, प्रारूप लेखन, भारत सरकार के आधारभूत कार्यालयी नियम आदि से संबंधित प्रश्न या किसी अन्य विषय से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात पद के आवश्यकतानुसार एवं सेवा की तात्कालिक आवश्यकतानुसार वृत्तिक लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है।

योग्यता, अनुभव, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, कौशल/पेशा परीक्षा के उपयुक्त भारांक का मानदंड भारत सरकार की भर्ती नीति की संगति में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कनिष्ठ स्तर के अराजपत्रित समूह "ख" एवं "ग" के पदों के लिए साक्षात्कार की जरूरत समय-समय पर डी.ओ.पी.टी. के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी लिखित परीक्षा और अन्य पेशा कौशल परीक्षा का आयोजन कर सकता है एवं पाँच पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की संवीक्षा के अतिरिक्त अर्हकारी अंकों का निर्धारण कर सकता है। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की संवीक्षा के अलावा विश्वविद्यालय डी.पी.सी. के विचारार्थ कोई अन्य सख्त मानदंड भी निर्धारित कर सकता है।

9. न्यूनतम अर्हता और अनुभव

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्यता एवं अनुभव इन नियमों के द्वारा निर्धारित होगा और जिन पदों के लिए इन नियमों के अंतर्गत निर्धारण नहीं किया गया है उनके लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय की प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

10. आयु सीमा

विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु इन नियमों के समुचित स्तम्भों में निर्धारित की गई है। किंतु जहाँ इन नियमों के तहत अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, वहाँ वह वही होगी जो समय-समय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

11. पदों पर आरक्षण

नियुक्ति में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार की जो नीति लागू है, उसका ही पालन किया जाएगा।

12. यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के नियमानुसार रेल यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति जाएगी।

13. आवेदनों की संवीक्षा

विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की इस प्रकार यथाविधि संवीक्षा की जाएगी कि वह पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा करता है या नहीं एवं इसके द्वारा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की लघु सूची भी तैयार की जाएगी।

14. चयन समिति का संघटन

चयन समिति का संघटन और उसका कोरम निम्नलिखित है:

प्रशासनिक पदों के लिए चयन समिति:

1.	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2.	प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित छः नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित कोई एक सदस्य	:	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा नामित दो विषय-विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों	:	सदस्य

4.	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	:	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामित नियंत्रक या कोई अन्य अधिकारी	:	सदस्य
6.	या तो उप-कुलसचिव(स्थापना) या सहायक कुलसचिव (स्थापना)	:	सदस्य-सचिव

कुलपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर चयन के समय संबंधित इकाई के अध्यक्ष या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को चयन समिति में शामिल कर सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के नॉमिनी को चयन समितियों में शामिल किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को भी चयन समिति में शामिल किया जा सकेगा।

15. खुले चयन से सीधी भर्ती

क. सीधी भर्ती गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के भर्ती नियम के अनुसार होगी।

ख. विश्वविद्यालय में किसी स्थायी पद पर नियुक्ति योग्य उम्मीदवारों से यथाविधि गठित चयन समिति द्वारा पर दी गई संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी।

ग. यदि किसी विशेष पद की भर्ती के लिए आवश्यक हुआ तो चयन समिति साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए अपनी कोई पद्धति निर्धारित कर सकती है।

घ. न्यूनतम अर्हता, अनुभव और दूसरी शर्तों से संबद्ध निबंधन और शर्तें संलग्नक के अनुरूप होंगी।

ङ. आरक्षित वर्गों से आने वाले लोगों के रोजगार के संदर्भ में जो निबंधन और प्रक्रिया भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, उनकी पालना की जाएगी।

च. विश्वविद्यालय में किसी स्थायी पद पर भर्ती विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा संवीक्षा समिति के द्वारा योग्य उम्मीदवारों पर दी गई संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी।

छ. चयन समिति का प्रत्येक सदस्य प्रस्तुति और साक्षात्कार के लिए कुल अंकों में से समुचित अंक देगा। सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों का औसत ही प्रस्तुति और साक्षात्कार में किसी अभ्यर्थी को प्राप्त अंक माना जाएगा। बराबरी के मामले में समिति तर्क देते हुए उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करेगी।

ज. साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए समिति अपनी पद्धति का खुद निर्णय कर सकती है।

झ. चयन समिति एक चयनित सूची और एक आरक्षित सूची बनाएगी। चयनित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित कुल पदों/रिक्तियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चयन समिति एक आरक्षित सूची भी बनाएगी, जिसमें 2-3 नाम होंगे। आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का पैनाल सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होगा और विश्वविद्यालय आरक्षित पैनाल से अनुवर्ती रिक्तियों पर नियुक्ति का अधिकार रखता है। नियुक्ति के लिए दिये गये अनुबंधित समय में अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल के अंदर अभ्यर्थी के पद त्याग या उसके देहांत हो जाने या किसी भावी समकक्ष रिक्ति के कारण यह इस प्रकार की अनुवर्ती रिक्ति पैदा होती है।

ञ. विश्वविद्यालय के पास चयन के समय पदों को घटाने-बढ़ाने का अधिकार होगा।

ट. दो या दो से अधिक पदों पर एक ही दिन चयन के मामले में चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता को मद्देनजर रखते हुए ही निरपवाद रूप से सेवा में वरिष्ठता के निर्धारण हेतु अनुशांसा की जाएगी।

ठ. चयन समिति की अनुशांसाएँ प्रबंध बोर्ड को सौंपी जाएंगी और प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत ही नियुक्ति के आदेश जारी होंगे।

ड. चयन समिति की अनुशांसाओं के आधार पर प्रबंध बोर्ड अपने विवेक से भारत सरकार के नियमों में जैसा स्वीकृत है, उस प्रकार से किसी बाहरी संगठन से कार्यभार ग्रहण करने वाले किसी अभ्यर्थी को एकमुश्त लाभ दे सकती है या उसके वेतन को संरक्षित कर सकती है। वह ऐसा उन मामलों में कर सकती है जिनमें अभ्यर्थी के पास चयन समिति की संतुष्टि लायक उच्चतर योग्यता, अनुभव, उच्चतर वेतनमान और पेशागत विशेषज्ञता हो।

ढ. प्रबंध बोर्ड का अनुमोदन मिलने पर चयन समिति की अनुशांसाएँ अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होंगी।

16. सेवाओं का बहिःस्रोत एवं अस्थायी/तदर्थ/संविदा आधारित विनियोजन

क. विश्वविद्यालय एक खास अवधि के लिए एक समझौते के तहत किसी एजेंसी के साथ बागवानी, सफाई और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहाँ संभव हो सके, सेवाओं के बहिःस्रोतन की संभावनाओं का साधारणतया पता लगाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय को सेवाओं को किराए पर लेने के लिए बजट आवंटन के साथ साथ कार्य की तर्कसंगतता, तात्कालिकता, वित्तीय पहलू के परीक्षण के पश्चात टेंडर जारी करने जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना है। एजेंसी का चयन दर, कार्यक्षमता एवं साख, पिछला रिकार्ड, ग्राहक प्रतिक्रिया और सरकार के अधीन विनियामक प्राधिकरण की जरूरत की अनुपालना के आधार पर किया जाना चाहिए।

ख. जिस क्षेत्र/सेक्टर में सेवा को किराए पर लेना व्यवहार्य न हो, उस क्षेत्र में विश्वविद्यालय संविदा आधारित सेवाओं पर विचार कर सकता है लेकिन निर्दिष्ट कार्य की प्रकृति और उसके कार्य के भार और जिन नियम और शर्तों पर नियोजन

प्राधिकरण एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के बीच समझौता हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में इसके आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए। संविदा नियुक्ति एक निर्धारित समय के लिए होगा और इस समय का निर्धारण कार्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय जी.एफ.आर 2005 के प्रावधानों के अनुसार सलाहकारों के सलाह भी ले सकता है।

ग. बाह्य वित्तपोषित परियोजना में कुशल/अर्ध-कुशल संविदा कर्मियों की नियुक्ति पूर्णतया सह-टर्मिनस आधार पर होगी। परियोजना की समाप्ति के पश्चात बाह्य वित्तपोषित योजना/परियोजना के तहत कार्यरत कर्मियों की कोई भी देयता विश्वविद्यालय की नहीं होगी।

17. पदोन्नति

विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित होगी:

1.	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2.	प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित छः नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित कोई एक सदस्य	:	सदस्य
3.	कुलपति द्वारा नामित दो विषय-विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों	:	सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	:	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामित नियंत्रक या कोई अन्य अधिकारी	:	सदस्य
6.	या तो उप-कुलसचिव (स्थापना) या सहायक कुलसचिव (स्थापना)	:	सदस्य-सचिव

कुलपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के किसी भी पद पर पदोन्नति के समय संबंधित इकाई के अध्यक्ष या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को पदोन्नति समितियों में शामिल कर सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुलपति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के नॉमिनी को पदोन्नति समितियों में शामिल किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को भी पदोन्नति समितियों में शामिल किया जा सकेगा।

(अ) पदोन्नति के लिए विचारार्थ अभ्यर्थियों द्वारा पद के रिक्त होने की तिथि को निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

(आ) पदोन्नति कड़ी मेहनत, अच्छा आचरण और ए.पी.ए.आर./ए.सी.आर. आदि में वर्णित परिणाम आधारित प्रदर्शन के द्वारा अर्जित किया जाता है। पाँच पूर्ववर्ती वर्षों में लगातार केवल 'औसत', जैसे 'अच्छा' से अधिक प्रदर्शन करने वालों की पदोन्नति पर ही डी.पी.सी द्वारा विचार किया जाएगा। जबकि 'औसत' कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, इसे पूरक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(इ) डी.पी.सी कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड और उपरोक्त 17(इ) में वर्णित पाँच पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट(ए.पी.ए.आर.) के आधार पर कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करेगी। ए.पी.ए.आर. में किसी प्रतिकूल प्रविष्टि या ए.पी.ए.आर. में निर्धारित स्कोर के अभाव के मामले में तब तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक की सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस प्रतिकूल प्रविष्टि को निकाल नहीं दिया जाता। यदि सक्षम प्राधिकारी प्रतिकूल प्रविष्टि को नहीं निकालता है या स्कोर को नहीं बढ़ाता है तब संबंधित कर्मचारी को इन नियमों के अंतर्गत पद के लिए जरूरी निर्धारित बेंचमार्क को वहन करने वाली निर्धारित संख्या की रिपोर्ट के आ जाने तक इंतजार करना होगा।

(ई) योग्य कर्मचारी की पदोन्नति के मामले को वरीयता सूची के साथ सभी मामलों में विधिवत रूप से भरा हुआ योग्यता मानदंड, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, सी.आर. फोल्डर/डोसियर, पदों की संख्या का पूर्ण विवरण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या के विवरण के साथ डी.पी.सी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग से आरक्षित पदों के तहत पदोन्नति के मौकों को सुनिश्चित करने के साथ भारत सरकार के नियमों/डी.ओ.पी.टी के निर्देशों के तहत योग्य अधिकारी की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।

ग्रेडिंग और स्कोर निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	ग्रेडिंग पद्धति एवं ए.पी.ए.आर. में स्कोर
i	भर्ती/पदोन्नति के लिए औसत स्कोर की गणना के उद्देश्य हेतु "8-10 के बीच" के ग्रेड का आकलन 'उत्कृष्ट' के रूप में किया जाएगा और इसके लिए 9 स्कोर प्रदान किया जाएगा।
ii	भर्ती/पदोन्नति के लिए औसत स्कोर की गणना के उद्देश्य हेतु "6 और 8 से कम के बीच" के ग्रेड का आकलन 'बहुत अच्छा' के रूप में किया जाएगा और इसके लिए 7 स्कोर प्रदान किया जाएगा।
iii	भर्ती/पदोन्नति के लिए औसत स्कोर की गणना के उद्देश्य हेतु "4 और 6 से कम के बीच" के ग्रेड का आकलन 'अच्छा' के रूप में किया जाएगा और इसके लिए 5 स्कोर प्रदान किया जाएगा।
iv	4 से कम ग्रेड वाले को 'शून्य' स्कोर प्रदान किया जाएगा।

- (उ) विभागीय पदोन्नत समिति (डी.पी.सी) की बैठक जब भी जरूरत हो बुलाई जा सकती है।
- (ऊ) प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिए संकलित सूचनाएँ सटीक हैं और सभी मामलों में उचित क्रम में व्यवस्थित हैं और इस आशय का एक प्रमाण पत्र डी.पी.सी. के नोट का हिस्सा होगा।
- (ऋ) किसी की पदोन्नति या स्थायीकरण की योग्यता में किसी भी प्रकार का दंड (बृहद या लघु) बाधा निर्मित करेगा। फिर भी, 'निंदा' का लघु दंड पदोन्नति की योग्यता/स्थायीकरण पर विचार के लिए बाधा निर्मित नहीं करेगा, जब तक कि इसके आदेश में योग्यता के लिए बाधा पहुँचाने का खास तौर पर निर्देश न किया गया हो।

ए) निम्नलिखित मामले की ओर डी.पी.सी का ध्यान आकर्षित किया जाएगा:—

- i. निलंबित कर्मचारी
- ii. जिसके खिलाफ अभियोग-पत्र जारी कर दिया गया हो और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो; एवं
- iii. जिसके खिलाफ अपराधिक आरोप का अभियोजन विचाराधीन हो।

ऐ) डी.पी.सी अनुशासनात्मक पहलू को दरकिनार करते हुए उनकी उपयुक्तता का आकलन करेगी। डी.पी.सी. के निष्कर्ष एक बंद लिफाफे में रखा जाएगा और इस तथ्य को डी.पी.सी. की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया आगामी डी.पी.सी. के दौरान भी अपनायी जाएगी, जब तक कि अनुशासनात्मक/अपराधिक मामले समाप्त न हो जाएँ। मामलों के परिणाम के पश्चात बंद लिफाफे खोले जाएंगे। यदि अधिकारी ससम्मान सभी दोषों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तब उसकी पदोन्नति की तिथि पूर्वनियत तिथि होगी और वह अपने कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि के संदर्भ में पदोन्नत किया जाएगा और यदि इसके लिए आवश्यक हुआ तो सबसे कनिष्ठ कार्यवाहक व्यक्ति को पूर्वस्थिति में लौटाया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी यह तय करेगा कि वेतन का एरियर कब और किस सीमा तक अदा किया जाएगा। यदि एरियर को नकारा जाता है तो उसका कारण दर्ज करना होगा। यदि वह दोषमुक्त नहीं होता है तो बंद लिफाफे में दिए गए निष्कर्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(ओ) डी.पी.सी द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात संदेह के घेरे में विद्यमान अधिकारी के मामले पर भारत सरकार के नियमों के तहत फ़ैसला लिया जाएगा।

18. डी.पी.सी का प्रकार्य

- i. विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी) समूह 'क', 'ख' और 'ग' के कर्मचारियों के सभी मामलों पर विचार करेगा और उस पर संस्तुति प्रदान करेगा। विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए डी.पी.सी. का गठन परिशिष्ट-1 के तहत होगा।
- ii. गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (समूह 'ख' और 'ग') का तत्संबंधी पद पर स्थायीकरण परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक संपन्नता पर निर्भर है। समूह 'क' के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थायीकरण का आदेश सतर्कता अनापत्ति, निर्धारित बेंचमार्क (यानि 7 का स्कोर) को वहन करने वाली प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।
- iii. पदोन्नति मामलों पर विचार करते समय, विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी;

(अ) अधिनियमों/परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों/नियमों/आई. सी. ए. आर./ भारत सरकार के दिशानिर्देशों का प्रावधान लागू होगा।

(आ) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों पर योग्यता मानदंड एवं छूट/रियायत लागू

(इ) कार्य एवं आचरण रिपोर्ट

(ई) सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध वार्षिक सम्पत्ति विवरण(ए.पी.आर) सहित पाँच पूर्ववर्ती वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर)/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.)। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (ए.पी.ए.आर.) की संवीक्षा के दौरान डी.पी.सी नियम-18(इ) - (म) में उल्लेखित बेंचमार्क के संदर्भ में कोई मानदंड अपना सकता है या नियमानुसार विचारार्थ कोई अन्य मानदंड भी अपना सकता है।

(उ) सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट

(ऊ) भारत सरकार/डी.ए.आर.ई/आई.सी.ए.आर की आरक्षण नीति के अनुसार कैंडिडेटों के रोस्टर बिन्दु।

(ऋ) साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा में प्रदर्शन, यदि डी.पी.सी द्वारा नियमानुसार आयोजित किया गया हो।

iv) डी.पी.सी से मामलों की संवीक्षा और ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, रोस्टर, भर्ती नियम आदि पूर्वकथित दस्तावेजों के आधार पर योग्यता का निर्धारण अपेक्षित है।

नोट:- यदि किसी नामित प्राधिकारी द्वारा किसी खास अवधि के ए.पी.ए.आर पर कार्रवाई नहीं की जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कर्मचारी संबंधित खंड के खास अवधि की पूरी तरह से भरी हुई मूल्यांकन रिपोर्ट के जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो डी.पी.सी/संवीक्षा समिति उस खास अवधि की मूल्यांकन रिपोर्ट अनदेखा कर सकता है और तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्षों की रिपोर्टों पर विचार कर सकता है। पदनामित अधिकारी का यह आवश्यक दायित्व है कि वह इस उद्देश्य के लिए बनाए गये

रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करे और मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने के प्रमाण के रूप में उचित रसीद संबंधित कर्मचारी को जारी करे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक संबंधित रजिस्टर में ए.पी.ए.आर की प्रत्येक गतिविधि की समुचित प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

19. पदोन्नति की प्रणाली

- i) अधोल्लिखित पैरा (अ) में उल्लिखित पदों की पदोन्नति की शर्तों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय किसी भी श्रेणी के पद की पदोन्नति के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया का निर्धारण कर सकता है जिसका अनुगमन डी.पी.सी करेगा। इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार या अन्य ट्रेड/व्यावसायी परीक्षा का आयोजन कर सकता है और दक्षता की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ तरीके से किसी पद हेतु अर्हतांक निर्धारित कर सकता है। इन मामलों में कम-से-कम एक बाह्य विशेषज्ञ का उपयोग अनिवार्य है। समय-समय पर जारी किए जाने वाले डी.ओ.पी.टी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ स्तर के अ-राजपत्रित समूह ख एवं ग श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी।
- ii) महज योग्यता की पूर्ति किसी कर्मचारी को उसका/उसकी योग्यता की तिथि से आगामी उच्च पद पर पदोन्नत होने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.), सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कर्मचारी की योग्यता के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जा सकता है। उच्च पदों की उपलब्धता की स्थिति में विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा यथाविधि अनुमोदित डी.पी.सी की संस्तुति के आधार पर कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।
- iii) गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सभी पदोन्नतियाँ विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों का सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात पदभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।
- iv) प्रवर श्रेणी लिपिक, सहायक, अर्द्ध वृत्तिक सहायक, पुस्तकालय सहायक या समय-समय पर निर्मित अन्य पदों की पदोन्नति के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ-साथ टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के उन सभी स्टेनोग्राफरों और निजी सहायकों के लिए भी कंप्यूटर के ज्ञान के साथ-साथ टंकण परीक्षा/कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य आवश्यकता होगी जिन पर इन नियमों के तहत समूह क और ख पदों के लिए निर्धारित योग्यता के तहत निजी सहायक और निजी सचिव के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। स्नातक न्यूनतम योग्यता होगी।
- v) गैर-प्रदर्शन/दुराचरण/दुर्व्यवहार या सी.सी.एस. आचरण नियम, 1965 के नियम 3-a, b & c के उल्लंघन के कारण दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि, और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यदि इसके बाद भी प्रदर्शन में या ऊपर उदधृत विशेषताओं में सुधार नहीं होता है तब विश्वविद्यालय संबंधित कर्मचारी को सुधार का बगैर कोई अन्य अवसर प्रदान किए अविश्वसनीय कार्यमुक्त या प्रत्यावर्तित कर सकता है। यदि, संबंधित कर्मचारी विस्तारित परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन की संगति में स्थायी हो जाता है तब आगामी उच्च पद, यदि कोई उपलब्ध हो तो, पर उसकी पदोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (ए.पी.पी.एस.)/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.पी.सी.पी.एस.) या कैरियर प्रोन्नति योजना के तहत उच्च गमन आनुपातिक रूप से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे कर्मचारी की पदोन्नति/ए.पी.पी. योजना/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.पी.सी.पी.एस.)/कैरियर प्रोन्नति योजना पर योग्यता अर्जित करने की उसका/उसकी वास्तविक तिथि से एक वर्ष बाद विचार किया जा सकता है।

20. तदर्थ पदोन्नतियाँ

- i. जिस मामले में कोई मौजूदा रिक्ति हो और संभरक सरणि में कोई योग्य कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो ऊपर दिये गये नियम 17-19 द्वारा निर्धारित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं की पूर्णता उपरांत सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से अनुभव में एक साल की छूट पर विचार कर सकता है। किंतु जिस मामले में संबद्ध कर्मचारी नियमित पदोन्नति के लिए विचारणीय नहीं होता है, उस मामले में यह व्यवस्था लगातार एक साल से ज्यादा नहीं चल सकती। इन मामलों में इसप्रकार की तदर्थ पदोन्नति की तिथि से पूर्व के पिछले पांच सालों में संबद्ध अभ्यर्थी के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
- ii. जो कर्मचारी इन नियमों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं और अनुभव तथा दूसरी निर्धारित अर्हताएं रखते हैं, वे भी अवकाश/लिफ्ट/प्रतिस्थापन से पैदा रिक्तियों पर अथवा जिन मामलों में विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन समितियों की नियमित रूप से बैठकें संभव नहीं हो पाती, उन मामलों में तदर्थ पदोन्नति के लिए विचारणीय हो सकते हैं, बशर्ते कि वे उपरोक्त नियम 18 (ड) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में न्यूनतम प्राप्तांक 5 (वर्ग 'बी' और 'सी' पदों के संदर्भ में) और 7 (वर्ग 'ए' पदों के संदर्भ में) रखते हों। इस प्रकार के मामलों में रिक्ति की प्रकृति, एपीएआरएस, सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट, वरिष्ठता सूची, रोस्टर स्थिति इत्यादि जैसे प्रासंगिक दस्तावेजों की समुचित संवीक्षा उपरांत नियुक्ति प्राधिकार अपने विवेक से सीधे ही तदर्थ पदोन्नति कर सकता है।

21. पैनल

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए बनाया गया पैनल समान्यतया सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। एक वर्ष की अवधि की समाप्ति या नवीन पैनल के निर्माण के पश्चात, इसमें से जो भी पहले हो, पूर्ववर्ती पैनल समाप्त हो जाएगा।

22. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना (ए.सी.पी.)/ एम.ए.सी.पी./ कैरियर उन्नति योजना (सी.ए.एस.)

- i. विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में ए. सी. पी./ एम. ए. सी. पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को समय-समय पर संशोधित/ जारी भारत सरकार के आदेशों/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों के मुताबिक लागू किया जाएगा।
- ii. उपकुलसचिव या समकक्ष के स्तर तक के कर्मचारियों के ए सी पी के तहत वित्तीय उन्नयन के मामले में संवीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कुलसचिव करेंगे। कुलपति, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार जहाँ आवश्यक हो, कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ और अन्य सदस्य जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, को नामित करेंगे।
- iii. गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए लागू उपर्युक्त प्रोन्नति योजनाओं से सम्बंधित किसी भी विवाद में, विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
- iv. आई.सी.ए.आर. पैटर्न की तर्ज पर तकनीकी सेवा नियम निर्मित कर लिए जाने के बाद तकनीकी सेवाओं की कैरियर प्रोन्नति योजना (सी.ए.एस.) आई. सी. ए. आर. टी. आर. एस. द्वारा शासित होगी।

23. परिवीक्षा

- i. **सीधी भर्ती के मामले में:** चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति की तिथि से, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- ii. नियुक्ति प्राधिकरण असंतोषजनक प्रदर्शन, दुराचरण या दुर्व्यवहार के आधार पर परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है। अगर इस सबके बावजूद कोई भी उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, तो उसकी सेवाओं को एक महीने की नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक माह के वेतन के भुगतान पर समाप्त कर दिया जाएगा। संबंधित कर्मचारी भी छोड़ने के अपने विकल्प को एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक माह का वेतन देकर आजमा सकता है।
- iii. **आगामी उच्च पदों पर पदोन्नति के मामले में,** कर्मचारी (डी) को डीपीसी/ चयन समिति की तिथि से दो वर्ष (पद के उसी समूह के भीतर पदोन्नति के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं) के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकरण गैर-प्रदर्शन, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर या यदि वह उस नियुक्ति के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है जिस पद पर को कर्मचारी पदोन्नत किया गया है तो परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। इस सबके बावजूद यदि कोई भी उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है तो उसे तत्काल प्रभाव से अपने मूल पद पर वापस लौटाया जाएगा और उसके स्थान पर अगले कनिष्ठ को क्रमिक परिणामी प्रत्यावर्तन से बचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद तदर्थ/नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाएगा।
- iv. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित परिवीक्षा तथा स्थायीकरण सम्बन्धी नियम यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

टिप्पणी :-

- i. यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर भर्ती/ पदोन्नत किया गया है, तो वह टुकड़ों में छुट्टी ले या अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान दो महीनों या उससे अधिक की अवधि के लिए छुट्टी ले तो, सम्बंधित कर्मचारी की परिवीक्षा उतने दिनों के लिए समानुपातिक रूप से लिए गए अवकाश-अवधि के बराबर बढ़ जायेगी। व्यपगतीय छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, परिवर्तित अवकाश को छुट्टियों की गणना करते समय उपरोक्त उल्लिखित गिनती में नहीं ली जायेगी।
- ii. किसी भी असंतोषजनक स्थिति से बचने के लिए, अधिकारियों की परिवीक्षा के मामले की हर छह महीने में समीक्षा की जानी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के कार्य- प्रदर्शन की समीक्षा का परिणाम निष्क्रियात्मक होता है, तो उसे परिणामस्वरूप चेतावनी, जैसे जिस पद पर उसकी नियुक्ति/ प्रोन्नति हुई है, उससे बर्खास्तगी/ पदावनति आदि, दी जानी चाहिए। ऐसी चेतावनी सम्बंधित कर्मचारी को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए जिसके बाद उसके कार्य-प्रदर्शन को निरंतर पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखना चाहिए।
- iii. अनुबंध, प्रतिनियुक्ति, सावधि नियुक्ति या अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त के मामले में कर्मचारियों की कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- iv. बाहरी रोजगार का कोई आवेदन सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के अस्थायी कर्मचारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार के आधार पर आवेदन के अग्रेषण और स्वीकृति के समय इस आशय का एक शपथ पत्र जमा करवाना होगा कि वह अन्य विभाग में अपने चयन की स्थिति में पद से इस्तीफा देगा/देगी।
- v. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी तब तक स्थाई नहीं होगा जब तक कि वह सेवा समझौते पर हस्ताक्षर न कर दे।

24. आयु तथा अनुभव में छूट

क. भारत के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में उम्र, अनुभव आदि में छूट के लिए सांविधिक प्रावधान लागू होंगे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, इस आशय का एक प्रमाण पत्र, निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। तथापि, अंक-प्रतिशत सहित योग्यता में छूट की अनुमति भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत दी जायेगी, ऐसी छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त मामलों में भी मानी जाएगी। डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं होगी।

ख. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रबंध परिषद डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की तरह ही केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ कृषि विश्वविद्यालयों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों/ संगठनों/ संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी आयु-सीमा और अनुभव में उनकी सेवा के बराबर छूट दे सकता है।

25. अनुशासनात्मक/ सतर्कता अनापत्ति रिपोर्टें

- जो अभ्यर्थी पहले से सेवारत है, उसे अपने नियोक्ता या नियोक्ता द्वारा अधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित या अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा उसे आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
- योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना या किसी दस्तावेज को इरादतन छिपाना या अन्यथा एक अभ्यर्थी के रूप में नकली दस्तावेज देना या आवेदन में गुमराह करने वाला बयान/ सूचना देना या दस्तावेजों के साथ हेरफेर करना या उपलब्धियों, जाति, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव या निवास स्थान इत्यादि के बारे में ऐसी भ्रामक सूचना देना—ऐसे किसी मामले में विश्वविद्यालय के सतर्कता अधिकारी को छानबीन या पूछताछ करने का अधिकार होगा, और वह इस संदर्भ में नियुक्ति प्रक्रिया या रोजगार के दौरान किसी भी समय नियमानुसार अपनी रपट आगे की कार्रवाई हेतु प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

26. कठिनाइयों का निवारण

- इन नियमों के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रबंध परिषद समय-समय पर इस प्रकार के सामान्य और विशिष्ट निर्देश देगा जो आवश्यक हो सकते हैं।
- इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मसलों से जुड़े समस्त मौजूदा नियम और आदेश अप्रभावी हो जाएंगे किंतु पहले ही उठाया जा चुका कोई कदम या ऐसे मौजूदा नियमों के अंतर्गत हो रही अनुपालना को इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई के रूप में समझा जाएगा।

27. व्याख्या

इन नियमों के किसी खंड को लेकर पैदा किसी प्रकार की बहुअर्थता या स्पष्टता के अभाव में प्रबंध परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

28. नियमों में संशोधन

इनमें से किसी एक या सभी नियमों में संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, रद्दीकरण, निलंबन और छूट के लिए प्रबंध परिषद के पास प्राधिकार रहेगा। प्रबंध परिषद का निर्णय अंतिम होगा और सभी कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी होगा।

29. अवशिष्ट मसले

ऐसे सभी मसले जिनके बारे में इन नियमों में विशेषतः प्रावधान नहीं है, उनके संदर्भ में अपने कर्मचारियों के लिए डीएआरई/ आईसीएआर द्वारा निर्धारित या अपने कर्मचारियों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा तय और समय-समय पर संशोधित इसी प्रकार के सदृश्य प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। किसी मामले में इन नियमों का कोई विशिष्ट प्रावधान अगर अधिनियम या संविधि के किसी भी प्रावधान से टकराता है तो अधिनियम या संविधि का प्रावधान ही प्रभावी होगा और इन नियमों का प्रावधान अप्रभावी हो जाएगा।

30. भारत में या विदेश में सेवा करना अधिकारी का दायित्व

नियुक्त किया गया अधिकारी भारत या भारत से बाहर कहीं भी सेवा देने के लिए बाध्य होगा।

31. न्यायिक क्षेत्र

विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी भी अदालती मामले या कानूनी कार्रवाई की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उस राज्य के उच्च न्यायालय तक सीमित रहेगा जहाँ वह विवाद खड़ा होता है।

32. व्यावृत्ति

इन नियमों में से कोई भी, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, उम्र सीमा और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

33. भर्ती के सामान्य नियम और शर्तें

- अर्हता शर्तें पूरी करने मात्र से कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाने का अधिकारी नहीं होगा। हर स्थिति में सभी उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारण की तिथि आवेदन प्राप्त की विज्ञापन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि होगी। दूसरे शब्दों में किसी विशिष्ट पद पर आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम अर्हता और अनुभव आदि न रखने वाले किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

- ii. विज्ञापन द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अनिवार्य/अपेक्षित अर्हताएँ और अनुभव रखने के अतिरिक्त अंतिम तिथि उपरांत अर्जित किसी भी अतिरिक्त अर्हता और अनुभव पर चयन के समय विचार किया जा सकता है। किसी विशिष्ट पद हेतु इन नियमों में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव की गणना जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार एक क्षेत्र विशेष या एक से अधिक क्षेत्रों के अनुभव को परिगणित करते हुए की जा सकती है।
- iii. जो उम्मीदवार पहले से नौकरी में है, उसे अपना आवेदन उचित माध्यम से जमा करना होगा। किंतु वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकता/सकती है और उसे आवेदन पत्र/अग्रिम आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से तीस दिनों के अंदर अपने नियोक्ता से एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अभाव में उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का आवेदन अपेक्षित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकार से विधिवत् रूप से प्रमाणित सी आर दस्तावेजों के साथ नियोक्ता से उचित माध्यम से अग्रेषित कराया जा सकता है।
- iv. जिस पद पर उम्मीदवार आवेदन कर रहा/रही है, उसके लिए निर्धारित अर्हता, अनुभव आदि के अनुसार अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना और विधिवत् रूप से भरे गये अपने आवेदन को विज्ञापन अनुसार अपेक्षित सूचनाओं, दस्तावेजों और दूसरी सहायक सामग्रियों के साथ जमा करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना को छिपाना, नकली दस्तावेज देना, गुमराह करने वाला बयान/सूचना देना या उम्मीदवार की कोई और अनापेक्षित गतिविधि उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने वाली होगी। किसी मामले में अगर नियुक्ति के बाद भविष्य में भी समय के किसी बिंदु पर इसका पता लगता है कि उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और अनुभव आदि के अनुसार योग्य न था और जिसका साक्षात्कार के दौरान पता लगाया न जा सका था, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो उसकी नियुक्ति इस खंड के मुताबिक और उसके शपथपत्र के आधार पर भी अविलंब बर्खास्तगी का विषय होगी। इसका उल्लेख नियुक्ति पत्र पर साफ-साफ किया जाना चाहिए। नियुक्ति के सामान्य नियमों और किसी पद विशेष की अर्हताओं को लेकर किसी भी अस्पष्टता के संदर्भ में प्रबंध परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।
- v. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/दावों इत्यादि की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार/स्रोतों द्वारा उनके सत्यापन के अधीन होगी। अगर कोई दावा/प्रमाणपत्र/दस्तावेज सत्यापन के किसी भी स्तर पर नियुक्ति के पहले या बाद में झूठा/नकली/त्रुटिपूर्ण/जाली पाया जाता है तो सवालियों के घेरे में आये उस दस्तावेज को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ इस कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई में शामिल है उसकी उम्मीदवारी खारिज कर देना और अगर उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, तो यह कार्रवाई उसके रद्दीकरण का हेतु बनेगी।
- vi. नियुक्ति प्रक्रिया या रोजगार के किसी भी स्तर पर अगर पाया जाता है कि योग्यता विषयक तथ्यात्मक सूचना को इरादतन छिपाया गया है या अन्यथा एक अभ्यर्थी के रूप में नकली दस्तावेज दिये गये हैं या आवेदन में गुमराह करने वाला बयान/सूचना दी गई है या दस्तावेजों के साथ हेरफेर की गई है या उपलब्धियों, जाति, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव या निवास स्थान इत्यादि के बारे में ऐसी भ्रामक सूचना दी गई है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी और अगर उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, तो तुरंत प्रभाव से उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी।
- vii. किसी भी पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति समय-समय पर संशोधित भर्ती की सेवा शर्तों/पद्धति द्वारा शासित अधिनियम/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमनों/नियमों और विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद् की प्रस्तावनाओं एवं भारत सरकार के नियमों/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर ग्रहण किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के तहत शासित होगा।
- viii. गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के चरित्र का पूर्ववृत्त पुलिस/उप जिलाधीश/आयुक्त इत्यादि से सत्यापित कराया जाएगा। प्रतिकूल जाँच परिणाम की स्थिति में बिना किसी नोटिस के नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- ix. चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की शपथ लें और नियुक्ति के समय निर्धारित प्रपत्र पर विधिवत् रूप से इसप्रकार का प्रतिज्ञापन करें।
- x. नियुक्ति होने पर निर्धारित प्रारूप में उसे अपनी वैवाहिक स्थिति की घोषणा करनी होगी। एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने की स्थिति में उसकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी बशर्ते कि इस संदर्भ में उसे इस बाध्यता से छूट न मिली हो।
- xi. नियुक्ति के समय एक सेवा अनुबंध विश्वविद्यालय और संबंधित कर्मचारी के मध्य निष्पन्न होना चाहिए और उसकी एक प्रति कूलसचिव के यहाँ जमा होनी चाहिए। शिक्षक और विश्वविद्यालय के मध्य के लिखित अनुबंध के लिए अपेक्षित है कि उसे विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज किया जाए। इसप्रकार के सेवा अनुबंध पर लागू दरों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉप लगाया जाएगा।
- xii. चयनित अभ्यर्थियों को अपने पद पर नियुक्ति से पूर्व इस पद के लिए अपेक्षित चिकित्सकीय योग्यता की जाँच हेतु विधिवत् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की चिकित्सकीय जाँच/परीक्षण से होकर गुजरना होगा। समूह 'क' और 'ख' के पदों के लिए यह जाँच एक चिकित्सा परिषद् द्वारा होगी जबकि समूह 'ग' के पदों के लिए सिविल सर्जन द्वारा। अगर अधिकृत चिकित्सकीय प्राधिकारियों द्वारा उसे सक्षम नहीं पाया जाता तो नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा।

सरकार या स्वायत्त निकायों के अंतर्गत पहले से सेवारत अभ्यर्थी अपने नियुक्ता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है कि प्रथम नियुक्ति के समय उसे स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।

- xiii. नियुक्ति/आबंधन के निबंधन और शर्तें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/आबंधन पत्र में सूचित की जाएंगी। नियुक्ति/आबंधन पत्र में उल्लेखित निबंधनों और शर्तों को अगर उम्मीदवार अनुबद्ध समय के अंदर स्वीकार नहीं करता तो नियुक्ति का यह प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा और आगे इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं स्वीकारा जाएगा। सक्षम प्राधिकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह सेवा प्रकृति के क्षेत्र का विस्तार कर दे और किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय यहाँ तक कि रविवार और अवकाश के दिनों तक में कोई भी कर्तव्य सौंप दे। अति आवश्यक सेवा की स्थिति आने पर रात्रिकालीन कार्य भी सौंपा जा सकता है। किसी पद के लिए पहले से अधिसूचित कार्यों में परिगणित न होने पर भी विश्वविद्यालय के हित में किसी भी कर्मचारी को ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं।
- xiv. चयनित व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार अपने आवास की व्यवस्था करनी होगी।
- xv. चयनित उम्मीदवार 01.01.2004 से प्रभावी भारत सरकार की 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' ('नवीन पेंशन योजना' के रूप में ख्यात) से शासित होंगे। यह योजना 1 जनवरी 2016 को या इसके बाद चयनित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू है। तथापि जो कर्मचारी इस योजना के लागू होने के पहले से ही सेवारत थे, सावधिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर, वे उनकी पेंशन का नियमन करने वाली (पूर्व) योजना से ही शासित होंगे।
- xvi. चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी काम करने के लिए बाध्य है जहां विश्वविद्यालय के कार्यालय या परियोजनाएं स्थित हैं या भविष्य में स्थित हो सकती हैं।
- xvii. चयनित उम्मीदवार इस विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधियों/अध्योदेशों/विनियमनों/नियमों से और समय-समय पर संशोधित भारत सरकार की सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 से शासित होंगे। विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद् द्वारा कर्मचारियों के आचरण के नियमन के लिए जो नियम/प्रस्ताव विशेष रूप से निर्धारित किये जाते हैं, वे भी इसके कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- xviii. गैर-शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभवों, आयु, जाति और अन्य अनुशंसा पत्रों से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियाँ अपने आवेदन के साथ प्रेषित करनी चाहिए (डीओपीटी ओ.एम. नं. के - 11022/67/2012-ए.आर, तिथि 10 मई, 2015)।
- xix. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के मामले में अंकों की छूट भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगी।
- xx. अपने विभागों में समकक्ष पदों के लिए एक अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड की न्यूनतम अर्हता का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- xxi. उम्मीदवार को अपनी उम्र, अर्हताओं, अनुभव और जाति विषयक सभी मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय लाने चाहिए। अगर किसी मामले में उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों/छाया प्रतियों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों को जमा करने में असफल रहता है तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी इस संदर्भ में आगे बिना किसी पत्र व्यवहार के रद्द मान ली जाएगी।
- xxii. क. विश्वविद्यालय विज्ञापित पदों को भरने या किसी भी कारण से न भरने का पूरा अधिकार रखता है। अगर विज्ञापन उपरांत किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पद पर कोई रिक्ति पैदा होती है, तो वह रिक्ति उस पद के लिए बने पैनल से चयन समिति की बैठक की तिथि से एक साल के अंदर भरी जा सकती है। किसी भी मामले में चयन समिति की बैठक की तिथि से एक साल बाद हर पैनल अवैध समझा जाएगा।

ख. विश्वविद्यालय के पास कोई कारण दिये बिना किसी भी समय विज्ञापन को पूर्णतः या अंशतः वापिस लेने का अधिकार है।

ग. सीधी नियुक्ति के आधार पर पद भरने के लिए चयन समिति से यह अपेक्षा रहेगी कि वह एक चयनित सूची और एक आरक्षी सूची तैयार करे। चयनित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित कुल पदों/रिक्तियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चयन समिति एक आरक्षित सूची भी बनाएगी जिसमें 2-3 नाम होंगे। आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों का पैनल सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की तिथि से एक साल के लिए वैध होगा और विश्वविद्यालय आरक्षित पैनल से अनुवर्ती रिक्तियों पर नियुक्ति का अधिकार रखता है। नियुक्ति के लिए दिये गये अनुबंधित समय में अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक साल के अंदर अभ्यर्थी के पदत्याग या उसके देहांत हो जाने या किसी भावी समकक्ष रिक्ति(यों) के कारण यह इस प्रकार की अनुवर्ती रिक्ति पैदा होती है।

घ. विश्वविद्यालय के पास किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है।

ङ. विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान की शर्तों पर एक सलाहकार को नियुक्त करे।

च. यदि किसी पद/पदों के किसी विज्ञापन को किसी भी कारण से वापस लिया जाता है तो आवेदक से वसूला गया आवेदन शुल्क या कोई दूसरा शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा।

xxiii. क. अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. अपने पक्ष में की गई किसी भी प्रकार की बहस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य बना देगी।

ग. आवेदकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रपत्र पर आवेदन करें। खाते में देय ड्राफ्ट वाले अपेक्षित शुल्क रहित प्रत्येक आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा।

xxiv. डाक में होने वाले किसी भी विलंब के लिए विश्वविद्यालय जबावदेह नहीं होगा। उम्मीदवार से यह अपेक्षित होगा कि वह संलग्नकों की सूची जमा करे और वह अपने पत्राचार वाले पते और स्थायी पते के संदर्भ में पिनकोड, टेलीफोन नं., सेलफोन नं., ईमेल पता (अगर कोई हो) आदि का पूरा विवरण अपने आवेदन में दे। इस सूचना से समय के किसी भी बिंदु पर संवाद सुकर हो जाएगा।

xxv. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार उपकुलसचिव (प्रशासन) या विश्वविद्यालय के किसी अन्य नामित अधिकारी से लिखित में संपर्क कर सकता है। किसी उम्मीदवार की किसी भी शिकायत की स्थिति में, वह उम्मीदवार नियुक्ति विषयक अपनी उस समस्या के समाधान हेतु विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित समय रहते अग्रिम रूप में अपनी बात रख सकता है।

34. सेवा की प्रकृति

चयनित अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। परिस्थिति बन जाने पर विश्वविद्यालय, गैर-कार्य दिवस/गैर-कार्य घंटों के दौरान भी कार्य सौंप सकती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए कर्मचारी द्वारा इस दायित्व का निर्वहन आवश्यक है।

परिशिष्ट 1

चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती/गैर शैक्षणिक कर्मियों की विभागीय पदोन्नति समिति

(1) चयन समिति का गठन निम्नलिखित से होगा :

(क) कुलसचिव और लेखा नियंत्रक जैसे सांविधिक पदों के लिए चयन समिति :

समय समय पर संशोधित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अंतर्गत संविधि 18 (2) के अनुसार

(ख) सहायक कुलसचिव एवं उससे उच्च पदों (सांविधिक पदों के अतिरिक्त) के लिए चयन समिति :

1	कुलपति या कुलपति द्वारा नामित व्यक्ति (जो प्रोफेसर पद से नीचे का नहीं होगा)	:	अध्यक्ष
2	प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत 6 सदस्यों की सूची में से एक सदस्य जिसे कुलपति नामित करें	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों)	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी प्रतिनिधि	:	सदस्य
5	संबंधित विभागाध्यक्ष	:	सदस्य
6	कुलसचिव		सदस्य-सचिव

(ग) विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में तकनीकी पदों (सहायक कुलसचिव से निम्न स्तर के पद) के लिए चयन समिति

1	कुलपति द्वारा नामित शिक्षा/शोध/निदेशक प्रसार शिक्षा	:	अध्यक्ष
2	प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत 6 सदस्यों की सूची में से एक सदस्य जिसे कुलपति नामित करेंगे	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों)	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी प्रतिनिधि	:	सदस्य
5	कुलपति द्वारा नामित संबंधित अधिष्ठाता/केंद्र/संस्थान/विंग के अध्यक्ष	:	सदस्य
6	कुलपति द्वारा नामित कुलसचिव/उप कुलसचिव (स्थापना)/उप कुलसचिव के समकक्ष ग्रेड का कोई व्यक्ति		सदस्य-सचिव

(घ) गैर तकनीकी पदों (सहायक कुलसचिव से निम्न स्तर के पद) के लिए चयन समिति

1	कुलसचिव	:	अध्यक्ष
2	प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकृत 6 सदस्यों की सूची में से एक सदस्य जिसे कुलपति नामित करें	:	सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ (जो विश्वविद्यालय में सेवारत न हों)	:	सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित एससी/एसटी प्रतिनिधि	:	सदस्य
5	कुलपति द्वारा नामित लेखा नियंत्रक या कोई अन्य अधिकारी	:	सदस्य
6	उप कुलसचिव (स्थापना) या सहायक कुलसचिव (स्थापना)	:	सदस्य-सचिव

परिशिष्ट -2

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा- 848125, बिहार
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
अनुसूची
भर्ती नियम 2016 (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु)

क्रम सं.	पद का नाम	वर्ग	6वें वेतन आयोग अनुसार आधारभूत वेतनमान	
			वेतनमान (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)
1	2	3	4	5
सचिवालयीय सेवाएँ				
1	सहायक	B	9300-34800	4200
2	लेखाकार	B	9300-34800	4200
3	निम्नवर्गीय लेखा परीक्षक	B	9300-34800	4200
4	प्रभागीय लेखाकार	B	9300-34800	4200
5	निम्नवर्गीय आशुलिपिक	C	5200-20200	2400
6	निम्नवर्गीय लिपिक	C	5200-20200	1900

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा- 848125, बिहार
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	निम्नवर्गीय लिपिक
2	वर्गीकरण	वर्ग 'सी'
3	वेतनमान और ग्रेड वेतन	रु. 5200-20200 (वेतन बैंड -1) + ग्रेड वेतन रु. 1900/-
4	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएँ	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट/पी.यू.सी. ii कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी iii हिंदी/अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में प्रति मिनट 30 शब्दों की निपुणता

6	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	नहीं
7	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
8	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 85% एल.सी.टी. द्वारा 10% उपरोक्त अनिवार्य अर्हताएँ रखने वाले बहु कार्य कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा 5% लिखित परीक्षा : 1. अभिरुचि परीक्षा - 100 2. सामान्य ज्ञान - 50 3. भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) - 100 4. कंप्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा (अर्हता निर्धारक) अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कुल समग्र 250 अंकों के आधार पर होगा (100+50+100) पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट स्तर का होगा।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जायेगा :	अनिवार्य अर्हता धारक बहु कार्य कर्मचारियों में से
10	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम, 2016 के अनुसार (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु निर्धारित) : परिशिष्ट-1

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
सहायक पदों के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	सहायक
2	वर्गीकरण	वर्ग 'सी'
3	वेतनमान और ग्रेड वेतन	रु. 9300-34800 (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन रु. 4200/-
4	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएँ	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि ii कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	नहीं
7	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष

8	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 25% एल.सी.टी. द्वारा 25% कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा 50% लिखित परीक्षा : 1. अभिरुचि परीक्षा – 100 2. सामान्य ज्ञान – 50 3. भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) – 100 4. कंप्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा (अर्हता निर्धारक) अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कुल समग्र 250 अंकों के आधार पर होगा (100+50+100) पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का होगा।
9	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन द्वारा भर्ती की स्थिति में जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समायोजन किया जायेगा :	पदोन्नति : वेतनमान -1 (रु. 5200-20200). ग्रेड वेतन रु. 2400 के साथ उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर 6 वर्षों का अनुभव प्रतिनियुक्ति: केंद्र/राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे स्वायत्त संस्थानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी
10	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम, 2016 के अनुसार (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु निर्धारित) : परिशिष्ट-1

नोट: सहायक पदों की सभी नयी नियुक्तियां ग्रेड वेतन 4200 पर होगी। पदोन्नति सिर्फ उन कर्मचारियों को दी जाएगी जो किसी विषय में स्नातक हैं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)

लेखाकार/प्रभागीय लेखाकार पदों के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	लेखाकार/प्रभागीय लेखाकार
2	वर्गीकरण	वर्ग 'बी'
3	वेतनमान और ग्रेड वेतन	रु. 9300-34800 (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन रु. 4200 /-
4	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएं	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ii कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	नहीं
7	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
8	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा/	सीधी भर्ती द्वारा 25% एल.सी.टी. द्वारा 25%

	समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा 50% लिखित परीक्षा : 1. अभिरुचि परीक्षा – 100 2. सामान्य ज्ञान – 50 3. भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) – 100 4. कंप्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा (अर्हता निर्धारक) अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कुल समग्र 250 अंकों के आधार पर होगा (100+50+100) पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का होगा।
9	समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति: केंद्र/ राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य दूसरे स्वायत्त संस्थानों में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारक अधिकारी
10	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम, 2016 के अनुसार (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु निर्धारित) : परिशिष्ट –1

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
कनीय लेखा परीक्षक पदों के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	कनीय लेखा परीक्षक
2	वर्गीकरण	वर्ग 'बी'
3	वेतनमान & ग्रेड वेतन	रु. 9300-34800 (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन रु. 4200 /-
4	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएँ	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ii कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	नहीं
7	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
8	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 50% एल.सी.टी. द्वारा 50% लिखित परीक्षा : 1. अभिरुचि परीक्षा – 100 2. सामान्य ज्ञान – 50 3. भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) – 100 4. कंप्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा – 50 अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कुल समग्र 300 अंकों के आधार पर होगा (100+50+100+50) पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का होगा।

9	समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम, 2016 के अनुसार (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु निर्धारित) : परिशिष्ट -1

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार
(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित)
कनीय आशुलिपिक पदों के लिए भर्ती नियम

1	पद का नाम	कनीय आशुलिपिक
2	वर्गीकरण	वर्ग 'सी'
3	वेतनमान & ग्रेड वेतन	रु. 5200-20200 (वेतन बैंड -2) + ग्रेड वेतन रु. 2400 /-
4	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष
5	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य आवश्यक योग्यताएँ	अनिवार्य: i मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इंटर / 10+2 उत्तीर्ण ii अंग्रेजी / हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशु लिप्यंकन की दक्षता iii अंग्रेजी/ हिंदी टंकण में प्रति मिनट 30/25 शब्दों की दक्षता iv कंप्यूटर अनुप्रयोगों की जानकारी
6	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	लागू नहीं
7	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष
8	भर्ती की विधि: सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा / समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100% लिखित परीक्षा : 1. अभिरुचि परीक्षा - 100 2. सामान्य ज्ञान - 50 3. भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) - 100 4. कंप्यूटर कौशल परीक्षा - 50 अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी के लिए 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं होगा। चयन कुल समग्र 300 अंकों के आधार पर होगा (100+50+100+50) पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का होगा।
9	समायोजन द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	लागू नहीं
10	सीधी भर्ती के लिए चयन समिति का गठन	भर्ती नियम, 2016 के अनुसार (गैर शैक्षणिक कर्मियों हेतु निर्धारित) : परिशिष्ट -1

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 9 of 2017)

No. 82/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the Mode of Constitution of Selection Committee and Qualification for non-teaching staff in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No. 5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause 18 (8) read with Clause 21(2) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University First Statutes and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the Recruitment Rules of Non-Teaching Employees of the University enclosed at Annexure-1 of this Ordinance.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY**Pusa-848125, Bihar.**

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

SERVICE & RECRUITMENT RULES (NON-TEACHING EMPLOYEES), 2017

The Board of Management of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University in exercise of the powers conferred under Statute 18.8 and 21.2 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act-2016, hereby makes and adopts the following rules for regulating method of recruitment to non-teaching posts (including Library posts) in the University.

1. Short Title and Commencement

- (i) These rules may be called Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa Service & Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2017.
- (ii) These will come into force on the date of its notification.

2. Definitions

- (a) "Act" means the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 as amended from time to time.
- (b) "BOM" means the Board of Management of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa.
- (c) "Departmental Candidate" means those employees working on regular basis in the University but does not include employees working on ad-hoc, daily wages or contract basis.
- (d) "Government" means the Central Government/ Govt .of India.
- (e) "Limited Departmental Examination" or "Test" means a competitive test limited to certain category or categories of holders of posts conducted by the University for Promotion to a higher post specified in these Rules.
- (f) "Non-Teaching Employees" means employees of the University other than University teachers and such other employees as defined otherwise.
- (g) "On Probation" with relation to a person, means a person appointed to any post on probation as specified in these Rules.
- (h) "Regular Service" means service rendered by an employee in the Cadre on regular basis other than the service on contract/ daily wages/ temporary/ ad-hoc promotion.
- (i) "Statutes", "Ordinance" and "Regulation" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016.
- (j) "Selection Committee" means a composition of members of Selection Committee including Departmental Promotion Committee as specified in the Statues/ Ordinances, where not specified, as per these Recruitment Rules.
- (k) "University" means the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016.

3. Extent of Application

These rules shall apply to all the non-teaching employees of the University.

4. The staff of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University shall be classified as

- a. Group "A"
- b. Group "B"
- c. Group "C" including Multi Tasking Staff (MTS)

5. Appointing Authority

The Appointing Authority for the posts in Group 'A' shall be the Board of Management and for Group 'B' and Group 'C' shall be the Vice-Chancellor.

6. Schedule

The designation of posts, their classification, scales of pay, the details of qualifications, experience, age limit etc. for various posts and any other information relevant to the post will be notified in due course of time after taking approval of the BOM. For the time being the number of posts will be governed by the MoU signed between DARE & GOB.

7. Method of Recruitment

The following shall be the mode of recruitment for various posts existing in University in accordance with these rules of the University:-

- (a) Direct Recruitment
- (b) Promotion
- (c) Deputation

8. Procedures for issue of Advertisement and inviting applications for all categories of Non-teaching posts

I. Issue of Advertisement

The vacant Non-teaching posts of permanent nature, the posts of temporary nature likely to continue, tenure/deputation posts etc. shall be advertised in appropriate time, giving at least two insertion in any of the popular National Dailies, with preferably one insertion in the 'Employment News', and websites of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University cau.org.ac.in and DARE/ICAR. Individual desirous of offering their candidature for a given post may submit their application (as prescribed in the advertisement) with all the necessary enclosures and prescribed application fee, if any, within the prescribed closing date.

Note : Notwithstanding the provisions mentioned at column No.10 of each post the University may at its discretion decide to fill-up any vacancy on deputation or any other mode in the interest of the University with proper justifications.

II. Date of issue of Advertisement

In each case, the date of issue of advertisement should be decided keeping in view the exigencies and requirements of the job.

III. Validity period of Advertisement

Where the Selection Committee has not met even after a lapse of 12 months w.e.f. the closing date of application for any post, the post shall ordinarily be re-advertised. Provided that if in the opinion of the Vice-Chancellor the circumstances so necessitate, it may extend the validity of the advertisement for another six months. However, in any case, the validity of an advertisement shall not be extended beyond 18 months w.e.f. the closing date of the receipt of applications.

IV. Application Form

- a) Applications for all the posts shall be entertained only on the prescribed application forms, accompanied by a Bank Draft only for the amount as fixed from time to time by the University. The Bank Draft shall be made in favour of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University. A hard copy of application form with all necessary enclosures along with the prescribed application fee as per the advertisement may be sent to the Registrar or any other officer of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa nominated by the Vice Chancellor for this purpose. The schedule of charges for the application forms and prescribed fees shall be as determined by the Vice-Chancellor from time to time. The SC/ST/PWD will be charged application fee as per Government of India rules.
- b) **Receipt of applications:** The closing date for application form shall be four weeks or as specified in the advertisement from the date of release of vacancies to the press by the University. However, the Vice-Chancellor may at his discretion decide the closing date for receipt of application keeping in view the exigencies of the situation. In case the closing date is a holiday, the next working day shall be treated as closing/ last date.

- c) Application should be addressed to the Registrar or the officer nominated by the Vice Chancellor for this purpose", Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa., Bihar-848125" in a closed cover super-scribing "Application for the post of along with the "Post Code :" of the post as prescribed in the advertisement.

d) **Holding of Written Tests**

While filling up the posts under direct recruitment, the University may hold the written tests for Group "B" and "C" Non-Teaching posts to be decided by the competent authority. The written tests may comprise language proficiency in English, General Knowledge, Analytical Ability, University System, Office Procedures, Filing, Noting, drafting, Basic GoI Rules etc. or any other subject or professional test depending upon the exigency of service and job requirements as per approval of the Competent Authority.

The criteria to assign appropriate weightage to qualification, experience, performance in written test, skill/ trade test etc will be decided by the competent authority inconsonance with recruitment policy of Govt. of India. The requirement of interview will be dispensed with for junior level non-gazetted group B and C category posts as per directives of DOPT issued from time to time.

The University may also hold the written tests and other trade/ professional tests at the time of promotion of the employees of the University at its discretion and fix qualifying marks in addition to screening of the Annual Performance Appraisal Reports for five preceding years. While screening the Annual Performance Appraisal Reports, the University may also fix any other stringent criteria for consideration of the DPC.

9. Minimum Qualification and Experience

For recruitment to various posts, the qualifications and experience shall be as prescribed in these rules and where these are not prescribed in the rules, the qualification requirements of such posts shall be decided by Board of Management of the University.

10. Age Limit

The upper age limit for appointment to various posts has been prescribed in the appropriate column of these rules. However, the upper age limit for appointment where not prescribed under these rules will be as prescribed by the Board of Management from time to time.

11. Reservations of posts

The policy of the Government of India with regard to the reservation as applicable for various categories in recruitment shall be followed.

12. Payment of Travelling Allowance

SC/ST candidates will be reimbursed travel expenditure as per Government of India rules.

13. Screening of applications

The applications received for various posts will be duly screened in order to ensure that the applicants fulfilled the criteria prescribed for the posts and also to short list the candidates for written test/interview.

14. Constitution of Selection Committees

The Constitution of the Selection Committee and their quorum are as under:

Selection Committee for **administrative** posts:

1.	Registrar	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel of six names approved by the Board of Management	:	Member
3.	Two experts, not in service of the University to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
4.	A representative of SC/ST to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
5.	Comptroller or any other Officer to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
6.	Either Deputy Registrar (Estt.) or Asstt. Registrar (Estt.)	:	Member-Secretary

The Vice-Chancellor at his discretion may include the Head or any other senior member of the unit concerned in the Selection Committees at the time of Selection to any post of the University. In addition to the above, the nominee(s) of the SC/ ST community to be nominated by the Vice-Chancellor shall be included in the Selection Committees. Any other member/ members shall also be included in the Selection Committees as per the instructions of Government of India issued from time to time.

15. Direct Recruitment by Open Selection

- a) Direct recruitment shall be made as per Recruitment Rules of the University for Non-Teaching employees.
- b) Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee from amongst the eligible candidates.
- c) The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview if required to be held to fill up a particular post.
- d) The terms and conditions with regard to the minimum qualification, experience and other terms shall be as per annexure.
- e) The rules and procedures prescribed by the Govt. of India in respect of the provisions for the employment of persons from reserved categories shall be followed.
- f) Recruitment to any regular post in the University shall be made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee from amongst the eligible candidates as per the recommendations of Screening Committee.
- g) For presentation and Interview, the individual members of the Selection Committee will assign appropriate marks out of the total marks. The average of the marks assigned by the members is the mark obtained by the candidate in presentation and Interview. In case of tie, the Committee will select appropriate candidate assigning reason.
- h) The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview.
- i) The selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid for one year from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy(ies).
- j) The University reserves the right to increase/decrease the number of posts at the time of selection.
- k) In case of selection to two or more posts on the same date, the recommendations shall invariably be made in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
- l) The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Board of Management and orders of appointment shall be issued after the approval of the Board of Management.
- m) Based on the recommendations of the Selection Committee, the Board of Management may, at its discretion, sanction one-time benefit or protect pay of any candidate joining from outside organizations as admissible under the Govt. of India rules in case the candidate possesses higher qualification, experience, higher pay scale and professional expertise to the satisfaction of the Selection Committee.
- n) The Selection Committee's recommendations, when approved by the Board of Management, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

16. Outsourcing of Services and Engagements on Temporary / Ad-hoc/ Contract basis.

- i. The University shall ordinarily explore the possibilities of outsourcing of services in the sectors like the security, horticulture, sanitation and other areas where-ever possible through agencies by entering into contract for a specified period. For this purpose, the University has to follow the prescribed procedures of hiring of services such as issue of tender etc. after examining the justification, exigencies and financial implication followed by budget allocations. The selection of agencies has to be made based on rates, efficiency and reputation, past record, client feedbacks and compliance to the requirements of the regulatory authorities under the appropriate Government.
- ii. Where the hiring of services in any area/ sector is not feasible, the University may consider engagement on contract basis on certain monetary consideration, taking into consideration the nature of assignments and work load involved, and terms and conditions as may be agreed to between the Appointing Authority and the person appointed on contract. The contractual appointment shall be given for the specific period as decided by the competent authority from time to time keeping in view the exigency of work. The University may also consider engaging consultants as per provisions of GFR 2005.
- iii. The appointment of skilled/semi-skilled contractual staff in externally funded projects will be purely on co-terminus basis. After the termination of the project, the university will not have any liability of the staff engaged for the externally funded schemes/projects.

Promotion

Departmental Promotion Committee shall be as under:

1.	Registrar	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel of six names approved by the Board of Management	:	Member
3.	Two experts, not in service of the University to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
4.	A representative of SC/ST to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
5.	Comptroller or any other Officer to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
6.	Either Deputy Registrar (Estt.) or Asstt. Registrar (Estt.)	:	Member-Secretary

The Vice-Chancellor at his discretion may include the Head or any other senior member of the unit concerned in the Promotion Committees at the time of Promotion to any post of the University. In addition to the above, the nominee(s) of the SC/ ST community to be nominated by the Vice-Chancellor shall be included in the Promotion Committees. Any other member/ members shall also be included in the Promotion Committees as per the instructions of Government of India issued from time to time.

- The candidates to be considered for promotion must fulfill the prescribed eligibility criteria as on the date of occurrence of vacancy.
- Promotion is earned by means of hard work, good conduct and result oriented performance as reflected in the APAR/ACRs. Only performance reported above "Average" i.e. 'good' consistently for the preceding five years shall be taken into consideration by the DPC. While "average" is not an adverse remark, it cannot be regarded as complimentary.
- The DPC should assess the suitability of the employees for promotion on the basis of their service records and the Annual Performance Appraisal Reports (APARs) for five preceding years as specified above at 17(b). In case there is any adverse entry in the APAR or want of prescribed score in the APAR, the case of promotion shall not be considered unless and until the competent authority expunges such adverse entry. If the competent authority does not expunge the adverse entry or increase the score, the employee concerned may have to wait for the required number of reports carrying the prescribed bench marks as required for the post under these rules.
- The eligibility criteria, Vigilance Clearance Reports, CR folders/ dossiers duly completed in all respects along with the seniority list of the eligible employees to be considered for promotion with full details of the number of vacancies, number of posts reserved for SCs/ STs shall be provided to the DPC for consideration.

The zone of consideration of eligible officers for promotion should be as per GOI Rules /DoPT instruction with extended zone for SCs/ STs to ensure the promotional chances against the reserved quota.

The grading and score are quoted below:—

S.No.	Grading System and Score in APAR
(i)	Grade "between 8-10" shall be rated as 'outstanding' and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for appointment/ promotion.
(ii)	Grade "between 6 and short of 8" shall be rated as 'very good' and will be given a score of 7 for the purpose of calculating average scores for appointment/ promotion.
(iii)	Grade "between 4 and short of 6" shall be rated as ' good' and will be given a score of 5 for the purpose of calculating average scores for appointment/ promotion.
(iv)	Below 4 shall be given a score of 'zero'

- The meeting of the Departmental Promotion Committee (DPC) may be convened as and when required.
- The administrative authorities shall ensure that the information furnished to Departmental Promotion Committee is accurate and in proper order in all cases and a certificate to this effect shall form part of the note for the DPC.
- Penalties of any kind (major or minor) shall constitute a bar to one's eligibility for promotion or confirmation. However, minor penalty of "censure" would not constitute a bar to eligibility and consideration for the purposes of promotion/ confirmation unless otherwise mentioned specifically in the order about such a bar to eligibility.

- (h) The following cases shall be brought to the notice of the DPC:-
- i) Employees under suspension ;
 - ii) In respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending; and
 - iii) In respect of whom prosecution for a criminal charge has been pending.

The DPC shall assess their suitability without regard to the disciplinary aspect. The DPC findings will be kept in a sealed cover and the fact recorded in the DPC proceedings. Same procedure will be followed by subsequent DPCs till the disciplinary/ criminal cases are concluded. On the conclusion of the case, sealed cover will be opened. In case the officer is completely exonerated with honour, the due date of his promotion will be determined and he will be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior and if necessary by reverting the junior most officiating person. The Appointing Authority shall decide whether and to what extent arrears of salary are to be paid. Where arrears are denied reasons are to be recorded. If not exonerated, the findings of the sealed cover shall not be acted upon.

- (i) The cases of officers under cloud after clearance by the DPC shall be settled in accordance with the Government of India rules.

17. Functions of the DPC

- i) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall consider and make recommendations in all cases of Group 'A', 'B' & 'C' employees. The constitution of DPC for various categories of posts will be as per the Appendix-1.
- ii) Confirmation of the non-teaching employees (Group 'B' & 'C') on their respective posts subject to satisfactory completion of probation period. As regards the confirmation of the Group 'A' non-teaching staff, the order of confirmation to the incumbents shall be issued with the approval of the competent authority after completing the required formalities such as vigilance clearance, performance appraisal reports carrying the prescribed bench-marks (i.e. the score of 7).
- iii) While considering the promotion cases, the Departmental Promotion Committee shall consider the following:
 - i) Provisions of the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules / UGC/ GOI guidelines as applicable.
 - ii) Eligibility criteria & relaxations/ concessions applicable to the SC/ ST categories.
 - iii) Work & Conduct Reports
 - iv) The Annual Performance Appraisal Reports (APARs)/Annual Confidential Reports (ACR) for the preceding five years along with the Annual Property Returns (APRs) as available with the competent authority. While screening the Annual Confidential Reports/ the Annual Performance Appraisal Reports (APARs), the DPC may also adopt the criteria with regard to bench marks as mentioned at Rule-18(b) & (e) or any other criteria for consideration as per the rules.
 - v) Vigilance Clearance Report
 - vi) Roster points of the cadre(s) as per the reservation policy of the Govt. of India/ DARE/ICAR.
 - vii) Performance in the interview/ skill test/ written test, if conducted by the DPC as per rule.
- iv) The DPC is expected to screen the cases and decide the eligibility based on the afore-mentioned documents like ACRs/ APARs, Vigilance Clearance Report, Roster, Recruitment Rules etc.

Note:- In case any APAR(s) of any particular period has not been initiated by the designated authority despite the fact that the employee concerned produces the proof of submission of appraisal report(s) duly filed-in for that particular period(s) to the concerned section, the DPC/ Screening Committee shall ignore the report(s) of that particular period(s) and shall take into account the report(s) of the immediate preceding period(s). It is mandatory on the part of the designated officer to make entry in the relevant register to be maintained for this purpose and issue proper receipt to the employee concerned as a proof of submission of the appraisal reports. There shall be proper entry in the relevant register with regard to each movement of the APAR till the completion of its process.

18. Mode of Promotion

- i) In addition to the condition for promotion for the posts as specified at *para* (v) below, the University may decide the method and procedure to be followed by the DPC for promotion in respect of any category of posts. For this purpose, the University at its discretion may hold the written tests, interview or other trade/ professional tests and fix qualifying marks for any post to assess the competence in an objective manner. In such cases, association of at-least one external expert shall also be mandatory. The requirement of interview will be dispensed with for junior level non-gazette group B and C category posts as per directives of DOPT issued from time to time.
- ii) Mere possession of eligibility conditions shall not entitle an employee to be promoted to the next higher post from the date of his/ her eligibility. After completion of formalities such as Annual Performance appraisal reports APARs, vigilance clearance reports, the departmental promotion committee may be constituted to evaluate and assess the

eligibility of the employees. Subject to availability of higher posts the employees will be considered for promotion based on the recommendations of the DPC/ duly approved by the Competent Authority of the University.

- iii) All promotions of the non-teaching staff shall take effect from the date of joining after approval of recommendation of the Department Promotion Committee by the competent authority.
- iv) The qualifying of Typing Test/ Skill Test with knowledge of computers shall be the compulsory requirement for promotion to the post of Upper Division Clerk, Assistant, Semi Professional Assistant, Library Assistant or other positions as identified from time to time. Further, the qualifying of Typing Test/ Skill Test with knowledge of computers shall also be the compulsory requirement for all Stenographers and Personal Assistants of the University who will be considered for promotion as Personal Assistant and Private Secretary as per the eligibility criteria prescribed in these rules for promotion to group A and B post. Graduation will be minimum qualification.
- v) Either due to non-performance / misconduct/ misbehavior or violation of Rule 3 – a, b, & c of the CCS Conduct Rules, 1965, the period of probation could be extended by one more year beyond 2 years. If there is no improvement with regard to the performance or other traits mentioned above, the University shall terminate the services or revert the employee concerned forthwith without giving any further opportunity for improvement. However, when the employee concerned is confirmed on his post consequent upon the satisfactory completion of the extended period of probation, then the eligibility of his promotion to the next higher post, if any available or upward movement under the Assured Career Progression Scheme (ACPS)/ Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) or the Career Advancement Scheme shall be proportionately increased by one year. In other words such an employee may be considered for promotion/ ACP Scheme/ Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS)/ Career Advancement Scheme after one year from the date of his/ her actual date of eligibility.

19. Ad-hoc Promotions

- i) In case there is an existing vacancy and no eligible employee is available in the feeder channel for promotion, the competent authority may consider relaxation of experience maximum by one year at his discretion to promote an employee on ad-hoc basis after completing all procedural formalities as laid down under Rule-17 to 19 above. However, this arrangement shall not be allowed to continue for more than one year in case the employee concerned is not considered for regular promotion. In such cases, the candidate must have maintained at least three outstanding reports in the last 5 years prior to the date of eligibility for such ad-hoc promotion.
- ii) Those employees who fulfill the requisite qualifications and experience and other eligibility criteria as per these rules, they may also be considered for ad-hoc-promotion against the leave/ lien/ deputation vacancies or in cases where it is not possible to convene the regular meetings of the DPC/ Selection Committee subject to the condition that they have minimum score 5 (Group 'B' & 'C' posts) and 7 (Group 'A' posts) in the preceding years as per rule-18 (e) above. In such cases, ad-hoc promotions may directly be made by the appointing authority at its discretion after proper screening of the relevant records such as nature of vacancy, the APARs, vigilance clearance report(s), seniority list, roster position etc.

20. Panel

- a) The panel drawn for promotion by the Departmental Promotion Committee shall normally be valid for one year from the date of such approval of the competent authority. It should cease to be in force on the expiry of a period of one year or when a fresh panel is prepared, whichever is earlier.

21. Assured Career Progression Scheme (ACP)/ MACP/ Career Advancement Scheme (CAS)

- (i) The financial up-gradation under the ACP/ MACP Scheme in respect of non-teaching staff of the University shall be allowed as per the provisions of the orders/ guidelines of Government of India as amended/ issued from time to time.
- (ii) In case of financial up-gradation under ACP up to the level of Deputy Registrar or equivalent, the Registrar shall chair the meeting of the Screening Committee. The Vice-Chancellor shall nominate at least one external expert and other members representing SC/ ST/ OBC/ PWD etc. wherever required as per the guidelines of the GOI.
- (iii) Any dispute in the afore-mentioned advancement schemes applicable for non-teaching staff, the decision of the Board of Management of the University shall be final.
- (iv) CAS for technical services will be governed by ICAR TRS once technical service rules are framed which will be done as ICAR pattern.

22. Probation

- (i) **In case of direct recruitment:** The selected candidate will be kept on probation for a period of two years from the date of joining.
- (ii) The appointing authority may extend the period of probation by one year in case of unsatisfactory performance, misconduct or on ground of misbehavior. In case there is no perceivable improvement despite all this, his/ her services shall be terminated by giving one month's notice or on payment of one month's salary in lieu of notice. The employee concerned may also exercise his/her option to quit by giving one month's notice or deposit one month's

salary in lieu of notice.

- (iii) **In case of promotion** to the next higher post, the employee(s) shall be kept on probation for a period of two years (no probation in case of promotion within the same group of post) from the date of DPC/ Selection Committee. The appointing authority may extend the period of probation by one year on ground of non-performance, misconduct or misbehaviour or if he fails to comply with the terms and conditions of the appointment to the post to which the employee was promoted. In case there is no perceivable improvement despite all this, he shall be reverted to his parent post with immediate effect and in his place next junior will be promoted on ad-hoc/ regular basis following prescribed procedure to avoid consequential reversions in the line.
- (iv) All other Central Government rules on probation and confirmation as amended from time to time shall be applicable *mutatis mutandis*.

Note:-

- (i) If an employee who is recruited/ promoted to any post(s), avail leave on piece meal basis or at a time for a period of two months or more during his/ her probation period, his/ her probation period shall be extended proportionately i.e. equal to the total period of leave availed by the employee concerned. The lapsable leave, maternity leave, paternity leave, commuted leave shall not be taken into account while computing the leave as mentioned above.
- (ii) In order to avoid any anomalous situation, the cases of probation of officials should be reviewed in every six months. In case, the result of review of performance of an official is found indifferent, he/her should be warned of the consequences, i.e. termination of his/her services/ reversion to the post from which he/she is appointed / promoted. Such a warning should be issued in advance after which the performance of the official concerned should be continuously kept under observation.
- (iii) There will be no probation in the case of an employee appointed to various posts on contract basis, deputation, tenure basis or re-employment after superannuation.
- (iv) No application for outside employment shall ordinarily be forwarded during the period of probation in case of temporary employee of the University. However, in case his request has been considered by the competent authority of the University at his discretion, an undertaking shall be obtained while forwarding application that he/ she would resign the post in the event of his/her selection in other department.
- (v) No employee of the University shall be confirmed on his post unless and until he signs the service agreement.

23. Relaxation of Age and Experience

- a. The statutory provision for relaxing of age, experience etc. prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD categories will be made applicable to them as per Govt. of India norms. A certificate to this effect in the format as prescribed by the Govt. of India issued from the competent authority should be attached with the prescribed application form. Wherever, relaxation of qualification including percentage of marks is permitted under Govt. of India guidelines, such relaxation shall also be considered in appropriate cases subject to recommendations of the Screening Committee as per relevant Govt. of India rules. There will be no age limit for regular employees of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University.
- b. In addition to above, Board of Management may relax age limit and experience in respect of employees of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Employees of the Central Government/ State Government/ Agricultural Universities / Central autonomous bodies/ organizations/ Institutions/ Public Sector Undertakings etc. equal to the period they have been in service of such organizations.

24. Discipline/ Vigilance Clearance Reports

- (i) Candidate who is already in service should submit a certificate from the employer or his authorized officer to the effect that no disciplinary proceeding is pending or contemplated against him. Apart from this, the Vigilance Clearance Report shall also be furnished along with the application or at the time of interview.
- (ii) Deliberate concealment/ suppression of factual information or any document relating to the eligibility or otherwise as a candidate, supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the achievements, caste, educational qualifications, experience or domicile etc., the Chief Vigilance Officer of the University shall have the powers to investigate/ inquire into the matter and submit his report to the administration for further action in this regard at any time of recruitment process or employment as per law.

25. Removal of Difficulties

- i) The Board of Management may from time to time, issue such general and specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these rules.
- ii) All existing rules and orders in relation to the matters covered under these rules shall stand superseded but any action already taken by or in pursuance to such existing rules and orders shall be deemed to have been taken under these rules.

26. Interpretation

Any ambiguity or lack of clarity with regard to any clause of the rules, the decision of the Board of Management shall be final.

27. Amendment of Rules

The Board of Management shall have the authority to amend, modify, change, withdraw, suspend and relax any or all of these rules. The decision of the Board of Management shall be final and binding on all employees.

28. Residuary Matters

In respect of all matters not specifically provided for in these rules, the corresponding provisions as prescribed by the Govt. of India relating to its employees, as amended from time to time, will be followed. In case any particular provision in these rules clashes with any provision of the Act / Statutes, the provision of the Act / Statutes shall prevail and the provision in these rules shall stand superseded.

29. Liability of officers to serve in India or/ and abroad

Employees appointed shall be liable to serve anywhere within the jurisdiction of the University.

30. Territorial Jurisdiction

In cases of any disputes, any suits or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be restricted to the High Court of state where the cause of action has arisen.

32. Savings

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

33. General Terms and Conditions of recruitments

- i. Mere possession of eligibility conditions shall not entitle a candidate to be called for written test/ interview. The date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the closing date as prescribed in the advertisement for receipt of the applications. In other words no candidate shall be called for interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on the closing date of the application for a particular post.
- ii. Apart from possessing the requisite qualification and experience as on the closing date of receipt of application prescribed in the advertisement, any additional qualification and experience acquired after the closing date may be taken into account at the time of selection. The experience in different fields as prescribed in these rules against any particular post shall be calculated by taking into account either in one field exclusively or by counting more than one field as the case may be.
- iii. Candidate who is already in service should submit his/her application through proper channel. However, he/ she may send an advance copy of his/her application and should produce a "No Objection Certificate" from the employer within thirty days after the closing date for receipt of application/advance copy of application(s) failing which he/ she shall not be interviewed. The application for appointment on deputation may be forwarded by the employer along with the CR dossier duly certified by the Competent Authority for the desired periods through proper channel.
- iv. It is the responsibility of the candidate to assess his own eligibility for the post for which he/ she is applying in accordance with the prescribed qualification, experience etc. and submit his application duly filled-in along with the desired information, documents and other supporting materials as per the advertisement. Suppression of factual information, supply of fake documents, providing false or misleading information or any other undesirable action by the candidate shall lead to cancellation of his candidature. In case, it is detected at any point of time in future even after appointment that the candidate was not eligible as per the prescribed qualification, experience etc. which could not be detected at the time of interview due to whatever circumstances, his appointment shall be liable to termination forthwith as per this clause and also based on his undertaking. This must be mentioned in the letter of offer and appointment clearly. With regard to any ambiguity relating to the recruitment rules in general and eligibility in respect of any post in particular, the decision of the Board of Management shall be final.
- v. Acceptance of documents/ certificates/ claims etc. submitted by an applicant will be subject to their verification by the competent authorities/ sources. If, any claim/ certificate/ document is found to be false/ fake/ incorrect/ *malafide* at any stage of verification before or after appointment, the document in question shall be summarily rejected and action may be initiated against the candidate for this misconduct including rejection of his candidature which shall lead to cancellation of his appointment, if already appointed.
- vi. If at any stage of the recruitment process or employment, it is detected that there is a willful suppression of factual information relating to the eligibility or otherwise as a candidate, followed by supply of fake documents/ or misleading statement/ information in the application or tampering of documents or providing such information relating to the caste, educational qualifications, experience or domicile etc. the candidature shall be cancelled and services shall be terminated forthwith, if already appointed.

- vii. The persons appointed against any post shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules governing the service conditions/ method of recruitments as amended from time to time and resolutions of the Board of Management of the University and rules of the Govt. of India/ Guidelines of the UGC adopted by the University from time to time.
- viii. For a candidate to be appointed to any non-teaching post, his/her character antecedents will be got verified through the police/Deputy Collector/ Commissioner. In case of adverse findings the appointment shall be terminated without any notice.
- ix. Selected candidate will be required to take an oath of allegiance, faithfulness to the constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the prescribed form on appointment.
- x. On appointment, he/she will submit a declaration regarding his/her marital status in the prescribed proforma. In the event of his/her having more than one husband/wife living unless being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf his/her appointment will be terminated.
- xi. At the time of recruitment, a service agreement should be executed between the University and the employee concerned and a copy of the same should be deposited with the Registrar. The written contract between a teacher and the University required to be entered in the form prescribed by the University. Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.
- xii. The selected candidate will also have to undergo a medical examination/ test to ascertain his/ her medical fitness for the post prior to joining. It will be by a medical board for Group A & B posts and by civil surgeon for Group C post. In case, he/ she is not found to be fit by the authorized medical authorities, the offer of appointment shall be treated as withdrawn. The persons already holding employment under Government or Autonomous Bodies shall submit a certificate for his employer that he was found medically fit at time of first appointment.
- xiii. The terms and conditions of appointment/ Engagement shall be communicated in the "Offer of Appointment/ Engagement" to the Selected Candidates. If the candidate does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment/ engagement letter within the stipulated time period, the offer will be treated as withdrawn and no further communication shall be entertained in this regard. The Competent Authority reserves the right to enhance the scope of the nature of duties and can assign any duty to any employee at any point of time even during Saturdays-Sundays and holidays including night duties in the exigency of service and in the interest of the University irrespective of the fact that such duties do not come under the already notified duties for any post.
- xiv. The selected person shall be required to arrange his/ her own accommodation as per his/ her convenience.
- xv. The selected candidate will be governed by the "National Pension System" (known as 'New Pension Scheme') of the Govt. of India applicable wef 01.01.2004 for its employees recruited on or after 01.01.2016. However, employees who were already in service prior to launch of this scheme, shall continue to be governed by the same scheme in this University also except those appointed on tenure posts.
- xvi. The selected candidate is liable to serve anywhere within the jurisdiction of University where the offices or projects of the University are located or may be located in future.
- xvii. The selected candidates shall be governed by the Act/ Statutes/ Ordinances/ Regulations/ Rules of the University and also the CCS(Conduct) Rules, 1964 and CCS (CCA) Rule, 1965 of the Government of India as amended from time to time and any other rule/ regulation prescribed specifically for maintaining the conduct of the employees by the Board of Management of the University.
- xviii. The candidate applying for the non-teaching posts should send the self attested copies of all certificates relating to his/ her educational qualifications, experience, age, caste and other testimonials along with his/ her application (DOPT O.M. No. K-11022/ 67/ 2012-AR dated 10th May, 2015).
- xix. A relaxation of marks in case of SC/ ST/ PWD candidates will be applicable as per the Govt. of India guidelines.
- xx. The minimum requirement of a good academic record shall be as prescribed by Govt. of India for similar posts in its Departments.
- xxi. Candidate should bring all original certificates relating to his/ her age, qualification, experience and caste etc. at the time of interview. In case the candidate fails to submit the original documents for verification of the certified/ photo-copies of the enclosures to his/ her application, he or she shall not be allowed to appear at the interview and his/her candidature shall be treated as cancelled without any further communication in this regard.
- xxii. (i) The University reserves the right to fill or not to fill up the posts advertised for any reasons whatsoever. If any vacancy arises after recruitment to a particular post due to whatsoever reasons, the vacancy may be filled up from the panel of that post within a period of one year from the date of selection committee. In any case every panel shall be treated as invalid after one year w.e.f. the date of the meeting of the Selection Committee.
(ii) The University reserves the right to withdraw the advertisement either partially or wholly at any time without assigning any reason to this effect.

- (iii) For filling up the post on direct recruitment basis, the selection committee will prepare a select list and a reserved list. The number of candidates in the select list shall not be more than the posts/ vacancy notified in the advertisement. The selection committee shall also prepare a reserved list containing 2-3 names. The panel of reserved list candidates will be valid from the date of approval of competent authority and the University reserves the right to make appointments from the reserved panel on consequential vacancy caused by non-joining of the candidate within the stipulated time allowed for joining the post or where a candidate joins but he/she resigns or dies within a period of one year from the date of his/her joining post or any equivalent future vacancy(ies).
- (iv) The University reserves the right to reject any application without assigning any reason thereof.
- (v) The University reserves the right to appoint a Consultant for a definite period as per the requirement on the payment term as prescribed by the Government of India in case of any exigency.
- (vi) If any advertisement for any post(s) is withdrawn due to whatever reasons, the application fee or any other fee collected from the candidates shall be refunded.
- xxiii. (i) Interim enquiries shall not be entertained.
- (ii) 'Canvassing in any form shall disqualify the candidature of the candidate'.
- (iii) Applicants are required to apply on separate form for each post. Each application without the required application fee by way of A/ c payee draft shall be rejected.
- xxiv. The University shall not be responsible for any postal delay. The candidate shall be required to submit the list of enclosures and also write his/ her complete information with regard to his/ her correspondence and permanent address with pin code, telephone numbers, cell-phone numbers, e-mail ID, if any in the application which will facilitate communication at any point of time.
- xxv. For any clarification, the candidates may contact the Deputy Registrar (Establishment) or any other designated officer of the University in writing. In case of any grievance of any candidate, the candidate may also approach the Competent Authorities of the University in writing for redressal relating to the recruitment sufficiently in advance.

34. Nature of Duties

The selected candidates will be required to perform duties as per the rules of the University as amended from time to time. The University is free to assign any duty as per the exigency of the situation at any time even during non-working hours/ holidays which the employee has to perform without fail to avoid disciplinary action in this regard.

Appendix-1

Selection Committees for Direct Recruitment / Departmental Promotion Committee of Non-Teaching Employees

(1) Following shall be the constitution of the Selection Committees:-

(a) Selection Committee for statutory posts like Registrar and Comptroller etc.:

As per Statue 18(2), of the Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 and as amended time to time.

(b) Selection Committee for the post of **Assistant Registrar and above** (other than statutory posts):

1.	Vice-Chancellor or nominee of the Vice Chancellor not below the rank of Professor	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel of six names approved by the Board of Management	:	Member
3.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor	:	Member
4.	A representative of SC/ST to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
5.	The Head of Department concerned	:	Member
6.	Registrar	:	Member-Secretary

(c) Selection Committee for **technical** posts below Assistant Registrar in the constituent colleges:

1.	Director of Education/Research/Extension Education to be nominated by Vice-Chancellor.	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel of six names approved by the Board of Management.	:	Member
3.	Two experts, not in service of the University, nominated by the Vice Chancellor.	:	Member

4.	A representative of SC/ST to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
5.	The Dean/Head of the Centre / Institution/ Wing concerned to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
6.	Registrar / Deputy Registrar (Estt.)/ any other Officer of equivalent grade of Deputy Registrar to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member-Secretary

(d) Selection Committee for **non-technical** posts below Assistant Registrar:

1.	Registrar	:	Chairman
2.	A member to be nominated by the Vice-chancellor out of a panel of six names approved by the Board of Management	:	Member
3.	Two experts, not in service of the University to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
4.	A representative of SC/ST to be nominated by the Vice Chancellor.	:	Member
5.	Comptroller or any other Officer to be nominated by the Vice Chancellor	:	Member
6.	Either Deputy Registrar (Estt.) or Asstt. Registrar (Estt.)	:	Member-Secretary

Appendix-2

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

Pusa - 848125, Bihar

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES (NON TEACHING EMPLOYEES) 2016

Sl. No.	Name of Post	Group	Core Pay Scales as Per 6 th CP	
			Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	2	3	4	5
I	SECRETARIAL SERVICES			
1	Assistant	B	9300-34800	4200
2	Accountant	B	9300-34800	4200
3	Junior Auditor	B	9300-34800	4200
4	Divisional Accountant	B	9300-34800	4200
5	Jr. Stenographer	C	5200-20200	2400
6	Lower Division Clerk	C	5200-20200	1900

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF LOWER DIVISION CLERK

1	Name of Post	Lower Division Clerk
2	Classification	Group 'C'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 5200-20200 (PB-1) + Grade Pay Rs. 1900/-
4	Age Limit for direct recruits	30 Years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Intermediate/PUC from a recognized Board/University. Knowledge of Computer Applications. Proficiency in Hindi/English computer typing with minimum speed of 30 words per minute.

6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	85% by direct recruitment 10% by LCT 05% by promotion from Multi Tasking Staff possessing essential qualification as above. Written : 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Proficiency test (Qualifying) - The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 250 (100+50+100). Syllabus will be of intermediate level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	From amongst MTS possessing essential qualification as at 7 above.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT

1	Name of Post	Assistant
2	Classification	Group 'B'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 9300-34800 (PB-2) + Grade Pay Rs.4200/-
4	Age Limit for direct recruits	30 years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Bachelor's degree from a recognized University /Institute. Knowledge of Computer Applications.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	25% by direct recruitment 25% by LCT 50% by promotion. Written : 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Proficiency Test (Qualifying)- The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 250 (100+50+100). Syllabus will be of graduation level.

9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Promotion: Upper Division Clerk with six years regular service in PB-1 (Rs. 5200-20200) + Grade Pay Rs.2400/- Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in the Central/ State Government, Universities and other autonomous organizations.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

Note: All new appointment on the post of Assistant will be made on 4200 Grade Pay. Promotion shall be given only to those staff member who is Graduate in any discipline.

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ACCOUNTANT/ Divisional Accountant

1	Name of Post	Accountant/Divisional Accountant
2	Classification	Group 'B'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 9300-34800 (PB-2) + Grade Pay Rs. 4200/-
4	Age Limit for direct recruits	30 years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: Degree in Commerce from any University Knowledge of Computer Application.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No
7	Period of probation, if any	Two years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	25% by direct recruitment 25% by LCT 50% by promotion. Written : 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Proficiency Test (Qualifying)- The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 250 (100+50+100). Syllabus will be of graduation level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in the Central/ State Government, Universities and other autonomous organizations.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JUNIOR AUDITOR

1	Name of Post	Junior Auditor
2	Classification	Group 'B'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs. 9300-34800 (PB-2) + Grade Pay Rs. 4200/-
4	Age Limit for direct recruits	30 years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: B.Com from any recognized University Knowledge of Computer application
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	No
7	Period of probation, if any	02 Years
8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	50% by direct recruitment 50% by promotion Written : 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Proficiency Test - 50 The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 300 (100 + 50 + 100 + 50). Syllabus will be of graduation level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	NA
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 – Appendix-1

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY, PUSA

(Established under the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JR STENOGRAPHER

1	Name of Post	Jr. Stenographer
2	Classification	Group 'C'
3	Pay Band & Grade Pay	Rs 5200-20200 (PB-1) + Grade Pay Rs. 2400
4	Age Limit for direct recruits	30 years
5	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential: Inter or 10+2 from a recognized University/Board. Proficiency in Stenography in English/ Hindi with minimum speed of 80 w.p.m. Proficiency in Typing in English/ Hindi with minimum speed of 30/ 25 w.p.m. Knowledge of computer applications.
6	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
7	Period of probation, if any	Two Years

8	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by direct recruitment. Written : 1. Aptitude test - 100 2. General Knowledge - 50 3. Language (Hindi/English) - 100 4. Computer Skill test - 50 The candidate must obtain at least 50% marks in qualifying test. No interview as per Government of India direction. Selection will be made on grand total marks in 250 (100 + 50 + 100). Syllabus will be of graduation level.
9	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	N.A.
10	Composition of Selection Committee for direct recruitment	As per Recruitment Rules (Non-Teaching Employees), 2016 - Appendix-1

अध्यादेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

(क्रमांक 10 / 2017)

सं. 83/डॉ०आर०प्र०के०क०वि०, पूसा.—चूँकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रबंध परिषद् की दिनांक 14.07.2017 को हुई दूसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञाप सं० एफ०सं० 5-50/2017/सी०ए०यू० दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों को एक सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या एवं आकस्मिक अवकाश प्रदान करने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (32/2016) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ एवं अधिसूचित करता हूँ कि विश्वविद्यालय में छः दिन के कार्यदिवस के साथ प्रत्येक माह की दूसरी शनिवार को छुट्टी एवं वर्ष में 8 आठ दिन आकस्मिक अवकाश की पद्धति पालन किया जाय।

आर० सी० श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./285/17]

ORDINANCE

New Delhi, the 15th September, 2017

(No. 10 of 2017)

No. 83/DRPCA (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research on the basis of resolution passed in the 2nd meeting of the Board of Management of the University held on 14.07.2017 has approved to make an ordinance regarding the number of working days in a week and Casual leave to be granted to the employees of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa F.No.5-50/2017-CAU dated 12th September 2017.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby make this Ordinance and notify the University should follow the system of 6 days week with 2nd Saturday off and 8 days casual leave.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./285/17]